खण्ड-119, अंक-2
मंगलवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(24 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 119 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
अशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डे, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्र हास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
लल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पन्नालाल, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डे , श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लत्ताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ व चम्पावत (जिला अल्मोड़ा) में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

*१--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिठौरागढ़ व चम्पावत निर्वाचन क्षेत्रों (जिला अल्मोड़ा) में भी कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है ?

निर्माण उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां।

*२--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वे निर्माण कार्य क्या क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--टनकपुर-पिठौरागढ़ सड़क के जो हिस्से इन क्षेत्रों से जाते हैं उनको जिन मीलों में मिट्टी मुलायम थी पक्का करना और पुलों तथा पुलियों का निर्माण कार्य किया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के अतिरिक्त उद्योग-धंधे, उद्यान बनाने तथा कृषि की अन्य विकास की कौन-कौन योजनायें इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस इलाके के लिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जितना उसका सम्बन्ध उस विभाग से था वह मैंने बता दिया और दूसरे विभागों की जानकारी दूसरे विभागों के पास होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--इस सड़क के पक्की किये जाने के विषय में कौन कौन से पल हैं जो बनाये जायेंगे ? तथा हर साल कितनी सड़क पक्की बनाई जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें चल्थी के पास पुल का निर्माण होगा जो चम्पावत सड़क में पड़ता है। सूर्ज नदी के घाट के पास भी निर्माण होगा और छोटी छोटी पुलियां बनायी जायेंगी। टनकपुर के मील ४३ से लेकर उसको पक्की करने का प्रोग्राम है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या यह सही है कि इन पुलों के लिये पिछले साल के बजट में रुपया मन्जूर हो चुका था ? लेकिन वह बजट लैप्स हो गया और पुल नहीं बनाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, यह सही है।

*३--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--[१९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग द्वारा बनाये गये चलचित्र

*४--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग में मार्च, सन् १९५१ से लेकर अब तक कितनी फिल्म बनी हैं और उन पर क्या लागत आई ?

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--सूचना विभाग में मार्च, १९५१ से लेकर अब तक केवल 'प्रगतिशील उत्तर प्रदेश' नामक एक चल चित्र बनाया गया है जिसकी लागत २१, १६७ रुपये है।

*५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह फिल्म्स सूचना विभाग के स्टूडियो में तैयार की गयी थी ? यदि नहीं, तो किस स्थान पर और किस किस के द्वारा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। सूचना विभाग में कोई चलचित्र निर्माण हेतु स्टूडियो नहीं है। फिल्म की शूटिंग इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में विभागीय अधिकारियों के निर्देश में हुई थी और उसके निर्माता श्री आर० एल० शोरे, शोरे कम्पनी, नेशनल हाउस ६, टूलाच रोड, अपोलो बन्दर, बम्बई थे।

श्री भगवान सहाय--क्या मैं जान सकता हूं कि शोरे ब्रादर्स को जब २१,००० रुपये में ठेका दिया गया था तो क्या उसके टेन्डर्स काल किये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, उस समय टेन्डर काल नहीं हुए थे, क्योंकि समय बहुत कम था और फिल्म का काम शुरू कर दिया गया था और यही शोरे ब्रादर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया और पन्जाब गवर्नमेंट के फिल्म भी बनाते हैं। इस मामले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से राय ली गई थी। उन्होंने कहा कि उनको आप दे दें, उन्होंने इसको मन्जूर किया था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितनी लागत के चलचित्र खरीदे गये और कितने खरीदे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बनने में तो २१,१६७ रुपया दिया गया और उनसे जो ली गई वह इस प्रकार ली गई कि ५ प्रतियां ३५० की दर से ३५ एम० एम० की और १६ एम० एम० की २५ कापियां उसी दर से ली गयीं और कुल १०,५०० रुपये का भुगतान किया गया।

श्री नेकराम शर्मा--क्या इसके अलावा और भी चलचित्र खरीदे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या शोरे ब्रादर्स को इसका आर्डर देने से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो डाक्यूमेंट्री फिल्म का स्टूडियो है उससे जांच कर ली गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई स्टूडियो लखनऊ में है ऐसी कोई सूचना नहीं है, हां, उनसे कहा गया जो दिल्ली से बनाते हैं लेकिन उनके पास काम बहुत ज्यादा था।

*६-७--श्री भारखन्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ ६७-६८ पर]

बुढ़ाना-कैराना था कांधला-ईसापुर सड़कों का निर्माण

*८श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बुढ़ाना से कांधला होकर कैराना तक और कांधला से गंगेरू होकर ईसापुर तक इस वर्ष पक्की सड़कें बनवाने का प्रबन्ध करेगी ?

--श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। यह सड़कें पंचवर्षीय योजना में नहीं हैं और जब तक उस योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा न हो जाय, कोई नया काम लेना संभव न होगा।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार कोई प्रबन्ध कर सकती है कि जिससे बुढ़ाना-कांधला पक्की सड़क बन जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस पर विचार किया जायगा जब दूसरा प्रोग्राम बनेगा।

*९--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर-बागपत सड़क कब तक पक्की बना दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--निर्माण कार्यों का पूरा होना आगामी वर्षों में उपलब्ध होने वाली निधि पर निर्भर है।

जिला मुजफ्फरनगर में नल-कूपों की संख्या

*१०--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में १९५०-५१ ई० में कितने ट्यूबवेल बनवाये गये ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)--जिला मुजफ्फरनगर में सन् १९५०-५१ में ४ नलकूप बनवाये गये।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चार नलकूप मुजफ्फरनगर में कहां कहां बनाये गये ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। स्थान का नाम यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको पीछे बता दूंगा।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय सूचना मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४ नलकूपों में कितना व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कितना व्यय हुआ है यह ठीक-ठीक रकम तो इस वक्त नहीं बतलायी जा सकती है। अन्दाजन जो व्यय होता है उसकी जानकारी तो माननीय सदस्य को भी होगी। यहां ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ कर एक नलकूप पर ४० हजार रुपया बैठता है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी कोई नलकूप बनाने का विचार है ?

श्री राम मूर्ति--६ नलकूप बनने वाले थे जिनमें ४ बन गये हैं और २ इस साल कम्पलीट हो जायेंगे।

नहर जमुना के मुजफ्फरनगर डिवीजन में अतिरिक्त अमला

*११--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करगी कि नहर जमुना के मुजफ्फरनगर डिवीजन में बार बंदियों के लिये कुछ काल से अतिरिक्त अमला (Extra staff) रखा गया है ? यदि हां, तो इस Extra staff की वजह से कितना खर्चा और बढ़ गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां। इस Extra staff की वजह से करीब २७,००० रुपया सालाना खर्चा और बढ़ गया है।

*१२--श्री बलवन्त सिंह--क्या बारबंदी करने के लिये इस नहर के किसी और डिवीजन पर भी (Extra staff) रखा गया है ?

श्री राम मूर्ति--जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो पहले का स्टाफ बारबन्दी के लिये रखा गया है उस पर क्या सालाना खर्चा आता था ?

श्री राम मूर्ति--जो पहले बारबन्दी का काम हुआ करता था वह पूरे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे उन्हीं के जरिये हुआ करता था। इस बार यमुना-कैनाल के एक डिवीजन जिसका इसमें जिक्र किया गया है, वहां पर और ज्यादा काम हो गया था जिसकी वजह से वहां पर यह एक्स्ट्रा स्टाफ रखा गया है। उसकी वजह से हमारे यहां यह खर्च बढ़ गया है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना काम और अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह नया स्टाफ रखा गया है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। जो आपको जवाब दिया गया है वह काफी है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब इसका नजदीक साल के अन्दर चकबन्दी होने वाली है तो फिर यह ओसरेबन्दी इस वक्त क्यों की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उस क्षेत्र से ओसरेबन्दी की बहुत गहरी मांग है। वहां करीब ३,३०० के ऊपर कुलावे हैं। कुछ वारबन्दियां ऐसी हैं जिनमें बीस-बीस वर्ष से कोई विचार नहीं हुआ है और १,१०० से ऊपर और ऐसी दरख्वास्तें हैं कि वारबन्दी की जाय। ऐसी हालत में पानी के लिये वारबन्दियां की जा रही हैं। चकबन्दी से उसका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक होता नहीं है।

*१३--श्री बलवन्त सिंह--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी तहसील में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई का प्रबन्ध

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी तहसील के काश्तकारों को सिंचाई व पीने के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता है? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस कमी को दूर करने के लिये वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र की भूमि के स्तर में बड़ी गहराई तक पत्थर है और पानी भी बहुत गहराई पर मिलता है। अतः इस तहसील में सिंचाई की कोई योजना नहीं है, किन्तु पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये पांच नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है। एक नलकूप भी बन चुका है जिसकी खुदाई में एक वर्ष से ऊपर समय लगा और लागत भी अधिक लगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी तहसील में काश्तकारों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, भाबर में पानी की कमी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस कमी को दूर करने के लिये गोला नहर में एक बांध की सर्वे करवाने की कृपा करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य यदि अपना सुझाव भेज दें तो सरकार उस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ५ नलकूप किस किस स्थान पर बन रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी तो जैसा कि उत्तर में कहा गया है, एक कुआं बन गया है और उसमें बड़ा समय भी लगा। इसको मैं खुद देख भी आया हूं वह बहुत गहराई तक गया है। उसमें पैसा भी बहुत लगा और समय भी लगा। एक का बोरिंग शुरू हो गया है, स्थान आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी ३ की साईटिंग कर दी जायगी।

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

किच्छा-सितारगंज-खटीमा रोड का प्रबन्ध

*१८--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार किछा-सितारगंज-खटीमा रोड का इन्तजाम अपने हाथ में लेने और पक्की करने का कोई इरादा रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--किच्छा-सितारगंज सड़क इस निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। बाकी सड़क को लेने का और पक्का करने का प्रस्ताव युद्धोत्तरकालीन निर्माण योजना के द्वितीय चरण में विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि किच्छा-सितारगंज सड़क बहुत खराब हालत में है और वह पक्की नहीं है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कुछ पक्की है, और कुछ कच्ची है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि किच्छा-सितारगंज की सड़क पर सालाना कितना रुपया खर्च होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

*१९--२०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[१७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

घाघरा नदी में नहर निकालने का विचार

*६--श्री भारद्वाज (अनुपस्थित)--क्या आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के चिउंटीडांड़ स्थान से घाघरा नदी से एक नहर निकाल कर पकड़ीताल होती हुई मऊ के पास टोंस नदी में मिलाने और इस प्रकार सिंचाई सुलभ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करने का इरादा रखती है?

श्री राममूर्ति--इस संबंध में प्रारंभिक अन्वेषण कार्य (investigation) प्रारंभ कर दिया गया है। इस अन्वेषण कार्य से जब यह ठीक-ठीक पता चल जायगा कि प्रस्तावित योजना साध्य (feasible) हो सकती है, तब इस योजना का विस्तृत निरीक्षण आरम्भ किया जायगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलायेंगे कि यह पैमायश कब तक खत्म होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, उसका प्रीलिमिनरी इंवेस्टीगेशन शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि उसमें ३-४ महीने लगेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हाहा नदी जो घाघरा से निकलती है उसको बन्द करके नहर का काम कराया जा सकता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का सुझाव था लेकिन सरकार ने सर्वे का भी प्रस्ताव किया है।

नोट--तारांकित प्रश्न ६ व ७ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाहा नदी का सर्वे प्रारम्भ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह सर्वे कब तक समाप्त होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है । सर्वे तब तक होगा जब तक उसकी जरूरत होगी। सर्वे हो जायगा तो फिर उसकी रिपोर्ट आयेगी ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इसीलिये वहां पर ट्यूबवेल्स की योजना लागू की गयी और अब वहां पर ट्यूबवेल्स बनेंगे ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि घाघरा नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फसलों की हानि हुआ करती है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*७--श्री रामखेलावन राय (अनुपस्थित)--क्या घाघरा नदी से कोई नहर निकालने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। घाघरा नदी से कोई नहर निकालने का प्रश्न तो विचाराधीन नहीं है अपितु घाघरा नहर को १०० मील बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन अवश्य है।

इटावा के मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में सर्वश्री गजेन्द्र सिंह व रामसुभग वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज भी इटावा के मेहतरों की हड़ताल से संबंधित श्री गजेन्द्र सिंह और श्री रामसुभग वर्मा ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। इस समय क्योंकि बजट पर आम बहस चल रही है। मैं उनसे कहूंगा कि उनको मौका है और वह इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उस पर बहस हो सकती है। इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं समझता हूं कि इसकी इजाजत दूं और अब यहां पर अनुमति के लिये पेश किया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--यह श्री अर्जुन सिंह के अनशन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष--जनरल बहस में यह सब आ सकता है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रागत)

श्री अध्यक्ष--अब १९५३-५४ के आय-व्ययक पर विचार जारी रहेगा। श्री राधा मोहन सिंह के भाषण के बाद मैं समय नियुक्त करूंगा।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी पक्ष की ओर से न्याय की मांग की गयी है। न्याय कई प्रकार का होता है। यह नहीं बतलाया गया कि वह किस न्याय की मांग करते हैं। एक न्याय वह है जो अदालतों में मिलता है। एक वह है जो प्रशासकीय होता है और शासन की ओर से मिलता है। एक न्याय और भी है जो मनमाना होता है। जो हम चाहते हैं और जिसे हम ठीक समझते हैं वही न्याय है यह बात ही और है। जिस केस के संबंध में इतनी बातें कही गयीं वह उच्च न्यायालय में दो बार पहुंच चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

प्रजातंत्र तीन सिद्धांतों पर आधारित है, एक लेजिस्लेशन, एक्जेक्यूटिव और स्वतंत्र जूडिशियरी। अगर स्वतंत्र जूडिशियरी के न्याय में हमें विश्वास नहीं है, संदेह है तो कभी भी कोई शासन चल नहीं सकता।

मैं यहां दावा करने को तैयार हूं कि जितनी बातें यहां कही गयीं उनमें एक शब्द भी इस संबंध में नहीं कहा गया है कि हमारी जुडीशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है। गुप्ता का केस जहां तक मुझे मालूम है हाईकोर्ट में गया और दो बार पहुंचा और वहां से उनका दावा खारिज हुआ। उसके बाद मैं नहीं समझता कि वह मुकद्दमा, वह चीज जिसका फैसला हाईकोर्ट से हो चुका है वह हमारे शासकों के सामने ले जाया जा सकता और कैसे इस सदन में उस पर हम बहस कर सकते हैं। किसी भी नागरिक को अधिकार है कि उसके दावे और मांग बेरोकटोक उच्च न्यायालय में जा सकें और बिला बाधा के गुप्ता का केस वहां गया और फैसल हुआ और उस फैसले में अगर आपकी कामयाबी नहीं हुई तो इसमें दोष किसका? उसके लिये शासन कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर आप इसके विरुद्ध यह चाहते हैं कि शासकीय न्याय में आप विश्वास करते हैं तो आपको हाईकोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिविल सूट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और हाईकोर्ट में गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस ढंग से विचार करें तो मैं और वाकयात भी इस संबंध में आपके सामने रख दूंगा। एक वक्त वह था जब मैं गुप्ता के केस में बहुत ही उलझा हुआ था। मैंने इस केस को समझने की कोशिश की और मेरा दावा है कि जिस तरह से मेरी आंखें खुल गयीं, जिस तरह से मुझे वाकयात मालूम हुए, अगर मेरे मित्र राजनारायण जी को मालूम हो, वह भी खोज करते तो उनकी भी आंखें खुल गयी होतीं और कभी भी इस केस को आगे नहीं रखते। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष की जिम्मेदारियां शासन की जिम्मेदारियों से किसी तरह से कम नहीं हैं। उनके ऊपर भी यह प्रतिबन्ध है। वह जो चाहें यहां बहस कर सकते हैं लेकिन ऐसे एतराज और ऐसी नीति का समर्थन विरोधी पक्ष भी कभी नहीं कर सकता है। यदि शासन का सूत्र उसके हाथ में आये तो उस समय वह उसको पूरा न कर सके। तो जहां विरोधी पक्ष को और सब बातें कहने का अधिकार है वहां ऐसा प्रतिबन्ध भी है। आज यह केस उनके सामने रखा गया है, मैं उसके संबंध में कुछ वाकयात की ओर आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुप्ता बलिया में मैजिस्ट्रेट थे। इसमें संदेह नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली नवयुवक हैं, निर्भीक हैं। सन् १९४२ में उन्होंने न्याय करने की चेष्टा की। सन् ४२ में बलिया में जब कि किसी भी अधिकारी के लिये, चाहे वह शासकीय हो या जुडीशियरी में हो, यह असंभव था कि वह कांग्रेस के साथ न्याय करे उसने कांग्रेस वालों के साथ न्याय करने की चेष्टा की और यह प्रशंसा का कार्य किया। इसक बाद उनका तबादला हो गया और उनका ट्रांसफर लखीमपुर खीरी में हो गया। वहाँ जाने के बाद उन पर तीन आरोप लगाये गये। यह सब बातें हमारी गवर्नमेंट के आने के पहिले की हैं और सन् ४४ में सस्पेन्ड और बरखास्त कर दिये गये। उसकी अपील उन्होंने गवर्नमेंट में की।

जब हम लोग जेल से छूट कर आये तो वह हम से मिले और अपनी बातें कहीं। मुझे उस आरोप के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं था और मेरा दावा है कि मेरे मित्रों को भी मालूम नहीं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप किसी केस के डिटेल्स में विशेष न जायं।

श्री रामसेवक सिंह--श्रीमान् जी, मैं और वाकयात को नहीं दोहराऊंगा, केवल उतना ही कहूंगा जितना कि आवश्यक है।

उस वक्त हम लोगों को जितनी जानकारी थी, मैंने समझा कि जिस तरह से सन् ४२ में ज्यादतियां हुयीं और उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस वालों से जरा भी हमदर्दी जाहिर की,

[श्री राधा मोहन सिंह]

उनको कुचलने का प्रयत्न किया गया, इसी तरह से गुप्ता जी को भी दबाने का प्रयत्न किया गया है और अन्याय हुआ है। इसलिये हमने इन प्रश्नों को उठाया। हमने इसे मुख्य मन्त्री तक पहुंचाया। मैंने जब ये बातें उनके सम्मुख रखीं तो उन्होंने यह शब्द कहे जो मुझे अभी तक याद हैं, "राधा मोहन यू डू नाट नो, आई नो"। अर्थात तुम नहीं जानते मुझे मालूम है कि वाक्या क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जांच करने की कोशिश की और मुझे मालूम है और स्वयं आपको उस फाइल से मालूम होगा, अगर आप उस फाइल को पढ़ने का कष्ट करें कि जब गुप्ता वहां मैजिस्ट्रेट थे, उनके इजलास में तीन मुकदमे लाये गये जिसमें इन्हीं वाकयात से तीनों में तीन कुमारियां मुलिजम की हैसियत से थीं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस वादविवाद को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता जिसमें कि कुछ व्यक्तिगत बातें हों।

श्री राधा मोहन सिंह--मैं अधिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो राजकीय बातें हैं और शासन को ऐसा रहना पड़ता है कि जनता को उसमें विश्वास हो। गम्भीर आरोप लगाये गये और फिर उसकी जांच की गई और जांच से यह साबित हुआ कि खीरी के लोगों की बात सही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी शासन, किसी भी व्यक्ति, जिसको ऊपर शासन की जिम्मेदारी हो उसके लिये क्या यह उचित है कि ऐसे आरोपों को नजर अन्दाज कर सके? जांच करने के बाद जब सब बातें मालूम हुयीं तो उस पर निर्णय किया गया। हमारे सामने यह नहीं था कि कोई व्यक्ति जिसने हमारे साथ में अच्छा सलूक किया हो, कांग्रेस वालों के साथ में हमदर्दी की हो, उसके लिये हम न्याय न करें। उसके ऊपर भी हमें न्याय करना है और न्याय बड़ी कठिन और निष्ठुर चीज है। न्याय हमें करना ही पड़ता है और मैंने बतलाया, अध्यक्ष महोदय, कि शासन में एक अधिकारी के लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि उसका चरित्र और उसके काम करने का ढंग अच्छा हो बल्कि यह भी आवश्यक है, जरूरी है कि वह ऐसा हो कि जिसमें जनता को विश्वास हो और जनता को जिसमें सन्देह न हो। हमारे यहां सदन में बड़े जोरों से विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ पत्रों को पढ़कर सुनाया। मैं कहना चाहता हूं कि एक शासक, एक मिनिस्टर क्या किसी मसले पर, किसी मामले पर इन पत्रों के आधार पर कैसले दिया करें। मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूं और मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन बातों के होते हुए भी सही और ठीक रास्ता उसने अख्तियार किया।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अगर किसी भी माननीय सदस्य को चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, अगर इन बातों के ऊपर जरा भी सन्देह हो, तो वह जाकर इन बातों की जांच करे कि खीरी में क्या हुआ। कोई भी माननीय एम० एल० ए० जिनकी बातें कही जाती हैं उन लोगों को पहले इन बातों की जानकारी नहीं थी लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को जानने का प्रयत्न किया उनका सन्देह मिट चुका है। हमारे प्रधान मन्त्री की यह राय कितनी ठीक थी कि ऐसे मामलों में हमको न्याय करना ही चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। विरोधी पक्ष का तो यह फर्ज होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह शासन की मजम्मत करे, उसकी गलतियों को बतलाये, और सही रास्ता दिखलाये ताकि वह गलतियों से बच सके, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि सही काम करने के लिये भी शासन की मजम्मत की जाती है, उसको गलत कहा जाता है, जब हम देखते हैं कि विरोधी पक्ष एक गलत आधार लेकर आता है और ऐसे ऐसे पत्रों की बातें पेश करता है जिनकी हम अवहेलना करते हैं तो मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष अपने कर्तव्य से विचलित होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मुझे निवेदन करनी है और वह अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। मैं यह जरूर समझता हूं कि अध्यापकों की तनख्वाहें कम हैं। मैं यह भी मानता हूं कि उनके ग्रीवांसेज बहुत कुछ सही हैं लेकिन मैं यह नहीं मानता कि सरकार इसमें कुछ कर रही है। अध्यापकों का सीधा सम्पर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से है और अगर हम सच्चे जनतांत्रिक राज्य का शासनसूत्र अपने हाथ में लिये हुए हैं तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हमको बार बार लोकल बाडीज के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो ऐसी बात है और दूसरी

तरफ लोकल बाडीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के काम में दखल देने की बात कही जाती है। अगर केवल राय देने की बात होती तो यह मैं समझता हूं कि इसमें किसी को जरा भी सन्देह नहीं है और हर एक व्यक्ति की यह राय है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायं। मैं यह कहने को तैयार हूं और विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोगों में कोई भी इस बात से सहमत नहीं है और हम भी सहमत नहीं हैं कि उनकी तनख्वाहें न बढ़ायी जायं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन तनख्वाह बढ़ाने के लिये धन की आवश्यकता है, और यदि हम उनसे कह दें तो हमें आज ही तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। एक तरफ हमने राष्ट्र की उन्नति करने और उसको ऊंचा उठाने का काम अपने हाथ में लिया है। एक तरफ यह कहा जाता है कि कर्मचारियों को उनकी लिविंग वेजेज नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जब टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं कि यह बजट जनता की कमर तोड़ने वाला है। मैंने पहले भी निवेदन किया है और करता हूं कि नेता विरोधी दल के पास ऐसा कोई नुस्खा है जिससे बिला कर बढ़ाये हुए अपनी बातों को पूरा कर सकें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य की नींव डाली और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा समय आयेगा जब कि हम जनता के स्तर को ऊंचा करेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ती होगी और हम इस काबिल होंगे कि हम जनता से और कुरबानियां करने के लिये आग्रह करें और जनता को ऊपर बढ़ायेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मेरा विश्वास है कि सौ रुपये से कम में कोई गुजर नहीं कर सकता।

जब मजदूरों के बारे में कहा जाता है तो मुझे दुःख होता है कि उसमें ट्रेड यूनियन स्प्रिट से काम लिया जाता है। यहां पर जो मजदूरों की बातें कही जाती हैं वह बिल्कुल ठीक हैं और उनमें एक सिद्धांत लागू होता है कि जो कुछ सम्पत्ति मिलों में पैदा होती है उसमें मजदूरों का अंश होता है वहां जो कुल आमदनी होती है उसपर सिर्फ पूंजीपतियों का ही अधिकार नहीं है बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा अंश मजदूर भी कल्टीवेट करते हैं और अगर मजदूर उसमें का एक अंश मांगते हैं तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। उसका यह हक है और उसे यह मिलना चाहिए। मगर वही बात सरकारी कर्मचारियों में लागू नहीं होती। सरकारी कर्मचारियों का जो केस है वह भिन्न है। फिर भी सरकारी कर्मचारियों को हमें आगे बढ़ाना है मगर आज हमारे पास रुपया नहीं है। जो कोई भी सरकारी काम करते हैं उनको यह जानना चाहिए कि सरकार के जरिये से जो अमनोआमान कायम होता है और जो व्यवस्था कायम होती है और जो सैकड़ों समाज को ऊंचा उठाने के लिये काम करते हैं उन सब से वह लाभान्वित होते हैं। केवल यह नहीं है कि वे जो तनख्वाहें पाते हैं उनमें उनकी मजदूरी खत्म हो जाती है बल्कि वह समाज के जरिये से, शासन के जरिये से और और तरीकों से लाभान्वित होते हैं, यह भी उनको नहीं भूलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी समाज में गवर्नमेंट न भी हो तब भी लोग वालन्टरी तरीके से काम करते हैं, यही मूल सिद्धांत है और शासन की यही नीति है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि शासकीय कर्मचारियों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। विरोधी पक्ष की भी इसमें जिम्मेदारियां हैं और उनको समझना चाहिए कि कल अगर शासन सूत्र हमारे हाथ में आयेगा तो हम क्या करेंगे। अगर अनुशासनहीनता कर्मचारियों में बढ़ जाय तो इसके क्या माने हैं ? इसके माने यह हैं कि कभी एक स्टैबिल सरकार कायम नहीं हो सकती, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे वह सोसलिस्ट सरकार हो और चाहे वह कम्यूनिस्ट सरकार हो, उसके लिये शासन का काम चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव सा हो जायगा। इसलिये हर समाज में हर वक्त ऐसी बातें हुआ करती हैं और हम सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक भिन्न स्तर ही है और एक भिन्न ही उन पर सिद्धांत लागू होता है और उनका हमें ख्याल रखना चाहिए।

चाहे अध्यापक गण हों, चाहे पटवारी हों, उन सबके प्रति कांग्रेस को ख्याल है और हम यह भावना रखते हैं कि आज वे जरूर तकलीफों से गुजर रहे हैं। लेकिन हर राष्ट्र के लोग जब वह अपने को बनाने में लगा होता है तो तकलीफों से गुजरते हैं। अगर आप रूस में जावें, मैं वहां गया तो नहीं हूं

[श्री राधामोहन सिंह]

लेकिन जो लोग वहां हो कर आये हैं उनके बयान मैंने पढ़े हैं। वहां यह होता है कि दो तरह की दूकानें वहां थीं जबकि वहां पंचवर्षीय योजना चल रही थी। एक तो मोटे कपड़े और खाने की थी जिनसे गरीब वाले चीज लेते थे और दूसरी विदेशियों के लिये बढ़िया चीजों के लिये दूकानें थीं। हर मुल्क जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिये लाजिमी है कि इन सिद्धांतों पर चले। उसके बाद वह दिन आयेगा जबकि हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा और हम अपनी तनख्वाहों को बढ़ावेंगे और उसका फल हमें मिलेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे लोग राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देंगे।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हैं। उन्होंने हमारे यहां के संघ के और राज्यों से तुलना भी की और यह दिखाने की चेष्टा भी की कि यहां प्राइमरी शिक्षा पर बहुत कम खर्चा किया जाता है। उन्होंने बतलाया कि हमारे कुल खर्च का केवल १.१ प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर खर्च किया जाता है। हमने चालू वर्ष के बजट में ही देखा कि सरकार की ओर से २० लाख ६७ हजार रुपया इस खर्च में दिया गया। ३६७ लाख रुपया केवल प्राइमरी शिक्षा के लिये लोकल बोर्डों को दिया गया। इन दोनों को जोड़ कर ३८७ लाख ६८ हजार रुपया होता है जबकि गत साल में हमारा खर्चा केवल ६६ करोड़ के करीब था। यह लगभग ५.७५ प्रतिशत होता है। इतना तो हम अपनी आमदनी से खर्च करते हैं इसके अलावा लोकल बोर्ड की आमदनी से भी खर्च होता है। उसको हम न भी गिनें तो करीब ४ करोड़ रुपया हम केवल प्राइमरी शिक्षा पर खर्च करते हैं। अगर आने वाले साल के बजट को हम देखें तो ३७५ लाख रुपया हमने इस मद में रखा है लोकल बोर्डों के लिये और १४ लाख रुपये की वह रकम है जो सरकार की ओर से प्राइमरी शिक्षा के लिये थी और अब वह लोकल बोर्डों के अधीन चली गयी है। इस तरह से ३९० लाख रुपया इस समय हम प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमारा खर्चा ५.५ प्रतिशत आता है। इसलिये विरोधी दल के नेता का यह कहना ठीक नहीं है। हमारा खर्चा १.१ प्रतिशत ही है। मुझे विश्वास है कि अगर इन आंकड़ों की और जांच की जाय तो ऐसी गलतियां और मिलेंगी। मैं यह आशा करता हूं कि कोई भी सदस्य जब आंकड़े पेश करते हैं तो कम से कम वह यह जरूर बतावें कि वे आंकड़े उन्होंने कहां से लिये हैं। तब सही और गलती की जांच कर सकते हैं और उससे सही इम्प्रेशन काम कर सकते हैं। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह जब आंकड़ों को कोट करें तो गलत इम्प्रेशन उनसे पैदा करें। मैं आशा करूंगा कि आइन्दा इसका खयाल किया जायगा।

इसके अतिरिक्त हमारे मित्र माननीय बालेन्दु शाह जी ने श्रमदान के सम्बन्ध में कहा था। आपने उसके सिद्धांत को मानते हुए कहा कि उनको डर है कि हम इससे बहुत कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका यह भय बिल्कुल निर्मूल है। उन्होंने कहा कि गांव में बसने वाले को बहुत सा समय खेती और दूसरे कामों में लग जाता है और उनके पास समय की कमी है इसलिये वे श्रमदान में समय नहीं लगा पायेंगे। मुझे पहाड़ों की उतनी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं मैदानी इलाकों की बात कहता हूं और इसी को महात्मा जी भी और जो रूरल इकानामी की जानकारी रखने वाले लोग हैं कहते हैं कि गांवों में जो बसते हैं उनके पास अपने कामों के अलावा बहुत सा समय फालतू रहता है और उसको वह बैठकर बेकार काटते हैं। इसी वजह से महात्मा जी ने चरखे के लिये कहा था कि उस फालतू समय में चरखे में अपना श्रम लगाकर थोड़ा धन पैदा कर सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसान के पास समय की कमी नहीं है। उनके पास बहुत समय है और इसके अलावा किसान इस बात का आदी भी है कि वह फुरसत के समय अपने साझी गांव के कामों में भी सहयोग करता है। इसलिये भी वह श्रमदान के काम में दूसरे के लिये नहीं अपने राष्ट्र के लिये समय दे सकता है और अपनी जानकारी की बिना पर मैं निस्संकोच निवेदन कर सकता हूं कि गांव के लोग खुशी के साथ श्रमदान करने के लिये तैयार हैं। उनको महसूस हो गया है कि केवल सरकार पर निर्भर रह कर उनका सारा लाभ नहीं हो सकता है और

उनको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और उनकी इस भावना से हम लाभ उठाना चाहते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इसी भावना के बल पर हमें कामयाबी होगी क्योंकि यह बहुत ही सामयिक है। सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के काम में उनका हाथ हो और अब किसान को खुशी होगी कि राष्ट्र–निर्माण के काम में उनका भी हाथ है और इसलिये मैं कहता हूं कि श्रमदान के सम्बन्ध में कोई भय और आशंका की बात नहीं है। उसके जरिये से हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। यह मैं नहीं कहता कि श्रमदान के ऊपर ही सरकार की सारी नीति और सारा कार्य निर्भर रहे लेकिन मैं कहता हूं कि श्रमदान के जरिये से बहुत सा काम जिसके लिये रुपया हमारे पास नहीं है पूरा हो सकता है। अभी हमने अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से बात की। उनका कहना था कि २ करोड़ स्क्वायर फीट मिट्टी केवल एक सप्ताह में वालन्टरी लेबर के जरिये से फेंकी गयी। गांव के अन्दर और कितना ही काम हुआ। लेकिन इतना ही काम एक हफ्ते के अन्दर बहुत हुआ। तो अगर हमने गांवों के अन्दर काम को चालू किया तो इसमें सन्देह नहीं है कि साल भर में करोड़ों रुपये का काम हम श्रमदान के जरिये से कर सकते हैं और हमें इस पासिबिलिटी को ओझल नहीं करना चाहिए।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में है। कल मैंने जब पूर्वी जिलों में रिहन्द बान्ध का जिक्र किया था तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पूर्वी जिलों का नाम न लिया करो। मैं कहता हूं कि पूर्वी जिलों का नाम जब मैं लेता हूं तो मेरे दिमाग में पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कम्पिटीशन की कोई बात नहीं रहती। लेकिन यह बात सही है कि पूर्वी जिले पिछड़ हुए हैं। लेकिन उसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले सब बातों में पिछड़े हुए नहीं हैं। पूर्वी जिले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनको अपनी मिसालें हैं। मुझ बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इन मसलों को अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने सही अध्ययन किया है। हमारे मसले सरकार के और विभागों से भिन्न हैं। हमारे यहां बाढ़ें आती हैं। यही वजह थी कि हमारे यहां पिछले वर्षों म कोई उन्नति का काम नहीं हुआ है। आज हमारा ख्याल है कि हमारे मसलों को ठीक तरह से समझा जायेगा और उन पर ध्यान दिया जायगा। मैं आशा करता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां का जिक्र मैं कर रहा हूं वहां विशेषकर बाढ़ की समस्या है। जब तक हम इसका हल करने का प्रयत्न नहीं करेंगे और वाटर लागिंग को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे तब तक हम इन क्षेत्रों की उन्नति का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन काम ऐसे हैं जिनको हम बाढ़ वगैरह की समस्या को हल किये बिना भी कर सकते हैं। सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं।

पहली बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की सड़कों की उन्नति के बिना नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब बाढ़ आ जाती है तब बहुत से मजदूर जो अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं वह बेकार बैठ जाते हैं। ऐसी सूरत में काटेज इन्डस्ट्रीज को इन क्षेत्रों में कायम किया जाय जिससे वह अपने समय का उपयोग करके अपनी आमदनी का जरिया पा सकें। मैं यह चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में इस बात का प्रयास किया जाय कि काटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया जाय और साथ ही वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया जाय तो जो माल वहां बनेगा वह उनके जरिये बिकने के लिये बाजार में आ सकेगा। यह इन क्षेत्रों की उन्नति के जरिये हो जायगे। मैं चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे बाढ़ रुक सके तो यह दोनों काम हो जाने चाहिए जिनका कि मैंने जिक्र किया है।

इसके अलावा कुछ बन्धियां बनाई जायं। हमारे प्रान्त में और बहुत से काम हो रहे हैं, सिंचाई के लिये ट्यूब वेल और बन्धियों को बनवाने, काटेज इन्डस्ट्रीज की स्थापना और सड़कों का विकास, यह मामूली कार्यक्रम मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। यह बहुत मामूली सी बातें हैं और इनमें बहुत रुपयों की भी जरूरत नहीं होगी और बिना बाढ़ को रोके हुए भी हम इन क्षेत्रों का उन्नति कर सकते हैं और तमाम बातें जो कही जाती हैं उनको दूर कर सकते हैं।

[श्री राधामोहन सिंह]

अब मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि चाहे बजट सुन्दर से सुन्दर हो, हमारे आदर्श ऊंचे से ऊंचे हों और हमारी इच्छायें कितनी ही बड़ी हों लेकिन कामयाबी कभी नहीं हो सकती है जब तक हमारे काम में जनता का सहयोग न हो। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वादविवाद हो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें चाहिए कि वह सरकार को मौका दें, और इस अग्रगामी बजट में जो बातें कही गई हैं उनको सुनने और समझने के बाद सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वह हाथ बटाएं। अगर हम जनता को उठा सकें, जनता का ध्यान आकर्षित कर सकें, और जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें तो आप देखेंगे कि मार्च, १९५३ में जो आज देश की हालत होगी वह सन् १९५४ के मार्च में नहीं रह जायगी। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जायगा और हम इस काबिल होंगे कि जो आज कमियां हैं, जैसा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया है कि आज बहुत सी कमियाँ है, उनको हम पूरा करनेमें सफल होंगे। हमें अपने साधनों के अन्दर ही काम करना है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो आज कमियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अन्त में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जब हम अपने क्षेत्रों में जायं तो हम जनता में इस बजट का प्रचार करें। हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि यह प्यूपिल्स बजट तभी होगी जबकि आम जनता समझे कि इसमें हमारा भी कुछ है और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी का दावा सही है, १६ आने सच है कि हमारे राष्ट्र के बसने वाले नागरिकों में सबका कुछ न कुछ अंश है। इसलिये यह बजट वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करने वाला है, इसलिये इसको जनता में पहुंचाने का हमारा कर्तव्य होता है। आखिर में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बजट सेशन के बाद जब हम अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में जायं तो जनता में बजट का प्रचार करें और हमारे यहां जो काम हो रहे हैं उन कामों की कामयाबी और सफलता यही होगी कि हम सबके सब सहयोग करें और प्रान्त की उन्नति में अपना हाथ बटाएं।

श्री अध्यक्ष---क्योंकि बहुत से सदन के माननीय सदस्य बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं इसलिये भाषणों का समय निश्चित होना आवश्यक है तो साधारण रूप से मैं आज के लिये यह निश्चित करता हूं कि हर एक सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जायगा लेकिन माननीय नेता सदन अपने सरकारी पक्ष के किसी एक सदस्य के लिये समय अधिक लेना चाहें तो वे मुझे पहिले से सूचना दे दें, तो उन्हें १० मिनट का समय और दे दूंगा यानी उनको २५ मिनट का समय दे दिया जायगा। इसी प्रकार से विरोधी दल के नेता भी यदि मुझे पहिले से बता दें तो उनके पक्ष के एक सदस्य को भी मैं १० मिनट का अधिक समय दे दूंगा, लेकिन इसकी सूचना मुझे पहिले से दी जानी चाहिए। जितने मन्त्रिगण हैं, वे तो आज बोलेंगे नहीं, कल बोलेंगे, उनके लिये मैं कोई समय का बन्धन नहीं रखना चाहता क्योंकि उनको बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अतः मुझे वे सूचना देदें कि वे कितना समय लेना चाहेंगे ताकि मैं कल के लिये कुछ निर्णय कर सकूं। आज के लिये तो यही निर्णय रहा कि साधारणतया सदस्यों को १५-१५ मिनट तथा दो सदस्यों को २५-२५ मिनट दिये जायेंगे। यदि सूचना समय पर मिल गयी तो ठीक वरना मैं निश्चय करके समय दे दूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, मैं समय के विषय में पूछना चाहता था कि क्या मुझे ज्यादा समय दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष---अगर वे नहीं देंगे तो आपके भाषण के बीच में मैं इसके बारे में सोच लूंगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जो वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में कुछ नहीं, वह तो निश्चय हो चुका कल के बारे में भाषणों को देखकर और हिसाब लगाकर ही समय तय किया गया है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, बजट के विषय में कल से जो वादविवाद चल रहा है, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वादविवाद कुछ उसी सिलसिले में प्रतीत होता है जो महामान्य राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ हुआ था। हमने यह भी देखा कि बजट के आर्थिक पहलुओं की ऊहा पोह करते करते हमारे कुछ माननीय सदस्यों को आंकड़ों से कुछ प्रेम अनायास ही उत्पन्न हो गया और उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि बहुत से आंकड़ों को सभा-भवन के सामने उपस्थित करके यह साबित करें कि सरकार ने जो हिसाब या बजट प्रस्तुत किया है उसमें भूलें हैं। उसमें बहुत सी चीजें या तो छिपाई गयी हैं या ग़लत बतायी गयी हैं और यह कि वास्तव में सूबे की जो माली हालत है वह पहले से ज्यादा गिर गयी है। एक वर्ष या एक वर्ष से कुछ कम हुआ जब मैंने इस बजट के विषय में कुछ निवेदन किया था और मुझे इस बात का संतोष और हर्ष है कि उस समय सभा के सम्मुख जो दो तीन बातें मैंने रक्खीं थीं वे स्वीकार कर ली गयीं।

पहले तो मैंने इन्कम टैक्स के विषय में डिवीजिबिल पूल के बारे में कहा था। मैंने आज जब इस बजट को उठाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस सूबे की हालत केवल सुधरी ही नहीं है बल्कि अधिक ठोस और दृढ़ रूप में इस सूबे की माली हालत में सुधार हुआ है और जब मैं यह निवेदन करता हूं तो मैं आवेश के साथ कहता हूं कि यहां विरोधी पक्ष के नेता से लेकर जो सभी लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे चाहता हूं कि वे और सूबों के बजट को उठा कर देख लें। भारतवर्ष का यह सब से बड़ा प्रदेश है और यह प्रदेश सबसे अधिक आमदनी वाला और खर्च करने वाला भी है। तो ऐसे प्रदेश का बजट जब हमारे सामने आता है तो और सूबों के बजट से इसका मुक़ाबला करना जरूरी होता है और जब यह चीज जरूरी होती है तो श्रीमन् उसके साथ में उन्हें यह भी बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पर समूचे मुल्क की जो कुछ आम हालत होगी, उस पर बहुत कुछ असर पड़ेगा। १२ महीने के भीतर भारतवर्ष की दुनिया बहुत कुछ बदल गयी है। हमने एक वर्ष के भीतर अपना काम बहुत आगे बढ़ा लिया है। कल माननीय राज नारायण जी ने स्थूल शरीर और तीव्र बुद्धि की बात कही थी। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शरीर के भारी भरकम होने और दिमाग़ के कमजोर होने का सम्बन्ध है, दोनों प्रकार के शरीर वालों की विचार धारा में अन्तर होता है। माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी का भाषण मैंने पढ़ा था जो उन्होंने प्रेसीडेंट के भाषण पर दिया था और मुझे बड़ा सन्तोष और हर्ष हुआ इस बात को देखकर कि उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी कि साल भर के अन्दर बहुत कुछ काम हुआ है। उन्होंने कहा था "आई एम हैपी" (मुझे प्रसन्नता है)। लेकिन मुझे दुख है यह देखकर कि यहां प्रशंसा का एक शब्द भी हमारे सामने नहीं आया। मुझ यह भी देखकर दुख हुआ जब श्री राज नारायण जी ने यह कहा कि पंच-वर्षीय योजना तो एक पार्टी की योजना है। पंचवर्षीय योजना केवल दो ही रूप में बन सकती है। या तो डिक्टेटरशिप के जरिये जबरदस्ती काम करा कर योजना सफल करायी जाती है या सबके सहयोग से योजना सफल करायी जाती है। मैंने श्री अशोक मेहता के प्रवचन को भी पढ़ा है जबकि उन्हें दिल्ली बुलाया गया था; इस वास्ते कि सब लोग बैठ कर पंचवर्षीय योजना के लिये अपनी सलाह दे सकें। उस समय उन्होंने कहा था कि पंचवर्षीय योजना अच्छी चीज है, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय राज नारायण जी ने उसे एक पक्षीय सरकारी योजना बतला कर अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा कही हुई बातों को ही झूठा साबित कर दिया।

श्रीमन्, हम इस बात को भूल नहीं सकते कि साल भर के अन्दर हमारे यहां बहुत कुछ चीजें बढ़ गयीं। भारतवर्ष में जो कुछ उन्नति हुई है उसका असर हमारे प्रदेश पर भी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बहुत कुछ पड़ा है। सूती व्यवसाय हमारे यहां का बहुत बड़ा व्यवसाय है। हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इस वर्ष ६ लाख हजार गज कपड़ा ज्यादा बना. हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में १ लाख हजार गज सूत अधिक तैयार हुआ, हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में १०० लाख टन कोयला निकाला गया, इस तरह से उत्पादन के हर मामले में हम बहुत कुछ आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या मुद्रा विस्तार की थी। हम देखते थे कि रुपये की ताक़त बहुत गिर गयी थी लेकिन आज हम देखते हैं और यह देखकर हमें सन्तोष है कि जहां सन् ५१ दिसम्बर में १,२०० करोड़ से ऊपर मुद्रा प्रचलित थी वह अब २०० करोड़ घट कर १,००० करोड़ रह गयी है। इसका भी समाज पर बहुत कुछ असर पड़ेगा। श्रीमन्, पिछले साल के आंकड़ों को बिना समझे हुए उठाकर रख देने से काम नहीं चल सकता है। श्रीमन् यह बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि देश में किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। पर परिस्थिति क्या है। आज जो उद्योग और व्यवसाय में लगे हुए हैं उनसे जितना भी चाहें वसूल कर लें, नौकरी पेशा के लोगों से जितना भी चाहें वसूल कर लें लेकिन ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी उत्तर प्रदेश की है जिसमें केवल ३१ लाख आदमी ऐसे हैं जोकि कामर्स या व्यापार में लगे हुए हैं और ६६ लाख ७८ हजार आदमी ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं। इसके अलावा ४ करोड़ ७६ लाख आदमी देहात के अन्दर हैं। इसी तरह से श्रीमन् मद्रास को देख लीजिये और मद्रास से भी तुलना कर लीजिये। ५ करोड़ ७० लाख की आबादी वाले मद्रास में मेरा ऐसा अनुमान है कि क़रीब क़रीब ३ करोड़ ६० लाख देहाती भाई हैं और ३८ लाख आदमी ऐसे हैं जो व्यवसाय में लगे हुए हैं और ८१ लाख ८१ हजार आदमी नौकरी पेशा हैं। बम्बई की आबादी ३ करोड़ ५६ लाख है जिसमें नौकरी पेशा वाले २७ लाख हैं और ५३ लाख आदमी व्यवसाय में लगे हुए हैं तो इस अनुपात को देखते हुए हमारे प्रदेश की आबादी इतनी अधिक होते हुए भी नौकरी पेशा में लगे हुए तथा उद्योग व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या इतनी अधिक कम है तो आखिर कोई भी सरकार कोई भी काम करना चाहे तो कम भार जिसके ऊपर पड़ेगा? ३१ लाख आदमियों को पीस डाला जाय और ६६ लाख आदमी जो नौकरी में लगे हुये हैं उनको भी निचोड़ डाला जाय तो उससे कितना रुपया प्राप्त होगा। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यहां पर बड़ी तनख्वाह पाने वालों की तादाद ज्यादा है और उनकी तनख्वाह में कमी की जा सकती है। मैं माननीय राजनारायण जी को और इधर बैठने वाले मित्रों को जिनके दिमाग में कुछ खुरपेंच इसके बारे में हो, यह बता देना चाहता हूं कि २० जून सन् १९५२ ई० के "नेशनल हैरल्ड" में कुछ आंकड़े छपे थे कि २ लाख ४० हजार आदमी सरकारी नौकरियों में लगे हैं जिनके ऊपर २१ करोड़ और कुछ लाख रुपया खर्च होता है साल भर में। इनमें से एक हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वाले ३३७ हैं और उनकी तनख्वाह पर ५०,५५,००० रुपया सालाना खर्च होता है। तो इन १ हजार से ज्यादा पाने वाले लोगों की तनख्वाहों में आप कितना भी कट कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा आध २५ परसेन्ट करेंगे तो इतने रुपये से कितना कल्याण होने वाला है? आखिर आमदनी और खर्च के भी ऐसे आंकड़े होते हैं, इधर २, ३ वर्ष पहले का हिसाब लगाया गया है तो समूचे देश के संगठित उद्योग-धंधे से जो आय हुई है वह ५ अरब ४० करोड़ है। कृषि से आमदनी करीब १८ अरब ५३ करोड़ रुपये थी। कोई भी देश जहां पर किसी भी प्रकार का शासन हो वहां पर निस्संदेह कुछ ऐसा नहीं होगा कि किसानों के ऊपर, देहात के ऊपर बोझ अधिक न पड़े। ५ अरब और १८ अरब में बहुत बड़ा अन्तर है। फिर बहुत कुछ दूसरे देशों की बात कही जाती है। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं, अब इसका कुछ यहां पर तज्किरा किया गया था। जैकोस्लेवकिया को वेलफेयर स्टेट कहा गया जहां पर देखते पार्टीबाजी के कारण अभी वहां के लीडर को एविक्वयूट कर दिया गया था। बलगेरिया को वेलफेयर स्टेट कहा गया [illegible] पर डिफेन्स मिनिस्टर को अपने उनके दफ्तर में काम करते हुये गिरफ्तार किया गया।

एक सदस्य--उनके खिलाफ चार्जेज क्या थे ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--यह तो आपको ही मालूम होगा। आंकड़ों को ग़लत प्रकार से पेश करना चाहें, वह किसी भी स्टेट के हों, बहुत ग़लत चीज़ है। रूस की बात को ले लीजिये कि वहां पर सरकार की आमदनी क्या है, ६० परसेन्ट सेल्स टैक्स देते हैं और उसको भी वैल फेयर स्टेट कहा जाता है। मैं इसके लिये दावत देता हूं कि आंकड़े पेश किये जायं कि क्या किसी देश में ६० परसेन्ट की आमदनी सेल्स टैक्स से होने पर उसको वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है ? मैं यह समझता हूं कि यह एक सिद्धान्त की बात है, आखिर जो भी प्रजातंत्र राज्य होता है वह सब का राज्य होता है और सब की विचारधारा का उसमें हिस्सा होता है। मैंने वे आंकड़े देखे हैं, जो आंकड़े हमारे सम्मुख पेश किये गये हैं। उनको देखने वालों को कुछ दूसरे पिछले आंकड़ों को भी पढ़ लेना चाहिये। यह आंकड़े जो श्रीमन्, यहां पर पेश किये गये हैं बहुत ही स्पष्ट हैं। जो वार्षिक बजट यहां पर पेश किया गया है उसके अन्दर ७८ करोड़ रुपये राज्य की आमदनी और खर्च बतलाया गया है। १२ करोड़ की आमदनी वाले राज्य से यहां का मिलान करने से काम नहीं चल सकता है। इन्टर नेशनल कोड आफ स्टैटिस्टिक्स ने बतलाया है कि आम पर्सेंटेज ठीक नहीं होता। ७२ कन्ट्रीज की मिसाल लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कम्यूटेशन बहुत मुश्किल है। इसमें ग़लती हो सकती है। इसलिये ठोस चीज को लेना चाहिये और वास्तविकता को ले लेना चाहिये और परसेन्टेज पर नहीं जाना चाहिये। अगर परसेन्टेज पर हम जाते हैं तो हमको ऐसी चीज मालूम होती है कि जिनमें कठिनाई होती है।

मैं अपने विरोधी दल के नेता को यह बतलाना चाहता हूं कि एक इन्डैक्स आफ पर्सनल कंज़म्पशन एण्ड एक्सपेंडीचर ऐन्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर निकाला गया। भारतवर्ष में इसका इन्डैक्स सन् १९३८ ई० को १०० रुपये के बराबर मानकर सन् १९५१ ई० में भारतवर्ष में इन्डैक्स निकाला गया वह सन् १९३८ ई० के मुक़ाबले में सन् ५१ में २९४ रुपये आता है। जिन देशों की विरोधी दल द्वारा तारीफ की गई है, जो देश कि हमारे २, ४ ज़िलों से ही बन सकते हैं उनमें स्वेडन की तारीफ की गई। वहां का इन्डेक्स केवल २४७ है और श्रीमन्, फ्रान्स का भी कल ज़िक्र किया गया। मुझे आश्चर्य है एक इस महायुद्ध के बाद फ्रान्स में कम्युनिस्टों का वर्गवाद चला और उसके बाद सोशलिस्ट शासन हुआ। इटली में भी यही हुआ और इन दोनों देशों का आज आर्थिक संतुलन बेहद बिगड़ गया है। अगर आप फ्रान्स के इनडेक्स को देखें तो वह २९० तक पहुंच गया है और इटली का ५०२० तक चला गया है। आप यक़ीन मानें कि वहां दोनों जगह आज त्राहि-त्राहि मची हुई है। अगर आप गुलाम जापान की तरफ देखें तो वहां इंडेक्स १५,५२० तक पहुंच गया है। इसलिये इस कम्युटेशन से कोई फायदा नहीं हो सकता। मुझे याद है, शायद २ मार्च सन् १९५१ को माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने, जो हमारे मुख्य मंत्री हैं एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने इस राज्य की जनता की आमदनी बतलायी थी और उस आमदनी को बतलाने के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि सन् ४६-४७ के मुक़ाबले में सन् ४८-४९ में २०० करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ गई है और आज भी वह क़रीब १,६०० करोड़ रुपये के जाकर पड़ेगी। यानी फ़ी व्यक्ति पीछे २५५ रुपया होगा। इस आमदनी में से अगर सर्विसेज का औसत निकाल दिया जाय तो एक आदमी ३ रुपया देता है और अपने देश की सेना पर ५ रु० देता है। रूस भी एक बहुत बड़ा देश है और वहां २ खरब रुपये की नेशनल इनकम है तो वहां पर १,१११ रुपये फ़ी व्यक्ति की आमदनी है जिसमें से ६५० रुपया सेना पर चला जाता है और ६० प्रतिशत सेल्स टैक्स पड़ता है। तो इस प्रकार की तुलना में हमें न पड़ना चाहिये। यह एक बहुत ही विशाल समस्या है और मैं चाहता हूं कि हमें इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। बजट बनाने से और आंकड़े सजाने से ही काम नहीं चलता। पिछले साल की ४ जून की बात है कि श्री देशमुख केन्द्रीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि लेबोरेटरी एक्सपेक्टेशन ग़लत होता है। उन्होंने यह बात खेती के विषय में कही थी।

श्री अध्यक्ष—आप के १५ मिनट हो चुके हैं और अब आप को और दस मिनट में ही खत्म करना है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—हमने १२१ करोड़ की पंचवर्षीय योजना बनाई है और उसमें से ४२ करोड़ रुपया हम इस साल खर्च करना चाहते हैं और ८० करोड़ रुपया बाद में खर्च करना चाहते हैं। मैं निहायत अदब के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस रुपये की सब से बड़ी गुंजायश जो उनके दिमाग में या गवर्नमेंट के दिमाग में और केन्द्रीय सरकार के दिमाग में है जो ६५५ करोड़ रुपये के डेफीसिट फाइनेंस की उम्मीद रख कर चलती है वह प्राइवेट सेविंग्स से है। आखिर वह कितनी होगी बूम के जमाने में, जब कि लड़ाई का जमाना था और काफ़ी आमदनी थी तब औसतन २५० रुपये साल की प्राइवेट सेविंग होती थी। लेकिन आज वह सेविंग कैसे हो सकती है? अब उत्तर प्रदेश में सेविंग की क्या गुंजाइश है? कोई ऐसे चेनेल्स पैदा नहीं किये गये कि जिससे यहां का रुपया बाहर जाने से रुका रहे। क़रीब २०० करोड़ रुपये का सामान उत्तर प्रदेश बाहर से खरीदता है, इससे प्रदेश ग़रीब ही होता जाता है। इसकी रोकथाम होना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष के इन्श्योरेन्स प्रीमियम से २१६ करोड़ की आमदनी होती है और उसमें से लगभग ३० करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश से बीमा की क़िस्तों के रूप में बाहर चला जाता है। इसमें से एक पैसा भी हम ऋण के रूप में प्राप्त नहीं होता न हमने उसको प्राप्त करन की चेष्टा की। इन्कम टैक्स से ज्यादा उम्मेद न करना चाहिये क्योंकि उससे भारत सरकार की आमदनी केवल १८० करोड़ रुपया है और उसमें से आधा यानी क़रीब ७०-८० करोड़ के रुपया बम्बई तथा बंगाल की तरफ प्राप्त होता है। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बचता है उसमें हमारा कान्ट्रीब्यूशन करीब ७ या ८ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश का है। जब ७-८ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूट करता है उससे क्या अधिक मिल सकेगा? उसके बाद जो हम और आशा करते हैं उसके लिये हमारे पास कौन सी पोटेंशियलिटी है, जिस पोटेंशियलिटी से वास्तव में हम सेविंग कर सकें। उसकी गुन्जाइश भी तो कुछ होनी चाहिए और उस गुन्जाइश के बारे में यदि मनी मार्केट के बारे में हम चौकन्ने नहीं होंगे तो यह होते हुए भी कि उत्तर प्रदेश का बजट भारतवर्ष के सभी प्रदेशों के बजटों से ठोस और दृढ़ है और स्ट्रांग है हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकें। इसी वास्ते सोशल सर्विसेज तथा सिक्योरिटी सर्विसेज की बात जो राजनारायण जी ने कही थी, मेरे पास अवकाश नहीं है वरना मैं उसी रिपोर्ट से जो उन्होंने पढ़ी थी, यह साबित कर देता कि उसके समझने में उनसे भूल हो गयी।

समय नहीं है, इसलिये मैं अब पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस ८० करोड़ रुपये की गुन्जाइश कहां से होगी। सेल्स टैक्स की आमदनी थोड़ी सी बढ़ने से तो विशेष कल्याण नहीं हो सकता। रुपये की कोई गुन्जाइश नहीं हो सकती। एक तो हमारे सेल्स टैक्स विभाग का सेल्स टैक्स वसूल करने का तरीका अनसाइन्टिफिक है। हमने इस बात की तशरीह ही नहीं की कि किन-किन साधनों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है और न हमने यही सोचा है कि किन-किन साधनों को बढ़ाने से आमदनी नष्ट भी हो सकती है। होंग और धनिये का रोजगार भी इसी अदूरदर्शिता के कारण बनारस या कानपुर से उठकर देहली चला गया, सेल्स टैक्स के कारण। हमको यह भी न करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में आने वाली कम्पनियां कलकत्ते और बम्बई में बैठी हैं क्योंकि यहां वह अपना हेड क्वार्टर नहीं ला सकतीं और इस प्रकार करोड़ों की आमदनी खत्म हो रही है। कोआपरेटिव इन्श्योरेन्श नाम की कोई चीज हमारे यहां नहीं है। इन बातों में हमको सुविधायें देने की आवश्यकता है। हमारे यहां का मनी मार्केट इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम प्राईवेट सेन्टर और प्राईवेट सेविंग को बढ़ा सकें। आज कितनी करेंसी है उसकी ४० प्रतिशत सेविंग्स हुआ करती है। सन् ५०-५१ में १२ अरब की करेंसी में ६ अरब का डिपाजिट था। आज हमारी १० अरब की करेंसी में साढ़े तीन अरब की सेविंग्स और वह भी हर प्रकार की होगी और उसमें उत्तर प्रदेश की सेविंग तो बहुत कम है। तो मैं पूछता हूं कि कौन सा साधन है जिससे हमारे वित्त मन्त्री यह समझते हैं कि अगले ३ वर्ष में ८० करोड़ रुपया पैदा कर देंगे?

मैं आपके समय पर विशेष आघात नहीं करना चाहता। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सम्भवतः मैं इस सदन के सामने रखता, उनकी रुचि और जानकारी होती और मुझे भी ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलता। अब मैं केवल इतना ही कहूंगा कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना हम सब का कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता कि श्री राज नारायण जी हमारे इस स्वाधीनता के सुप्रभात में पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही ऐसा प्रयत्न करें जो बालक की आत्मा पर नर्क के दुःस्वप्न के समान हो या चिन्गारी को बुझाने के लिये समुद्र का प्रवाह हो। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के नर–नारी इस योजना को सफल बनाने के लिये गवर्नमेंट को सहयोग प्रदान करें।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह लोक प्रिय सरकार बनी है तब से हमारे मुख्य मन्त्री और मंत्रियों ने जिस परिश्रम से और जिस कार्य कुशलता से कार्य किया है, मैं उसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैसे तो कोई भी लोक प्रिय सरकार हो, उसके अन्दर कुछ न कुछ खामियां, कमियां तो अवश्य ही होती हैं, लेकिन हमारे विरोधी बेन्च पर बैठे हुए मित्र जिस तरह का प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं और यह कहते हैं कि इस बजट से जनता की कमर तोड़ दी गयी, जनता बहुत परेशान है, किसानों पर सीधा हमला होता है। इस तरह की जो बातें करते हैं उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से जनप्रिय सरकार बनी है तब से हमारे उन बैन्चों पर बैठने वाले माननीय मित्र हमेशा इसी तरह का प्रचार करते आये हैं। बात यह है कि मैं अपने उन मित्रों को दोस्त समझता हूं और यह समझता हूं कि किसी भी सरकार के चलाने के लिये विरोध का होना आवश्यकीय है लेकिन अगर मैं उनकी जबान से कोई ऐसा शब्द सुनता हूं कि जिस में यह चीज होती है कि सरकार ने यह काम तो अच्छा किया है, लेकिन मैं देखता हूं और अपने मित्र की बात सुनता हूं तो उससे यह साबित होता है कि जो एक दो परसेंट कहीं विरोध की बात होती है उसे तो बढ़ाकर ९९ परसेंट तक वह बतलाते हैं लेकिन अगर ९९ परसेंट भी जनता के हित की कोई बात होती है तो कभी एक परसेंट भी बतलाने की वह इच्छा जाहिर नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने उन मित्रों की यह दशा समझता हूं जैसे कि एक थका हुआ पथिक दिशा भूल के भ्रम में हो जाता है और उसे हर चीज उल्टी ही दिखाई पड़ती है। यही हमारे मित्रों की दशा है। उन्होंने अब तक यह नहीं सोचा है कि जनप्रिय सरकार ने कुछ कार्य किये या नहीं किये, आज हमारे देश की शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई या नहीं हुई, जनता के रहन–सहन का स्टैन्डर्ड बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसको देखने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। मैं अपने मित्रों से यह कहूंगा कि जो आज से १५ वर्ष पहले का देहात था उसको और आज के देहात को जाकर वह देखें और देखते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तो यह दावे से कह सकता हूं कि जनता के रहन–सहन का स्टैन्डर्ड और जिनके बढ़ने की आवश्यकता थी वह बढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं और हमारे मित्र अगर साफ हृदय से देखें तो देहात के अन्दर यह सीमेंट और ईंट की इतनी ज्यादा जो माँग हो रही है वह कहां जा रहे हैं। आज से १५ वर्ष पहले हम देहातों में देखते थे शायद एक फीसदी भी मकान कोई पक्का बना हुआ दिखलाई नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर हम सच्ची आत्मा से कोई बात कहें और देखें तो मालूम होगा कि जनता का स्टैन्डर्ड कितना बढ़ रहा है। जिन गांवों में हम देखते थे कि दस–दस, पन्द्रह-पन्द्रह गांवों के अन्दर एक सायकिल भी नहीं दिखलाई पड़ती थी वहां अब प्रत्येक गांव के अन्दर कितनी ही सायकिलें खरीदी जा रही हैं। दूसरी और चीज इस तरह की फैन्सी कपड़े की मांग देहात के अन्दर आज कितनी हो रही है और भी ऐसी ही चीजें हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे देहात के अन्दर सब सुखी हैं और कोई और आवश्यकता अब उन्हें नहीं है। आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी। जनतन्त्र देश के लिये जितनी सम्पन्नता की आवश्यकता होती है उतनी अभी नहीं है, लेकिन पहिले से स्टैन्डर्ड बढ़ रहा है यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। बात यह है कि जहां तक जनता की भावना की बात है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने मित्रों से बतलाऊं कि किस तरह का

[श्री मिहरबान सिंह]

प्रचार हमारे मित्र करते हैं, अगर वह मित्र उस प्रचार को करते हुए जनता के हित को भी ख्याल में रखें तो हम समझते हैं कि हमारे देश का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। मुझे एक शक था कि जनता बहकावे में आ सकती है, वह हृदय से कुछ डरी हुई है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि जनता समझदार है, वह समझती है, हर चीज समझती है। अभी जनरल एलेक्शन के बारे में जनता की भावना का मुझे पता लगा। मैं अपने जिले के अन्दर अपने क्षेत्र के अन्दर एक देहात में एक ऐसी जगह पर गया, जहां कि मैं पहिले कभी नहीं पहुंच सका था और हर एक आदमी का पहुंचना वहां असम्भव भी है, न कोई रास्ता है और न कोई सवारी का प्रबन्ध। कोसों तक रेह और ऊसर के बीच में एक छोटा सा ग्राम था जिसमें कुछ हरिजन भाई रहते थे। वहां मुझे देखकर उन्होंने मुझे समझ तो लिया कि यह कोई कांग्रेसी हैं, लेकिन मैंने उनसे बतलाया कि भाई एलेक्शन हो रहा है और मैं वोट के लिये यहां आया हूं। पहले तो उन्होंने हमसे नाम पूछा और नाम पूछने के बाद एक भाई ने कहा कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं। आपके पास तो कांग्रेस का टिकट है, जिससे आप बड़ी अच्छी तरह से कामयाब होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं और न समझता हूं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से मुझे श्रद्धा है और हम लोग कल ही जा करके और कोशिश करके आपके वोट डलवायेंगे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई हम तो देखते हैं कि कांग्रेस को लोग गालियां देते हैं और आप यह कह रहे हैं कि हमारे अन्दर कांग्रेस की श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि यह तो कोई नई बात नहीं है, कभी कभी गालियां तो हम भी देते हैं जिस वक्त कि हम परेशान होते हैं, सरकारी कर्मचारियों से या किसी तरह से। अध्यक्ष महोदय, तो यह भावना जनता की है। इसके साथ ही साथ मैं अपने मित्रों से एक प्रार्थना अवश्य करूंगा और वह यह है कि आज जनता को जो कष्ट हैं वह राज्य कर्मचारियों की वजह से हैं, यह बिलकुल स्पष्ट है। हम देखते हैं कि उनकी भावना के अन्दर अभी बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जिनके अन्दर देश प्रेम है और उनके अन्दर यह भावना जागृत हुई है कि देश का निर्माण हो। परन्तु ज्यादातर ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जिनके अन्दर अभी यह भावना नहीं जाग्रत हुई है। मैंने एक डिपार्टमेंट को देखा जहां अभी ऐसे अफसर मौजूद हैं जो दो बजे के बाद दफ्तर पहुंचते हैं और केवल सिगरेट या सिगार सुलगा कर, तारीखें बढ़ा कर समय बिता देते हैं और सरकारी काम की परवाह नहीं करते। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर सरकार उनको सिर्फ बैठे रहने के लिये ही पैसा देना चाहती है यानी पेन्शन देती है तो उनको अलग रख कर ही सरकार पेन्शन दे ताकि सरकारी काम न बिगड़े। अध्यक्ष महोदय, हरएक डिपार्टमेंट में यही चीज है और सरकारी छोटे-छोटे कर्मचारी जो हैं वह जनता को इतना परेशान करते हैं कि बेचारे जरा जरा सी बात के लिये बीस बीस और तीस तीस मर्तबा दौड़ दौड़ कर आते हैं, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के दिलों में यह भावना नहीं पैदा होती कि उनको कितनी तकलीफ होती है। मैं अपने मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह राज्यकर्मचारियों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे जनता के कष्ट दूर हो सकें जो जनता को इस वक्त हो रहे हैं।

इसके अलावा मैं यातायात के साधनों के सम्बन्ध में भी कहूंगा कि सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कि होनी चाहिए। आज बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं हैं और वहां जनता को बहुत परेशानी होती है। मिसाल के लिये मैं आपको बतलाऊं कि हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट में भरथना के अन्दर कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां जीप होकर जा सकें। बरसात में रास्ता बिलकुल बन्द हो जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जो सड़कें कुछ बनी हैं उनकी हालत इतनी खराब है जो कही नहीं जा सकती। उन सड़कों के लिये हमने कई बार प्रश्न किया, माननीय मन्त्री जी से कहा कि ऐसी सड़कों की, जिनकी ४-५ साल से कोई मरम्मत नहीं हुई है, उनकी हालत इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आदमी रास पर से होकर के निकले तो निकलना मुश्किल है, गाड़ी और मोटर की बात तो जाने दीजिए। इन सड़कों से जनता को बहुत कठिनाई होती है और अगर उनके लिये डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से

कहा जाता है तो वह इसकी परवाह नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन कर्मचारियों को वह सचेत करें।

मैंने अभी आपके सामने पहली दिक्कत राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखी और दूसरी दिक्कत रास्ते और सड़कों की आपके सामने रखी। इसके अतिरिक्त तीसरी दिक्कत इस वक्त खास तौर से जो है वह किसानों को बीज की समस्या है। इस समय जो विशेष अन्न उपजाओ योजना चल रही है उसके लिये अच्छे बीजों की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अच्छे बीज मंगावें और वह पहिले टैस्ट कर लिये जावें। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा कि इटावा जिले के अन्दर महेवा विकास योजना के अन्दर ईख का बीज मंगाकर किसानों को दिया गया। जहां पहले २०-२५ मन गन्ना फी एकड़ उगता था वह १०-१२ मन भी नहीं हुआ। किसानों ने हमें बताया कि अबकी दफा सरकारी बीज इतना खराब था कि पहिले तो वह जमा ही नहीं और फिर मेहनत के बाद बहुत कम औसत पैदावार का आया है। इसी तरह कुछ सब्जियों के बीज आये और वह भी वहां के बीजों से काफी अधिक खराब निकले। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हम समझते हैं कि इससे देश का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है और देश का निर्माण हो सकता है।

श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया गया इसके लिये मैं सर्व प्रथम आपका आभारी हूं।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सन् १९५३-५४ का जो वितीय वर्षीय बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह एक ठोस, प्रगतिशील और सुन्दर बजट है। इसे देखने से प्रगट होता है कि वित्त मन्त्री जी ने यह जो कहा है कि यह बजट हर वर्ग का बजट है यह अक्षरशः सही है। इसमें सर्व प्रथम हमारे वित्त मन्त्री जी ने यह बताया है कि यह कल्याणकारी राज्य का बजट है। महामान्य राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में भी और कल भी यह प्रश्न उठा था कि यह कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया है, सबकी सुख शान्ति और उन्नति का है। कल्याणकारी राज्य के विषय में हमारे यहां एक उक्ति है "सर्वेऽन्त सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे च भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात॥" जिसमें सब सुखी हों, कोई रोगी न हो, जिसमें लोग सबका कल्याण चाहें और जिसमें कोई दीनावस्था में न हो। ऐसे राज्य के बजट का उद्देश्य हमारी सरकार का है।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और इसमें सब से अधिक किसान रहते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मन्त्री ने सबसे पहले हमारे यहां के किसानों की उन्नति के लिये ध्यान रखा है। इसमें २६ करोड़ रुपया किसानों को बीज और दूसरी चीजों के लिये रखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह कहा गया कि यह बजट किसानों और गरीबों का न होकर धनियों का है। ७९ करोड़ के बजट में २६ करोड़ किसानों के लिये खर्च किया जाता है तो फिर यह नहीं तो कौन सा बजट किसानों का होगा? अगर ऐसा कोई कहता है तो उसके लिये यही कहा जा सकता है कि उसकी बुद्धि विपर्यास हो गया है और वह ठीक बात को भी ठीक नहीं समझ रहा है। हमारे यहां किसानों की दशा जो पहिले थी उसको और अब को देखते हुए और हम सब लोग महसूस करते हैं कि उनकी दशा में क्रमशः उन्नति होती जाती है और जैसा हमारा ध्येय है जब हमारी पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायगी, हमारे किसान बहुत खुशहाल हो जायेंगे और उस समय हम अपने ध्येय पर पहुंच जायेंगे।

इसके बाद दूसरा स्थान बजट का शिक्षा में रखा गया है। शिक्षा सबसे आवश्यक वस्तु है। शिक्षा न हो तो हम किसी कार्य के न रह जायेंगे। इस साल भी हमारे बजट में ४७ लाख रुपये और अधिक व्यय शिक्षा पर किये जा रहे हैं। कल विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा बहुत कम है और बहुतसे आंकड़े भी दिये थे ट्रावनकोर, कोचीन आदि के। लेकिन वहां ४७ के पहिले भी प्राथमिक शिक्षा का बहुत प्रचार था। हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा तो, कांग्रेस सरकार जबसे आई है सन् १९४६ के बाद तबसे उसपर अधिक

[श्री रामअनन्त पांडेय]

ध्यान दिया जा रहा है। अगर इस समय के आंकड़े लिये जायं तो उसमें स्पष्ट मालूम होगा कि यह प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में किसी भी प्रदेश से नीचे नहीं है।

श्रीमान्, अभी एक सज्जन नें अखबार में निकाला था कि हमारा यह बजट केवल कच्चा माल पैदा करने के लिये बनाया गया है। लेकिन अगर देखा जाय तो इसमें औद्योगिक उन्नति के लिये बहुत प्रबन्ध किया गया है और जैसा माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है, कृषि की उन्नति के साथ-साथ औद्योगिक उन्नति की ओर भी उनका ध्यान है। इस बात की हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का ध्यान इस बजट में रखा गया है और उनके लाभ के लिये इसमें धन निर्धारित किया है।

एक खास मद की ओर जिसका कभी कोई जिक्र नहीं था उसके लिये भी एक लाख रुपया रखा गया है। यानी पतितावस्था में जो स्त्रियां हैं उनकी उन्नति के लिये रखा गया है। माना यह बहुत कम है। लेकिन कदम बहुत सुन्दर है। इसमें उदार दानियों की सहायता की आवश्यकता है। अगर इसमें उदार दानी लोग सहायता करें तो निस्सन्देह अगले वर्ष से सरकार इसमें अधिकाधिक रुपया देगी और इससे ऐसी पतित स्त्रियों की उन्नति होगी और समाज का एक कलंक अतिशीघ्र दूर होगा। श्रीमन्, इस प्रकार से यह बजट बहुत सुन्दर है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु एक बात आवश्यक है कि "शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि"। इसलिये मैं ऐसे ऐसी एक दो बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं जिन पर मैं समझता हूं कि सरकार ध्यान देगी। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कुछ आंकड़े रख कर यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे यहां कर्मचारियों के वेतनों में जो वैषम्य है वह बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की भूल भुलैया में पड़ने से बुद्धि का काम नहीं हुआ करता है। हमारे यहां एक कथा मशहूर है कि एक मुंशी जी आंकड़े की भूल-भुलैया में पड़ गये तो उनके लड़के वगैरह सब डूब गये। उन्होंने कहा कि "लेखा-जोखा सम्भुलय हो लड़के डूबे काहे होय।" इसलिये इन आंकड़ों की भूल भुलैया में पड़ने से तो अच्छा है कि हम व्यावहारिक चीज को देखें।

हम मानते हैं कि जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी नें बतलाया कि हमारे प्रान्त में एक हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति केवल ३०० हैं। लेकिन इधर आप देखें कि यह ३०० व्यक्ति हैं तो तीन लाख के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम वेतन पाते हैं। लेकिन जो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनसे हमें कोई इर्ष्या नहीं है, हम एक बात कल्याणकारी राज्य की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्मचारियों को इतना रुपया देते हैं जिससे कि वह अपने बच्चों को सोने के कटोरे में दूध-भात खिला सकें तो कम से कम ऐसें कर्मचारियों के लिये इतना ध्यान तो रखना होगा कि उनके लिये इतना सामान तो मुहैया करना होगा कि सोने के कटोरे में न सही तो कम से कम मिट्टी के कटोरे में वह अपने बच्चों को दूध पिला सकें। हम इस तरह की बात सरकार से चाहते हैं। अगर यह बात नहीं है तो हमारा राष्ट्र कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है।

कर्मचारियों के वेतन में जो इतनी बड़ी विषमता है वह बहुत खटकने वाली बात है और चाहे आपको भले ही इन वेतनों की विषमता को कम करने से आर्थिक लाभ ज्यादा न हो, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ एक भावात्मक लाभ यह होगा कि सब समझने लगेंगे कि हमारी सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में विषमता नहीं है। अभी हमारे मित्र श्री राज नारायण जी ने बतलाया कि यूगोस्लाविया में १ और ४ का नहीं १ और ६ का, वेतनों में तारतम्य है। मैं यह कहता हूं कि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम १ और ८ का रहना तो आवश्यक है। इससे अधिक यदि आप रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिये बड़ी लज्जा की बात होगी और बड़ी बुरी बात होगी।

श्रीमान्, एक बात और अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं जैसा कि हमारी सरकार ने अच्छा किया है उसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। पटवारियों की हड़ताल की सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की है और एक दम से जवाब दे दिया है। यह एक ऐसी संस्था थी

जो हमारे सामाजिक जीवन में ऐक कलंक थी। मैं समझता हूं कि हमारे देहात में जितनी खून खराबी फिसाद, और मुकदमेबाजी होती है वह केवल पटवारियों की वजह से ही होती है। मैं तो अपनी सरकार को और भी अधिक बधाई दूंगा जिस समय वह ऐलान करेगी कि इस संस्था को हम खत्म कर रहे हैं। मैं बिहार के पास का रहने वाला हूं मैं जानता हूं कि बिहार में पटवारियों की कोई संस्था नहीं है और उनके न रहने से रिकार्ड वगैरह के रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होती है प्रत्युत पटवारियों के रहने से जितने झगड़े हमारे यहां हैं उतने बिहार में नहीं हैं।

श्रीमन्, इसके पश्चात् मैं अपने जिले के विषय में एक-आध शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि छः वर्षों में २१५० मील सड़कों का पुनर्द्धार किया गया है और २२०० मील लम्बी नई सड़के बनाई गई हैं। लेकिन मैं बलिया में रहता हूं और कहता हूं कि समुद्र में पानी बरसता रहा यानी २,२०० मील लम्बी नई सड़कें बनीं और २,१५० मील लम्बी सड़कों का उद्धार हुआ, लेकिन बलिया में एक मील लम्बी पक्की सड़क नहीं बनाई गई। जो आजादी के सम्बन्ध में १९४२ में हम लोगों ने किया था उसके फलस्वरूप हमें दबाने के लिये अंग्रेजी सामन्तशाही ने कुछ पक्की सड़कें बनवाई थीं १९४६ के बाद हमने बराबर प्रार्थना की लेकिन एक भी पक्की सड़क बनाई नहीं गयी। वहां की एक सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी बलिया से रीविलगंज घाट को जाने वाली सड़क, जो माननीय मन्त्रीगण अथवा उपमन्त्रीगण जो उधर गये होंगे उन्होंने देखा होगा पूर्वी भागों में जाने के लिये एक बड़ी समस्या हो जाती है, कोई आसानी से जा नहीं सकता। इससे बलिया के पूर्वी हिस्से को यातायात की सुविधा देने के लिये मैं चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि एक सड़क बलिया रीविल गंज घाट को रोड़ पक्की बनवा दिया जाय।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसकी तरफ की मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे इस प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां बिजली न लगी हो। बलिया ही उन छोटे और बड़े शहरों में एक ऐसा अभागा शहर है जिसमें बिजली नहीं लगी है। बाहर से जब लोग वहां जाते हैं और बलिया को देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तक बलिया में बिजली क्यों नहीं लगी। हमारा जिला गरीब है, हमारा शहर गरीब है लेकिन हमारी सरकार को कम से कम उस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस शहर और जिले के रहने वालों के लिये. जिसके रहने वालों ने अपना एक स्थान बनाया था, कुछ सुविधायें दें। बराबर इस बात के कहे जाने पर भी उसकी अभी तक उपेक्षा की गयी है इसलिये मैं मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बिजली लगाने का प्रबन्ध जरूर कर दिया जाय। इतना कह कर मैं फिर से सरकार को सुन्दर बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो आय व्ययक का लेखा इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिये और उन उसूलों के लिये जिन पर कि उसकी बुनियाद है, मैं इस सरकार को मुबारक बाद देता हूं। श्रीमन् अभी राज नारायण जी ने काफी रिकार्डेड टाइम की लम्बी स्पीच के दौरान में एक बड़े तर्क और वेग के साथ वेल फेयर स्टेट के किन्हीं मानी की चर्चा की। मुझे बैठे-बैठे ऐसा मालूम हो रहा था कि जिस सरकार ने पिछले ६ वर्षों के अन्दर बड़ा भारी भूमिव्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन, जमीन्दारों और जमीन्दारी को खत्म करके, कर दिया जिस सरकार ने गरीबी दूर करने की समस्याओं के साथ उलझने का निश्चय अपनी पंचवर्षीय योजना को प्रेषित करके, कर लिया है, जिस सरकार ने इन पिछले ६ वर्षों की अवधि में प्रदेश के अन्दर बीमारी, भुखमरी की समस्या को दूर करने का और सभी सामाजिक जीवन के अंगों को सुखी बनाने का पूरा-पूरा उपाय कर लिया तो अगर उस सरकार के कार्यों को कहें या वेल फेयर स्टेट के कार्य न कहें तो हमें उस "वेलफेयर स्टेट" शब्द के अर्थ को ही बदल देना होगा। अगर कोई डिक्शनरी इसके अतिरिक्त दूसरे मानी को रखने वाली है तो उसका प्रयोग हमारे साथ, इस दुनिया के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

साथ और इस समाज के साथ नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश के अन्दर पिछले ६ वर्षों में जब से कांग्रेस सरकार ने हिन्दोस्तान की आजादी की उस जंग के बाद जो सन् ४२ में आखिरी बार लड़ी गयी विशेष प्रकार से जिस प्रतिष्ठा के साथ राज्य शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया उसका विश्लेषण छोटी-छोटी पुस्तकों में हुआ है जो सारे सदन को उपलब्ध हैं। मैं उन आंकड़ों में ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। केवल इतना कहूंगा कि यदि आप इस बजट के जो सन् ५३-५४ का बजट है उसके भिन्न भिन्न आंकड़ों के देखें तो हमें यह दिखाई पड़ेगा कि इस बजट में जिसके लिये इस सदन की अनुमति मांगी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा खर्च सड़कों, शिक्षा, और गृह उद्योग की योजनाओं पर किया गया है जिनके बिना हमारे प्रदेश में न तो एकोनोमिक आजादी ही मिल सकती है और न ऐसी ऐकोनोमी ही स्थापित की जा सकती है। जिससे गरीबी को दूर करने का इन्तजाम ही हो सकता है और न गृह-उद्योगों को चलाने, टेहरी स्टेट में ऊन का कारोबार खोलने, रेशमी कीड़ों को पालने, तथा दूसरे पूर्वी और पश्चिमी जिलों में होने वाली उन्नति के काम यानी लकड़ी के खिलौने, चीनी और धातु के बरतनों के कारबार ही हमारे प्रदेश में संभव हो सकते हैं। इस तरह से हमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि पिछले जमाने से पिछले बजट के वक्त जब माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा कि एक बुरे जमाने से गुजर कर हम नये जमाने की ओर जायेंगे तो उसी के साथ-साथ इस बजट के अन्तर्गत इन सभी बातों को पायेंगे जिनका मैंने तजकिरा किया। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने कोशिश की एक मजबूत कदम के द्वारा आगे बढ़ने की। यह नहीं कि उस दिशा की ओर पहला कदम हो जिस दिशा में जाने के लिये हमने एलेक्टोरेट से वादे किये हैं जिसने कि हमें चुनकर यहां भेजा है बल्कि एक कदम और आगे हम उस दिशा की ओर इस बजट के द्वारा पहुंचे जहां से हमारी गरीबी की भूख जा टूट कर स्वयं गिर जायेगी और जब मैं इन शब्दों को कहता हूं तो मेरे सामने समस्त प्रान्त की वे सारी समस्यायें हैं जिनकी अच्छाई और बुराई को जनता अच्छी तरह से जानती है। जब इस प्रदेश में इंसानी कुव्वत के अन्दर जहां तक मुमकिन हो स्वर्ग लाने की बात की जाती है तो हमारे समाजवादी भाई कहते हैं कि यहां पहिले से भूखे ज्यादा हैं, और जब यहां भूख इतनी ज्यादा है, आज जब प्रदेश के अन्दर अशिक्षा इतनी फैली हुई है तो फिर आप इसको वेलफेयर स्टेट कैसे कह सकते हैं। घुटनों के बल चलते हुए आजादी का यह बच्चा आज जब पहला चरण उस दिशा की ओर ले जाना चाहता है जिस दिशा की ओर जाने का सौभाग्य हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ है और जिससे कि यहां की भूख मिट जायेगी तब हमसे कहा जाता है कि भूख मिटाने की कोशिश करने वालों, भूख तो मौजूद है। इसका हमारा उत्तर है कि मिटाने की कोशिश इसीलिये की जा रही है क्योंकि भूख मौजूद है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यह हजारों वर्ष की गुलामी और उस परम्परा का दोष है जिसके बन्धन से मुक्त हुए मुश्किल से ६ साल ही हुए हैं। माननीय राजनारायण जी तथा विरोधी पार्टी ने जो आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों को समक्ष रखते हुए प्रदेश की आबजेक्टिव कन्डीशन को समझ रखते हुए हम एक कदम आगे बढ़ेंगे यही कहा जा सकता है। हमारा जो लक्ष्य है वह तो इस बजट के ही अन्तर्गत है कि आगे हमारा क्या स्वरूप हो। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा यह दावा नहीं हो सकता कि यह आखिरी कदम है। अगर माननीय वित्त मन्त्री का भाषण विरोधी दल के नेता ने पढ़ा होता तो उन्हें स्पष्ट सूचित हो जाता कि उन्होंने क्या कहा है। यह कोई आखिरी कदम नहीं है कि आधी मंजिल तय हो गयी और आधी बाकी है। अगर एक कदम भी जाना है तो जाहिर है कि उसमें भी पांच साल तक लग सकते हैं। और भूख मिटाने की बात, अशिक्षा मिटाने का नया रास्ता इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर मौजूद है। अगर वेलफेयर स्टेट शुरू के दिन ही भूख न मिटा सके तो उस पर हंसना तो ऐसे ही हुआ जैसे कि बालक गामा जबकि वह ६ महीने का ही था कोई यह चैलेन्ज करता कि अगर तुम फलां पहलवान को पछाड़ दो तो मैं जानूं, तो यह एक हंसी और विडम्बना की बात होगी। हमारे मुल्क के अन्दर जो भूख है उसका उत्तर है यह पंच वर्षीय योजना, हमारे यहां जो अशिक्षा है उसका उत्तर है यह पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना को मद्देनजर रखते हुए इस बजट के आंकड़ों का विश्लेषण कीजिये

और इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश की हालत क्या है। पिछले जमाने के बजट को लेकर आने वाले जमाने में जो कुछ हमें मिलेगा उसके नाना प्रकार के रूपों में हम सामन्जस्य पैदा कर सकते हैं। माननीय राज नारायण जी को इस प्रकार के कोई आंकड़े उपस्थित करने चाहिए जिनसे वे बतला सकें कि हमारे यहां जो संचित निधि का धन था उसके रूप में क्या परिवर्तन किया जाय, क्या तरमीम की जाय जिसको कि यह सरकार कर सकती है। अगर उस भावना को वे लाना चाहते हैं जिस भावना से वे ओतप्रोत हैं और दूसरे विरोधी दल के लोग जिस भावना को लेकर सरकार की निन्दा करते हैं। तो उन्हें बजट को उसकी मूलभूत धारणा तथा अर्थशास्त्र की कसौटी पर कसकर ही देखना होगा। बजट के सिलसिले में आम बातों का चर्चा हुआ और आम बातों का चर्चा करने में दो खास बातों का जिकर किया गया। मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जिन दो बातों का बजट के सम्बन्ध में जिकर किया गया वह हैं पटवारियों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल या पटवारियों के ऊपर अन्याय का सवाल और दूसरा प्रश्न हमारे प्रदेश के अध्यापकों, हमारे राष्ट्र निर्माताओं का था। जो अन्याय इस सरकार की ओर से हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहा गया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक दल पटवारियों का चर्चा करते-करते, साथ ही अध्यापकों का चर्चा करने लगा। मेरी निगाह में दोनों के चर्चा करने में मौलिक अन्तर है। मैं श्रीमान्, आपके द्वारा इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमदर्दी का सवाल या रहम का सवाल पटवारियों के साथ इसलिये नहीं आता कि पटवारियों की मांग की बुनियाद में, पटवारियों के उपद्रव की बुनियाद में न्याय या अन्याय की पुकार नहीं है। वह तो सिर्फ घबरा गये हैं। सरकार जो लैन्ड रिकार्ड मैन्युअल तब्दील किया है और उनकी रिश्वतखोरी का जो बाजार आप बन्द करने वाले हैं उसकी वजह से उन्होंने उपद्रव किया है और आज विद्रोह की आवाज लगाई है। मैं पूरे प्रान्त का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन जो कुछ समझ पाया हूं उससे यह कह सकता हूं कि कोई भी दल इस बात को लेकर एलेक्टोरेट से पूछे तो एलेक्टोरेट का जवाब १०० में ९९ का हमारे निश्चय के पक्ष में ही होगा। जहां तक पटवारियों की मांग का सम्बन्ध है उनके प्रति घृणा का दृष्टिकोण पैदा करने वाली बात न कह कर केवल यही निवेदन है कि विरोधी दल को ऐसे लोगों का पक्ष न लेना चाहिये।

हां, अध्यापकों का प्रश्न ऐसा है कि जिसके बारे में हमारे वित्त मन्त्री जी के सामने कठिनाई है। लेकिन अगर वित्त मन्त्री जी के सामने कठिनाई है तो वित्त मन्त्री जी या हमारे शिक्षा मन्त्री जी उनको सीधे-सीधे कह सकते थे कि यह कठिनाई है। मैं बड़े अदब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मुझे यह देखकर बेहद दुख हुआ कि दोनों फाटकों पर पुलिस बैठी हुई है। मुझे यह देखकर बेहद परेशानी हुई और वह इस बात से हुई कि हमारे वे अध्यापक जिन्होंने आज हमको, वित्त मन्त्री को, शिक्षा मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को इस काबिल बनाया कि आज इस समाज के अन्दर अपना एक स्थान रखते हैं जहां पर हम कुछ कर सकते हैं और आज उनके ही साथ मनुष्यों का सा बरताव भी नहीं होता है। यद्यपि वह अपने हाथ में झंडा लिये थे और हमारे विधान भवन के अन्दर वह घुसनवाले नहीं थ। इस प्रकार से उनको डराकर दरवाजा बन्द करके पुलिस का भय दिखाना मैं समझता हूं कि हमारी इस सरकार के नाम पर एक बुरी बात है।

मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह से पुलिस को खड़ा करने की बात भविष्य में न मानने की कृपा करेगी। शायद किसी अफसर ने ऐसा कहा होगा कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो गजब हो जायगा। बस इतनी सी हमारी सरकार की कमजोरी है कि वह कभी कभी अफसरों की बात कच्चे कानों सुन लेती है। मैं समझता हूं नौकरशाही की इस तरह की बात मानकर सरकार भविष्य में बदनामी का टीका अपने ऊपर नहीं लगायेगी। बुनियादी बात जो अध्यापकों के सम्बन्ध में है उसके सम्बन्ध में विरोधी दल वालों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। जब उन्हें लिविंग वेज देने को कहा हमारे अध्यापकों को आनरेबिल वेज मिलना चाहिये। हमारे समाज के अन्दर जो समाज के भिन्न-भिन्न अंग हैं उनको

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

ऐसा वेतन मिलना चाहिये जिससे समाज के अन्दर उनकी इज्जत और उनका उचित स्थान बना रहे क्योंकि समाज के अन्दर अध्यापक एक आवश्यक कार्य करता है। यहां पर सरकार से जब प्रश्न किये जाते हैं उनका तो जवाब दिया जाता ही है कि 'जी नहीं' मगर यह अच्छा नहीं मालूम होता है। सरकार को समझना चाहिये कि बुनियादी तौर पर इस सवाल का उत्तर कहीं न कहीं हमको देना है। अगर बोर्ड इन्तजाम नहीं कर सकते हैं तो बोर्ड से शिक्षा का काम आप लेलें या जो मदद कुछ करोड़ रुपये की आप उनको देने वाले हैं वह न दें लेकिन एजुकेशन का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्रश्न का उपयुक्त फैसला कर लेना चाहिये। अध्यापकों की बात की अवहेलना करने से प्रदेश में असन्तोष बढ़ेगा। उस असन्तोष का उत्तर हमको देना पड़ेगा क्योंकि जनता के सामने हमारा उत्तरदायित्व अवश्य रहता है।

मैं अन्त में सिर्फ इतनी बात और कहना चाहता हूं कि मजदूर संगठनों के सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के नेता ने दो चार बातें कहीं और बड़े दावे के साथ कहा कि मजदूर अब सब कारणों को समझ गये हैं और इसलिये कह सकते हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० सरकारी बाडी है। वाक्या यह है कि यह हमारे देश की सब से बड़ी मजदूर यूनियनों का संगठन है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यह आई० एन० टी० यू० सी० की मान्यता का प्रश्न उठा था तो सरकार ने हम पर कोई रहम कर के काम नहीं किया था बल्कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में भारतवर्ष की सरकार द्वारा जो इन्क्वायरी हुई थी और जो यहां भी हुई थी, उस की ही रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो आप को मालूम होगा कि उसीका यह नतीजा था कि आई० एन० टी० यू० सी० को देश भर में सब से अधिक बहुमत प्राप्त होने के कारण मान्यता मिली थी। उसके बाद प्रश्न शुगर सैन्सेस का आया और उस पर भी आपस में ही हिन्द मजदूर सभा और शिव्वन लाल जी शुभा करने लगे। इस पर भी वह न माने तो दूसरी बात है। आखिर मैंने यह भी देखा कि विरोधी दल के समाजवादी पार्टी के लोग खुद चक्कर खाकर शिब्बन लाल सक्सेना के साथ भी न रह सके। इसमें हमारा क्या दोष है यह तो स्वयं हमारे उस तरफ के भाई ही जान सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित १०१ यूनियनें हैं। जिन में १,९६,९६३ मेम्बर हैं। मैं दावत देता हूं कि विरोधी पार्टी के लोग रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर पता करें कि कितनी यूनियनें उन के साथ हैं और कितने मेम्बर उनके हैं। एक तरफ तो यह कह कह कर कि शिब्बन लाल मर रहे हैं, हमारे इन भाईयों ने दहाड़-दहाड़ कर वोट लिये। फिर समाजवादी मित्र कैसे गर्व कर सकते हैं, अगर शिब्बन लाल करें तो बात दूसरी है और उत्तर भी दूसरा।

अन्त में मैं एक बार फिर कहूंगा कि अध्यापकों के साथ न्याय किया जाय और उनकी मांगों को पूरा किया जाय।

श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिये आया हूं जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश का वह बजट उपस्थित किया है जिसमें ज्यादातर रुपया किसानों की भलाई के लिये रखा गया है। कल हमारे सोशलिस्ट भाईयों ने ३ घंटे का समय लेकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह बजट किसानों की छाती तोड़ने और उनको बरबाद करने के लिये है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जितनी आबादी है उसमें से ८५ फीसदी आबादी किसानों की है। हम लोग अगर इस बात को देखें कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये इस बजट में कितना रुपया रखा गया है तो हमें वास्तव में मालूम होगा कि इसमें किसानों का काफी ध्यान रखा गया है। किसानों की वास्तविक समस्यायें ५ हैं। भूमि, जल, पूंजी, खाद और बीज। इसके बाद श्रम का नम्बर आता है। पहली

चीज जो भूमि है, क्या इस बजट में किसानों को भूमि को दुरुस्त करने के लिये रुपया रखा गया है या नहीं .....

श्री अध्यक्ष—सदन में शोर हो रहा है, मैं शान्ति चाहता हूं।

श्री रामसहाय शर्मा—तो यह किसानों का बजट है या पूंजीपतियों का यह सवाल तो एक ही बात में हल हो जाता है कि अगर इसमें किसानों के हित के लिये रुपया रखा गया है तो यह किसानों का बजट है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहांतक भूमि का प्रश्न है, जिस प्रान्त की भूमि सैकड़ों सालों से इस हालत में पड़ी हुई थी कि जिन स्थानों पर खेती नहीं हो सकती थी आज उन इलाकों के अन्दर ट्रैक्टर भेज कर वहां की भूमि को ठीक किया जा रहा है। जहां पर कांस फैला हुआ था वहां पर कांस उखाड़ने के लिये ट्रैक्टर्स चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास तौर से बुन्देलखंड में और वहां के जिले झांसी में जहां से मैं आ रहा हूं, वहां उन क्षेत्रों में जहां मुद्दतों से खेती नहीं हो सकी थी आज जब से वहां ट्रैक्टर चले हैं तो वहां ५ मन की जगह १० और १५ मन अनाज तक पैदा हुआ है। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां खेती कभी नहीं हुई थी लेकिन आज वहां के किसान इस बात की दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हमारे इलाकों में भी ट्रैक्टर दिये जायं और वह दिये भी जा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर नहरों का जाल बिछ रहा है, बांध बंध रहे हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, सिंचाई के लिये कुएं खोदे जा रहे हैं, रहट की व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ तो किसानों के लिये भूमि व्यवस्था करने के लिये ट्रैक्टरों की योजना चलाई जा रही है, सिंचाई का प्रबन्ध हो रहा है, नहरों और ट्यूबवेलों की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन किसानों का जो धन बढ़ा है उसे छीनने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। गत २० वर्ष पहले अगर किसान को लगान चुकाने के लिये फसल का काफी बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान सिर्फ दो बोरे अनाज बेच करके लगान चुकता कर देता है। इस नीति द्वारा सरकार ने किसान के अनाज की रक्षा की है। तो जब इस तरह का सवाल सोशलिस्ट भाईयों के सामने आता है तो वे इस बात को भूल जाते हैं।

आप देखेंगे कि स्थान-स्थान पर कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज वितरण की व्यवस्था की जा रही है। हर क्षेत्र के अन्दर किसानों की कठिनाइयों का निवारण जितना किया जा सकता था उतना किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्त के अन्दर सैकड़ों मील लम्बी पक्की सड़कें सरकार बना चुकी है। हर एक जिले के अन्दर सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों का खुल जाना और हाई स्कूलों का बढ़ना हर क्षेत्र में अस्पतालों का खुलना और उनकी संख्या में इतनी वृद्धि हो जाना, क्या यह सब बातें किसानों के लिये नहीं हैं? अगर नहीं है तो भला किसके लिये हैं?

आप हर क्षेत्र के अन्दर देखेंगे कि प्रत्येक जिले के अन्दर किसानों से सम्बन्धित कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे सोशलिस्ट भाई इस बात की ओर नहीं देखना चाहते तो मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश है जहां से केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं बल्कि इस संसार भर के लोगों को सदा से रोशनी मिलती आई है। यह वह प्रदेश है जहां महाराजा रामचन्द्र जी ने जन्म लिया था, भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने जन्म लिया था। जिस प्रान्त के अन्दर पं० जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त सरीखे विद्वान पैदा हुए। आप देखेंगे कि इस प्रदेश द्वारा जो कार्य किया जायगा उससे संसार को रोशनी मिलती रहेगी।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने भव्य परम्पराएं कायम कीं। हमारे सामने परम्पराओं के दो पहलू हैं। एक तो वह परम्परा है जिसमें प्रेम, अहिंसा

[श्री रामसहाय शर्मा]

और शान्ति के द्वारा सारे मुल्क के लिये व्यवस्था की जाती है और दूसरा पहलू वह है जहां खून-खच्चर, लाठी-तोप, तलवार का सहारा लिया जाता है। अगर आप चीन और रूस की बात करते हैं तो जब वहां के लोगों ने उस देश को मरघट बनवा दिया, लाखों इमारते बरबाद कर दी गयीं और सरकारी इमारतों को खंडहर कर दिया गया तभी वहां तरक्की हो सकी है। लेकिन इस देश के अन्दर एक नयी परम्परा है। यहां से एक नयी रोशनी दुनिया को भेजी जा रही है। यहां से प्रेम, शान्ति और अहिंसा के द्वारा लोगों को समझा करके लोगों का हृदय परिवर्तन करके काम कराने की परम्परा फैल रही है। इस देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता अहिंसा के द्वारा प्राप्त की, जो किसी और देश ने कहीं की। लेकिन हमारे भाई तो कुछ और ही बातें कहते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क का पिछले हजारों और लाखों साल का इतिहास पढ़ें और अपने देश का भी इतिहास पढ़ें लेकिन आपको कहीं भी इस तरह का आदर्श नहीं मिलेगा।

आर्थिक दृष्टि से भी अगर किसी ने अपना नेता पैदा किया है तो वह कांग्रेस संस्था ही है जिसने आचार्य बिनोबा भावे को तैयार किया है जो हिमालय पहाड़ से लेकर कन्या कुमारी तक घूमकर लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। ४ बजे रात से उठकर १५-१५ मील पैदल चलकर इस ७० वर्ष की अवस्था में एक नया आदर्श रख रहे हैं लेकिन आपके पास तो कोई नेता ही नहीं है, आपके पास कोई आदमी नहीं है। हमारे देश के लोग अभी चाहे उनकी कीमत न समझ सकें हों, लेकिन हमारे पास आखिर एक ऐसा महान नेता तो है जिनसे सारी दुनियां आज सबक ले रही है। इसके अलावा २६ जनवरी को एक नया सबक जो हमारी कांग्रेस संस्था के द्वारा रखा गया है वह है विकास योजना का काम। यह काम जहां और देशों में हुआ वहां बाई फोर्स कराया गया। उनसे यह कहा गया कि ऐसा करो नहीं तो गोली से उड़ा दिये जाओगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक नयी योजना एक नया कार्यक्रम २६ जनवरी को आया जिसमें यहां की सरकार ने बड़े-बड़े सरकारी अफसरों, सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि अगर इस विकास योजना को सफल बनाना है तो हमारी कांग्रेस सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एस० डी० ओ० हैं, बड़े-बड़े सरकारी अफसर हैं, एम० एल० ए० हैं, मंत्री हैं, प्रधान मंत्री इत्यादी सभी २०० घन फुट मिट्टी अपने हाथ से खोदेंगे। हर एक आदमी इस प्रेम भावना के द्वारा उत्साहित होता है और काम करने के लिए उद्यत भी हुआ है। आपने देखा कि हमारे प्रान्त के अन्दर जगह-जगह पर ईंटें बनाई गईं, कहीं तालाब खोदे गये, कहीं सड़क बनाने का काम हुआ और इसी तरह के और भी काम किये गये और खुशी के साथ किये गये। तो प्रेम के द्वारा काम करने की जो यह पद्धति है जिसके जरिये एक हफ्ते के अन्दर कई लाख रुपये का काम हमारे प्रदेश के अन्दर हुआ जोकि कभी भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। तो आप इस बात को देखें कि आज भी इस हालत में इस प्रान्त ने देश के सामने एक नया सबक रखा है। असली चीज तो दूसरी ही है आपके दिल में तो यह चीज है कि कांग्रेस का काम बड़ा सफल हो रहा है, कांग्रेस की सफलता को देखकर आपकी आंखों में मिर्चें सी लग रही हैं। आपके पास तो कोई कार्यक्रम है नहीं। अगर है तो बताइये कि आपने क्या किया है? अगर आज पटवारियों का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे कैसे? छू मन्तर से जहां आपने छू मन्तर फूंका और उनकी मांग हल हो गई? हमारी सरकार तो स्पष्ट कहती है कि पटवारियों की मांगों का जहां तक सवाल है उनकी मांगें नाजायज नहीं हैं। उनके कार्य में तरमीम होने की आवश्यकता है। जहां तक उनकी नौकरी का प्रश्न है, उनके पेट का सवाल है, उनकी मांगों की तरफ कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विचार करने को तैयार है, लेकिन जिस दृष्टि से इसे सामूहिक रूप में लाकर के सरकार को परेशान करने के इरादे से यह बात रखी जा रही है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिये मैं जब अध्यापकों की मांगों का प्रश्न हमारे सामने आता है तो मैं

इसके लिये कहना चाहता हूं कि पटवारियों और अध्यापकों की मांगों में बड़ा फर्क है। अध्यापकों ने राष्ट्र की सेवा की है, देश के निर्माण में अपना समय लगाया है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से और वित्त मन्त्री जी से भी अपील करूंगा कि अगर हमारे कौंसिल हाउस के सामने अध्यापक अनशन करते हैं तो यह ठीक नहीं है, उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये। यह बात गलत है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा सकतीं। अगर ७८ करोड़ का बजट बनता है और तिस पर भी अध्यापक भूखों मरें यह बात नहीं हो सकती है। अध्यापकों की मांगें बहुत ही उचित हैं। वह इतनी कम तनख्वाह पाते हैं जोकि हमारे यहां के चपरासी से भी कम होती है। वह भूखों मरते हैं उनकी मांगों के ऊपर कार्यवाही करने की जरूरत है। कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चार-चार, छः-छः महीनों से उनकी तनख्वाहें रोके हुये हैं। यह बात गलत है कि आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। आप हैं किसलिए ? अगर आप इस बात के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर सख्ती नहीं कर सकते कि वह अपने अध्यापकों की तनख्वाह ठीक समय से दे, यह जवाब आपका गलत है कि वह स्वतंत्र हैं हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अगर हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग ठीक से काम नहीं करता है तो उसकी तरफ से आप आंख नहीं मूंद सकते। मैं अध्यापकों की मांगों का जोरदार समर्थन करता हूं और इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उनकी मांगें नैतिक हैं, उचित हैं और उनका पूरा होना अत्यन्त आवश्यक है। यह हमारे प्रान्त के लिए बड़े दुख और लज्जा की बात होगी अगर उनकी मांगों को हम स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान जी की आज्ञा से अपने विचार भी इस नवीन बजट के ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। मैं श्रीमान जी के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार बजट बनाया है और बहुत सी ऐसी बातों का प्रबन्ध किया है जो मेरी समझ में देश के लिए हितकर होंगी। जैसाकि इस बार बजट में सिंचाई के सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किया गया है, कम से कम मेरे क्षेत्र में जहां बहुत दिनों से अंग्रेजी शासन काल में और वर्तमान शासन काल में भी वहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है, जहां धान की उपज बहुत होती है और वहां वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसका प्रबन्ध किया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और यदि चावल और दूसरे अन्न दूसरे देशों से मंगाये जायं तो यह इस देश के लिए बड़ी लज्जा की बात है। इसलिये इस काम के लिये हमारे सिंचाई के मंत्री और हमारी समस्त सरकार धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त मैंने बजट में देखा कि हर विभाग में हिन्दी टाइपराइटरों पर बहुत सा रुपया लगाया जा रहा है। इस तरह से इसमें कोई सन्देह नहीं की अब हिन्दी में काम होगा और हमारे किसी सरकारी कर्मचारी को कोई संकोच अथवा कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनके पास साधन नहीं हैं। इस प्रकार से मैं बहुत सी बातें देखता हूं, सुधार संबंधी जो हो रही हैं। इसमें शक नहीं कि हमारी सरकार ने जो बजट बनाया है वह गत वर्ष के बजट से बहुत अच्छा है। जैसा मैंने गतवर्ष कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट बनाना कोई सरल काम नहीं होता। इसके बनाने में बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हुये हैं जिनके लिए सरकार की प्रशंसा की जा सकती है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रणंजय सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भाषण में सरकार को उन बातों के लिये जो उसने पूर्वापेक्षा अच्छी इस बजट में रखी हैं धन्यावाद दिया था। सरकार ने सिंचाई का हिन्दी के टाइपराइटरों का प्रबन्ध करके और गोरक्षा समिति स्थापित करके बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिये उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। लेकिन

[श्री रणंजय सिंह]

जहां सरकार ने ये ऐसे बहुत से अच्छे कार्य किये वहां मुझे यह भी निवेदन करना है कि प्रबन्ध के सम्बन्ध में यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी अफसर ठीक से कार्य नहीं करते और उनकी मनोवृत्ति अभी तक शुद्ध नहीं है और वे ऐसी बातें करते हैं जिनसे योजनाओं में सफलता नहीं मिलती। यह एक ऐसी बात है कि किसी पर लांछन लगाना तो सहल है, परन्तु उसके साथ यह भी तो देखना चाहिये कि क्यों विशेषरूप से सफलता नहीं मिलती। इसके भी कोई कारण हैं। जहां सरकार ने अपनी नीति धर्मनिरपेक्षता की बनाई है क्योंकि यहां नाना प्रकार के धर्मों के मानने वाले रहते हैं तो उसके लिये कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वहां मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार को दल निरपेक्ष रहना चाहिये अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी प्रबन्ध ठीक नहीं हो सकता। यदि प्रबन्ध की कोई कमी है तो उसका कारण यह है कि अफसरों के पास ऐसे लोग हस्तक्षेप करने वाले पहुंच जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत कुछ दबना पड़ता है और संकोच करना पड़ता है और जो शासक की अपेक्षा योग्यता में बहुत कम आते हैं। फिर भी केवल दलबन्दी के कारण वे वहां पहुंच जाते हैं और बहुत से शासक उनसे दब कर काम करते हैं। इसलिये अफसर लोग अपनी इच्छा से ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। इसलिये इस सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिये कि किसी भी दलविशेष को लेकर जनता का कार्य न हो। सरकार सभी से लगान लेती है, टैक्स लेती है और सभी का सहयोग चाहती है तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। इस प्रकार से शासन अधिक सुचारु रूप से हो सकता है और उससे देश का लाभ होगा।

हमारे बजट में शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर बातें हैं। हमारी सरकार ने यह प्रबन्ध किया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जो शिक्षा संस्थाओं को हानि पहुंची है उसकी पूर्ति की जाय और उन संस्थाओं को किसी प्रकार से धक्का न पहुंचने पावे मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार हो और इससे देश का सीधा सम्बन्ध है। शिक्षा के लिये भिक्षा मांगनी पड़े तो ठीक है परन्तु शिक्षा भिक्षा के लिये न हो। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो ट्रस्ट बन गये हैं उनके सम्बन्ध में हमें विचार कर लेना चाहिए। उनके सम्बन्ध में जिनका शिक्षा से सम्बन्ध है चाहे वह ट्रस्ट धार्मिक भी हों उतना भाग उनका मान लिया जाय नहीं तो और कहीं उनको न्यायालय जाना पड़े तो मैं तो यह धमकी नहीं दे रहा हूं लेकिन उनको काफी क्षति पहुंचेगी और शिक्षण संस्थाओं को हानि होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो शिक्षण संस्थायें हैं वे सुचारु-रूप से चलती रहें।

मुझे चिकित्सा के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना है। उसके लिये यहां पर बहुत कुछ प्रबन्ध किया गया है, यह बड़े हर्ष की बात है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसके लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है किन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि उसके लिये जहां तक हो सके अधिक से अधिक प्रबन्ध होना चाहिए। अगर विचार किया जाय तो जितनी औषधियां आयुर्वेद में हैं किसी दूसरी चिकित्सा प्रणाली में नहीं मिल सकती हैं। बहुत से लोग आयुर्वेद का अध्ययन किये बिना कह देते हैं कि आयुर्वेद में दवायें पर्याप्त नहीं हैं और लोगों को मलेरिया और विभिन्न रोगों के लिये डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। मैं डाक्टरों का विरोधी नहीं हूं लेकिन आयुर्वेद में जो विशेषतायें हैं उन पर अगर विचार किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां अधिकाधिक बहुमूल्य औषधियां हैं और बहुत सस्ती से सस्ती औषधियां हैं। जहां हमारे यहां सोने चांदी और हीरे की भस्में दी जाती हैं वहां जड़ी बूटियों से भी बड़े-बड़े रोग अच्छे किये जा सकते हैं। आयुर्वेद की दवायें और उनके द्वारा चिकित्सा हमारे लिये बड़ी लाभकारी होंगी और इसलिये उनका जितना प्रसार होगा और जितना अच्छा प्रबन्ध होगा उतना ही सरकार उसके लिये धन्यवाद की पात्र होगी। उसी के साथ जन-स्वास्थ्य का एक और भी उत्तम साधन है। हमारे यहां यह भी उपाय होना

चाहिए कि चिकित्सा की आवश्यकता ही न पड़े। लोगों का स्वास्थ्य अपने आप सुधरे। शुद्ध, भोजन, शुद्ध दूध, और शुद्ध घी के लिये मैं बारंबार निवेदन कर चुका हूं। लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो इसके लिये मैंने गत वर्ष भी कहा था कि हमारे यहां एक अच्छी व्यायामशाला बननी चाहिए। हमारे प्रदेश में कोई ऐसी व्यायामशाला नहीं है, जैसी अमरावती और बड़ौदा में है; उसका प्रबन्ध किया जाय तो जनता का उससे कल्याण होगा। मुझे गौरक्षा के सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं है। सरकार एक कमेटी बना चुकी है और आशा है उसके जरिये से पूरा प्रबन्ध होगा। लेकिन कहीं-कहीं अभी भी मुझे दुख होता है और मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि कहीं-कहीं अभी तक गोवध हो जाता है। रामपुर में म्युनिसिपैलिटी के बाईलाज भी बना दिये गये हैं, लेकिन फिर भी उन नियमों का पालन न करके गोवध कर दिया जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि शासन तभी चल सकता है जबकि दृढ़ता के साथ उसका प्रबन्ध किया जाय। यदि शासन में ढिलाई आई तो शासन बिगड़ जाता है और हुकूमत नहीं हो सकती है। कहीं-कहीं जब नियम जो बनते हैं उनमें शिथिलता ला दी जाती है तभी उन नियमों का पालन नहीं होता है। मैं यह कहता हूं कि वहां शासन दृढ़ता के साथ होना चाहिए।

मादक द्रव्यों के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि उनके लिये एक मद बजट में है। वे दूषित पदार्थ माने जाते हैं। उनके निषेध के लिये सरकार की ओर से यह घोषणा की गई, कुछ समय भी उसके लिये रखा गया था कि उतने में समस्त प्रदेश में नशा बन्दी कर दी जायगी। और हमारे पूज्य बापू जी, जिनका अनुकरण करना सरकार अपना ध्येय मानती है उनके उपदेशों को मानने के बाद भी आज नशाबन्दी कई जिलों में नहीं है बल्कि प्रदेश के अधिकतर भागों में नहीं है। यह बड़े दुख की बात है। नशाबन्दी होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। इसके लिये यदि कहा जाय कि आय में कमी हो जाती है तो इसके लिये कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। यदि कोई कुत्सिक कार्य इस दृष्टि से किया जाय कि उससे रुपया ज्यादा पैदा होगा तो क्या वह भ्रष्टाचार का सूत्रपात नहीं होगा? इस प्रकार से अगर हम ऐसी बातों में नशाबन्दी न करें और नशा को न रोकें तो हमें दुःख होता है और यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से हमारा ध्येय और हमारे पूज्य बापू जी का ध्येय पूरा नहीं होता है। इस प्रकार से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा आजकल जो समस्या उत्पन्न हो गयी है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। बात यह है कि आजकल मैं दो दिन से देख रहा हूं कि जो हलचल मची हुई है उसके सम्बन्ध में जो अध्यापकगण अनशन कर रहे हैं और उनके साथी बहुत से अध्यापक बाहर से अपना कष्ट लेकर यहां उपस्थित हुए हैं। उनकी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र से शीघ्र विचार होना चाहिए और जैसा कि हमारे मित्रों ने और कांग्रेस दल के बहुत से सदस्यों ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है उनकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र हल निकालना चाहिए। यह राष्ट्र के निर्माता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माताओं के भी निर्माता हैं। इस प्रकार से उनके प्रश्न पर जितनी शीघ्रता से विचार कर लिया जायगा उतना ही देश को लाभ होगा। ये अध्यापक भूखे रह कर ठीक तरह से शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, इससे देश को हानि पहुंच सकती है।

बहुत सी बातें कहीं गईं। उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना मैं उचित समझता हूं लेकिन समयाभाव के कारण आज कुछ नहीं कह सकता। जब कभी समय मिलेगा तो उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। अभी जो बातें कहीं गईं उनमें एक कर के सम्बंध में है। उसके संबंध में मैंने पहले भी निवेदन किया है। कहा जाता है कि विदेशों में कर बहुत लगते हैं तो यह हमारे देश के लिये भयंकर बात है। आज यह कहा जाता है कि किसान के पास मंहगा अन्न है, इसलिये वह अपना लगान आसानी से बेबाक कर सकता है, इसका मतलब यह कभी नहीं है कि किसान अगर अपना लगान अदा कर देता है तो वह सुखी है, सम्पन्न है। अन्य वस्तुयें भी तो बहुत ही महंगी हैं और उनको खरीदने में किसान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसान आज सुखी नहीं है। उसका अन्न महंगा है

[श्री रणंजय सिंह]

इसलिये अपना लगान दे सकता है। इसलिये हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि किसान सुखी है, सम्पन्न है और उसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस समुचित और सुन्दर आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये, जो उन्होंने इस सदन में प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं। जहां तक इस आय-व्ययक का विरोध किया गया या इसकी टिप्पणी की गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष न तो बजट को ही देखा है और न वित्त मन्त्री जी के व्याख्यान पर ही कुछ विचार किया है। हां, इतना अवश्य किया गया है कि कुछ इधर उधर के उद्धरण देकर अपने व्याख्यान को ऐसा आवरण देने की कोशिश की गई कि जैसे उसके पीछे बहुत बड़ा सार है।

कल विरोधी दल के नेता, श्री राज नारयण जी ने श्री डाल्टन की पुस्तक से उद्धरण पढ़ा और यह कहा कि टैक्स के नियम ऐसे होने चाहिए कि टैक्स उन्हीं लोगों पर लगना चाहिए जिनकी देने की क्षमता हो। लेकिन वह अपनी इस दलील को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि आखिर उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर टैक्स लगना चाहिए और अगर टैक्स न लगाया जाय जैसा कि एक साहब कहते हैं तब उनको यह भी मान लेना चाहिए कि सरकार उतने ही कार्य कर सकती है जितनी की उसकी आमदनी हो और बड़े कार्य तभी हो सकते हैं जबकि सरकार की आमदनी बढ़े। केवल दलील के लिये एक बात कहना और अधूरी बात कहना, मेरी समझ में नहीं आता है कि उससे जो वित्त मन्त्री जी पर आक्षेप किये गये हैं, कहां तक सही है। मैं तो यह समझता हूं कि श्री राज नारायण जी ने उन कार्यों को देखने की कोशिश नहीं की जो वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण मे बतलाया है कि १९४६ ई० से लेकर सन् १९५२ ई० तक, कार्य किये गये हैं। क्या उनको शक है कि वह कार्य नहीं हुए हैं, क्या यह बात गलत है। क्या राज नारायण जी इस बात को कह सकते हैं? क्या १९ हजार प्राइमरी पाठशालायें नहीं खोली गई? यह मैं मानता हूं कि अगर कोई साहब यह दलील दें कि रफ्तार तेज होनी चाहिए, उसको और तेज किया जाय। इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि अभी कमी है और उनको और तेज किया जाय और उनको करना चाहिए, लेकिन साथ साथ रफ्तार को तेज करने के पीछे हमको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे पास साधनों की कमी है। जब तक हम साधन नहीं बतला सकते हैं कि यह रुपया कहां से लाया जाय और कहां से लाकर रुपया ज्यादा खर्च किया जाय तब तक यह केवल कह देने से कि रफ्तार धीमी है यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई भी समझदार आदमी कोई महत्व दे सके। मैं तो यह समझता हूं कि हमारा देश दुर्भाग्य से पिछले १५० साल से परतन्त्र रहा है जिसकी वजह से हमारे देश में साधनों की कमी है। साधनों की कमी होने के कारण हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं हो सकती है कि जितनी हमारे भाई चाहते हैं। तो फिर किसी पर लांछन लगाना या दोष देना किसी प्रकार से उचित नहीं है और न इससे कोई लाभ हो सकता है। जो वास्तविक स्थिति है उसको हमको देखना चाहिए और उसके अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए। कुछ ऐसी बातों को विरोधी दल के नेता ने इस सदन के सामने रखा कि जिनका कि सम्बन्ध किसी निजी घटनाओं से था और मैं समझता हूं कि मेरे काबिल दोस्त का निजी घटनाओं को यहां पर रखने का तरीका अच्छा-यार करना अच्छा नहीं होगा। मुझे खास तौर पर बड़ा दुख हुआ और उस वक्त गृह मन्त्री ने बड़े सुन्दर शब्दों में जवाब उनसे पूछा कि साहब उस पत्र के लिखने वाले का नाम बताइए तो कहा कि वह तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की। इस तरह की बाते किसी निजी पत्र की बातें यहां पर पढ़ कर और उन बातों का हवाला देकर, जिनको यहां पर साफ नहीं कर सकते हैं किसी विरोधी दल के नेता को शोभा नहीं देता है। मैं तो यह कहूंगा कि कि इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ घटनायें गोरखपुर के सिलसिले में रखीं और दूसरे तरीके पर दूसरी घटनाओं का जिक्र किया। मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार का मानव समाज है, उसमें आप किसी को भी देख लीजिए यह शिकायत

रोजमर्रा रहती है। हमारी सरकार कभी भी यह नहीं कहती रही है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां पर मनुष्य की कमजोरियां समाप्त हो गयी हैं और कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जिस पर किसी को शिकायत नहीं हो सकती है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है मैं तो यह कहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ प्रतिशत ऐसा बताया कि सूबे में बहुत कम इस पर खर्च किया जाता है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कभी इस बात को देखा कि दूसरे राज्यों में कितना प्रतिशत विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है। कोई भी अनुपात उन्होंने सामने नहीं रखा कि अगर शिक्षा पर इतने प्रतिशत खर्च किया जाता है तो विकास पर कितना खर्च किया जाता है। अगर वह इस बात को देखते और जनता तथा सदन के सामने रखते तो उनको मालूम होता कि इस ७८ करोड़ के बजट में से २६ करोड़ रुपया हमारे यहां विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने किसी दूसरे राज्य के बजट को नहीं देखा। वह इतनी बड़ी रकम विकास कार्यों के लिये कहीं अन्य नहीं पायेंगे। इसलिये हमको यह मानना चाहिए कि जब हम आज गल्ले की कमी, कपड़े की कमी और दूसरी कमियों के दायरे से गुजर रहे हैं तब अगर इस बात की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खर्च हम ऐसे साधनों के बढ़ाने में करें, जिनसे रोटी का प्रश्न हल हो सके, कपड़े का प्रश्न हल हो सके तो उतना खर्च हम दूसरी बातों पर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आर्थिक नियम का उल्लंघन होता है जिससे उनको आपत्ति होती है? मैं तो यह समझता हूं कि उनको गम्भीरता पूर्वक अपने भाषण को तैयार करके बजट पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए और ऐसी बातों का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई सान्त्वना न मिले। इसके साथ–साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस माननीय सदन के सम्मुख मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में तो यह पाता हूं कि यह मैदानी बजट है। इसमें अगर किसी को शिकायत हो सकती है तो वह थोड़ी बहुत पहाड़ी जिलों को हो सकती है। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की पहाड़ी जिलों पर बड़ी अनुकम्पा रही है, लेकिन उस अनुकम्पा का रूप थोड़ा बदलना चाहिए। आज तक हमारे ऊपर जो अनुकम्पा रही है वह इस प्रकार की रही है कि जब कभी वहां अकाल पड़ा, जब कभी भुखमरी हुई तो हमको सरकार द्वारा मुफ्त गल्ला दिया गया और दूसरे तरीकों से भी सहायता की गयी, लेकिन कोई भी समाज केवल दान पर जिन्दा नहीं रह सकता है। कुछ ऐसा साधन उस समाज के लिये पैदा होना चाहिए जिससे दान मांगने की नौबत न आवे। मैं आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी जिलों की आबादी लगभग २५ लाख के है और वहां पर खेती के लिये जो भूमि प्राप्त है वह केवल सवा ४ लाख एकड़ है। इस प्रकार वहां भूमि की इतनी कमी है कि जिससे एक तो पहाड़ी भूमि और उसमें भी २५ लाख की आबादी के लिए केवल सवा ४ लाख एकड़ भूमि प्राप्त होना एक ऐसी चीज है जिससे आज वहां पर भूमि–हीनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने समय–समय पर अखबारों और लेखों के द्वारा और दूसरे तरीकों से सरकार से इस सम्बन्ध में विनम्र प्रार्थना की थी कि जो लाखों आदमी आज पहाड़ों पर भूमिहीन हैं उनके लिये वह कोई साधन निकाले, लेकिन मुझे दुख है कि इस वर्ष के बजट में कोई भी रकम मैं नहीं देखता, कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे पहाड़ी भूमिहीनों की समस्या हल हो पाती।

साथ ही मैं एक बात के लिये सरकार को बधाई देता हूं। वह वहां पर भेड़–पालने की एक योजना सरकार ने स्वीकार की है, जिसमें अगले ५ वर्ष में ३० लाख रुपया खर्च किया जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बाअदब सरकार से यह भी कहूंगा कि यहां के लिये बहुत सी योजनायें बनीं, लेकिन किसी को भी मैंने सफलता में परिवर्तित होते नहीं देखा। उसका कारण यह है कि जो योजना बनती है उसका सम्बन्ध पहाड़ी इलाकों से रहता है, जहां सरकारी अफसर जाना कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज से ५ वर्ष पूर्व अल्मोड़ा जिले में ६ अस्पताल बनाना सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से केवल ३ अस्पताल ही बन सके और ३ अस्पताल इसलिये नहीं बन पाये कि जन–निर्माण विभाग के

[श्री भूपाल सिंह खाती]

कार्यकर्त्ताओं ने वहां जाने से इन्कार कर दिया, जिससे वहां पर इमारतें नहीं बन सकीं। आज भी भेड़ पालन योजना की स्थापना सरकार जिन क्षेत्रों में शुरू करने जा रही है उनका सम्बन्ध तिब्बत के सीमावर्ती प्रदेश से है और मुझे विश्वास है कि वहां पर सड़कों की सुविधायें, यातायात के साधन न होने की वजह से अगले वर्ष मुझे इस सदन के सम्मुख विनम्र यह प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वहां कोई कार्य नहीं हो सका। क्योंकि जो रवैया सरकारी अधिकारियों का रहता है उस रवैया के अनुसार वे कभी भी वहां जाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो एक बात मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जब तक पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन की सुविधायें नहीं दी जाती हैं तब तक किसी भी तरीके से इसकी उन्नति होना असम्भव है और कोई भी योजना जो सरकार द्वारा बनेगी वह कभी भी सफलता पूर्वक वहां पर चल नहीं सकेगी। इस बात की कई वर्षों से चर्चा चल रही है कि तिब्बत में कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया है इसलिये तिब्बत के सीमावर्ती प्रदेशों से अब ज्यादा सम्पर्क बढ़ाया जाय और उसके साथ-साथ उनको ज्यादा सुविधायें दी जायं। गगांई, मुनस्यारी और धारचुला में अस्पताल और औषधालय बनाने की बात भी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष भी, बजट के समय इसके लिये सरकार से प्रार्थना की थी और आज भी प्रार्थना करता हूं कि पहाड़ी जिलों में सौ-सौ मील पर भी कोई अस्पताल नहीं है। आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की क्या अवस्था होगी। अगर आप आबादी देखें तो बेतालाग से मनुस्यारी की आबादी ६० हजार ज्यादा होगी लेकिन उनके लिये भी वहां कोई अस्पताल नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वहां अस्पताल का होना कितना जरूरी है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार यातायात के लिये कोशिश करे क्योंकि धारचुला तथा मुनस्यारी में औषधालय व अस्पताल का प्रबन्ध हो जाने पर भी यातायात की कठिनाई के कारण कोई अधिकारी वहां जाना पसन्द नहीं करेंगे, वहां पर कोई डाक्टर नहीं मिलता, कोई वैद्य नहीं मिलता। इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पहाड़ की समस्या को हल करने के लिये वहां पर यातायात को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, वहां पर जब तक सड़कें नहीं बनतीं, तब तक कोई विकास कार्य वहां सफल नहीं हो सकता। कृषि की उन्नति वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहां कृषि के साधन बहुत कम हैं। हम वहां फलों और शाक-सब्जियों में तरक्की कर सकते हैं और उनको मैदानी जिलों में लाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिये भी यातायात बहुत ही जरूरी है। वहां पर लाखों मन सेब और शहद पैदा हो सकता है और वहां लाखों मन आलू पैदा होता है लेकिन यातायात के साधन न होने के कारण वह बड़े-बड़े बाजारों का मुंह तक नहीं देखने पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में पहाड़ी इलाकों के लिये कोई ऐसा संकेत नहीं है कि जिससे इस दिशा में हम अगले साल के लिये कुछ आशा कर सकें। यदि इस वर्ष हमारा नम्बर छूट गया है, हमारा नम्बर नहीं आया है तो कम से कम अगले साल ही इस विषय में ध्यान दिया जाय। प्रदेश में जमीन्दारी उन्मूलन भी हो चुका है। लेकिन पहाड़ की जमीन्दारी और हिस्सदारी का उन्मूलन करने की बात का भी इस बजट में कोई संकेत नहीं मिलता है। यहां जमीन्दारी उन्मूलन के बाद वहां जो हिस्सेदारी वगैरह में परिस्थिति पैदा हुई है उसको देखते हुए वहां भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जितनी जल्दी हो, वहां भी इसका खात्मा किया जाय उतना ही अच्छा है और उतना ही वहां की जनता का लाभ होगा।

अध्यापकों के सम्बन्ध में यहां काफी चर्चा हुई। मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा और यह वाक्या है, चाहे आप उसको मानें या न मानें, कि हम ग्रामीण शिक्षा को केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर ही नहीं छोड़ सकते और सरकार ने ३ अगस्त, १९४९ का जी० ओ० निकाल कर मान लिया है कि वह ग्रामीण शिक्षा में दिलचस्पी रखती है। सरकार ने बिना डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के साधनों को देखे हुए ही ३ अगस्त, १९४९ के वेतन-क्रम को निश्चित किया और कहा था कि इस वेतन-क्रम के अनुसार ही अध्यापकों को वतन दिया जाय और उसके कारण उस समाज का सारा

मनोविज्ञान ही बदला है। अगर इस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका निकल सके तो मैं सरकार को बधाई दूंगा, लेकिन जब तक उनको वे वेतन नहीं दिये जाते हैं तब तक अध्यापकों में कोई सन्तोष नहीं हो सकता है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें सन्देह था कि जिसने बजट की स्पीच को सुना उसको इस बात में भी शंका रही होगी कि हमारी सरकार इस प्रदेश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है, किन्तु हमारे माननीय विरोधी दल के नेता को तो उसमें कहीं भी कोई व्राइट स्पाट नहीं दिखलाई पड़ा, उनको केवल एक ही रंग दिखलाई पड़ा। मैं नहीं जानता इसका क्या कारण है। लैन्ड रिफार्म की योजना, इर्रीगेशन और एजूकेशन आदि में जो जो प्रगति हुई है और जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में यहां पर कानून पास हुए हैं उनसे वह स्वयं अवगत हैं और उन्होंने उस पर टीका टिप्पणी भी की, कहीं कहीं पर उन्होंने कुछ बातों का स्वागत भी किया, लेकिन कल उन्होंनें सिवाय कन्डेमनेशन के और कुछ नहीं कहा। यह बात सही है कि हमने एक वेल फेयर स्टेट की तरफ तरक्की की है। लेकिन हम उन सीमाओं को नहीं भुला सकते, जिनके बीच में हमने यह प्रगति कर पायी है। उन सीमाओं और साधनों के होते हुए हम यह आशा करते थे कि उधर से कोई ऐसा सुझाव आयेगा जिसको कार्यान्वित करके इस प्रांत का ज्यादा कल्याण हो सकेगा। जहां मैं यह कहता हूं कि हमारी सरकार ने वेल फेयर स्टेट के लिये प्रयास किया है, वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह प्रयास जितना होना चाहिए था उतना होते हुए भी बहुत ही अपर्याप्त रहा है। जो कुछ करना था उसको देखते हुए जो कुछ हुआ है, वह बहुत अपर्याप्त है।

इसके साथ ही साथ यह भी बात है कि जिस सद्भावना से और जिस उद्देश्य से ये योजनायें चालू की गयीं, नीचे पहुंचते पहुंचते वह सद्भावना बहुत कुछ लुप्त सी हो गयी। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि हमारी बहुत सी चीजें जो बरदान के रूप में होनी चाहिए थीं नीचे पहुंचते पहुंचते भार रुप बन गयीं। दो-एक बातों से इसको मैं दिखाना चाहता हूं। जमीन्दारी अबालिशन फन्ड के सिलसिले में हमारे निम्न कर्मचारिवर्ग ने जो कारगुजारी दिखायी उस पर लोगों में काफी असन्तोष रहा है। इसी प्रकार अगर आप पन्चायत राज को देखें तो आपको मालूम होगा कि पन्चायत राज ऐक्ट इस लिये बनाया गया था कि जनता के पास शक्ति जाय, लेकिन एक ओपिन सिस्टम आफ वोटिंग ने उसका भी खातमा कर दिया।

शिक्षा तथा दूसरे विकास के कार्यों में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। यह बात क्यों हो रही है? हमारे पास सीमित साधन हैं, हम उनका प्रयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पाते जैसा कि हम करना चाहते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस-लिये आज हमें इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव म बात यह है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके उपयुक्त नहीं है। जैसे मिसाल के लिये एक मोटर कार है जो कि समान लेबिल वाली सड़क पर चलने वाली है और उसको एक खेत में जोतने के काम में लगा दिया जाय। वेल-फेयर स्टेट और पुलिस स्टेट के काम में बड़ा अन्तर है और यह एडजस्टमेंट आज तक नहीं हो पाया है। इस कार के इंजिन के पिस्टन ढीले हो गये हैं, वह पेट्रोल और मोबिल आयल भी ज्यादा खाती है, शोर ज्यादा मचाती है, धुंआ बहुत देती है, लेकिन खींचती कम है। यह हाल हमारी ऐडमिनिस्ट्रटिव मशीनरी का है।

मैं किसी तरह से भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारी सर्विसेज में जो लोग हैं उनमें देश प्रेम कम है। मैं यह बात भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनकी योग्यता कम है या उनमें ईमानदारी की कमी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो ढांचा बना हुआ है वह अलग-अलग पुर्जों के ठीक होते हुए भी इल ऐडजेस्टेड, इल ऐडैप्टेड और इनएफीशियेन्ट है। आज हमारे सामने यह एक समयस्या है कि हमारी स्कीम्स उसी तरह से नीचे तक पहुंच जानी चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। अगर वे उस तरह से नहीं पहुंचतीं तो

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जनता में उत्साह और उमंग नहीं हो सकती, जिसके बल पर हमें काम करना है। हमारे यहां पंचवर्षीय योजना चल रही है। हमारे सामने जो समस्या है जिसका थोड़ा सा जिक्र माननीय परिपूर्णानन्द जी ने किया उसमें से जो कुछ बाकी रहा है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। ८० करोड़ रुपया हमें अगले तीन वर्षों में खर्च करना है, लेकिन अगर रिहन्ड डैफ भी उसमें शामिल हो जाता है तो वह रुपया १०० करोड़ के करीब हो जायगा। यह तो तब, जब कि अभी ६५५ करोड़ की जो कमी है उसमें क्या हिस्सा प्राविंसेज के ऊपर आवेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सौ करोड़ रुपया तो हमको लाना है और हालत यह है कि आज हमारी परचेजिंग पावर, जैसा कि बजट में भी कहा गया है, कम हो गयी है। जितना टैक्स लग चुका है उससे ही हमारी परचेजिंग पावर गिरने लगी है। दूसरी बात यह भी हमने बजट स्पीच में सुन ली कि हम लोन्स उगाहने में भी असमर्थ हैं। इसके मानी यह हैं कि जो कुछ भी हमारा सिस्टम है उससे हम ज्यादा रुपया टैक्सेशन से ही ले सकते हैं, लेकिन यदि टैक्सेशन से लेते हैं तो उसकी भी लिमिट होती है, इस वजह से नहीं कि परचेंटेरीज के चक्कर में पड़ते हैं, बल्कि इसलिये कि जब परचेजिंग पावर कम होने लगी तो इससे यह मालूम होता है कि टैक्सेशन काफी सीमा तक पहुंच गया है। इसलिये यह रुपया कहां से आवेगा ?

सेविंग्स की बात कही गयी है। सेविंग्स के लिये दो-तीन बातों की जरूरत है। एक तो यह कि २५५ की ऐवरेज इनकम में से कितनी सैविंग कर सकते हैं और कितनी पूर्ति कर सकते हैं। यह एक समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि जनता में इतना उत्साह और उमंग हो कि वह उसके लिये तत्पर हो कि अपने प्रेजेन्ट सैटिस्फैक्शन, अपनी मौजूदा जो जरूरतें हैं उनको कम करें और आगे के लिये जमा करें। इसके लिये दो-तीन बातों की आवश्यकता है। जहां पर यह बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं, वहां पर जो मौलिक चीजें हैं उनकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि जो भी वेल फैयर स्टेट होने का दावा करे उसको एफीशियन्ट पुलिस स्टेट होना भी पहली आवश्यकता है। जब तक हमारे यहां ला ऐन्ड आर्डर और जस्टिस की स्थिति ठीक नहीं, तब तक जनता में यह भावना नहीं होती कि जो हम कमाते हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जब तक हम यह नहीं सोचते कि हमको जो न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय तो बहुत की चीज है---लेकिन साधारण न्याय भी मिलेगा, तब तक हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि जनता में यह भावना पैदा होगी।

आज पुलिस की रिपोर्ट से हमें चाहे ऐसी सूचना मिलती हो कि क्राइम कम हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं, सब जानते हैं कि आज जो हालत है, वह दिन ब दिन ला ऐन्ड आर्डर की खराब होती जा रही है। क्राइम दबाया जा रहा है। इस वजह से सरकार को इसके बारे में अन्धेरे में रखा जा रहा है। मैंने स्वतः इसके प्रमाण भी गृह मन्त्री जी को दिये हैं। यह आज ला ऐन्ड आर्डर की हालत है। फर्जी कार्यवाही बहुत कुछ होने लगी है। रेलीज, डिमांस्ट्रेशन्स, प्राइज गिविंग्ज, इनामरेशन्स में बहुत वक्त जाया हो रहा है और वास्तविक काम बहुत थोड़ा हो रहा है।

दूसरी न्याय की बात है। वह आज साधारण आदमी की पहुंच के और उसके साधनों के उतना ही बाहर है जितना कि पहले था। पहले मैं उम्मीद करता था कि हमारे जमाने में कम से कम सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स तहसीलों तक पहुंच जायंगी, ताकि एक साधारण देहाती को बार-बार शहरों की हवा न खानी पड़े। वह वहां इतनी दूर से पहुंचता है। एक नहीं, दो नहीं, दस-दस पेशियां पड़ती हैं। सालों मुकद्दमे चलते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि जो गरीब आदमी है वह अन्याय सह कर खामोश बैठना ज्यादा पसन्द करता है, बनिस्बत इसके कि वह न्याय की तलाश में जाय। जब तक। अध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीजें ठीक नहीं होतीं, तब तक जनता में वह उमंग और वह उत्साह नहीं हो सकता जोकि हमारी इस योजना को सफल करने में हमें मदद दे सके।

सर्विसेज के बारे में, मैं मेटाफ़र्स को छोड़ करके सीधी बात कहता हूं कि जितनी राशन-लाइजेशन की जरूरत सर्विसेज में है उतनी कहीं नहीं है। सब से पहले राशनलाइजेशन यहां होना चाहिये और उसके साथ-साथ हमें वेजेज का क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। वेजेज में असमानता तो है ही, विषमता तो है ही, लेकिन यह भी विषमता है कि एक ही तरह का काम जहां दो आदमी कर रहे हैं वहां एक को दूसरे से दुगनी तनख्वाह मिलती है। आज हमारा चपरासी वर्ग है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी हैं उनको जो मिलता है वह क़रीब क़रीब यहां के चपरासियों से दूना है। तो फिर कैसे असन्तोष न हो ? यह वेजेज का क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती और सारे भारत के लिए लेती तो अच्छा होता लेकिन अगर उसने नहीं लिया तो यह आज हमारी प्रान्तीय सरकार को लेना आवश्यक है। हम एक दो तीन चार पांच कैटेगरीज तक रखें। इन में अनुपात शायद १० गुने तक का हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निम्न वर्ग के कर्मचारियों को अगर पेट भर खाना आज नहीं मिलता है तो दो ही बातें होंगी। या तो उनमें असन्तोष रहेगा और वह स्ट्राइक करेंगे या बेईमानी करेंगे। इस तरह से जब तक हम इस बात का कोई समाधान नहीं पेश करते, तब तक ऐसी ही अवस्था रहेगी। आज चारों तरफ हड़ताल की धूम है, पटवारियों की हड़ताल है, अध्यापकों की हड़ताल है। बहुत से माननीय सदस्य और बहुत से लोग खुश हैं कि पटवारियों को निकाल दिया गया, अच्छा है। मैं कहता हूं कि पटवारी अच्छे थे या बुरे थे, वह एक सिस्टम के प्रोडक्ट थे। हमारे ही भाई थे। हमारे और आपके लोगों में से ही पटवारी भी बनते हैं। अगर वह बुरे थे तो हमको उनको वैसे ही क़ानून से सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए था लेकिन आज जो हो रहा है वह कुछ और ही है। अध्यापकों की जो समस्या है उसके लिए भी मैं कहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ५ कैटेगरीज करे और उसके अनुसार चले तो यह भी हल हो सकती है। समय समाप्त हो रहा है। अब मैं यह कहूंगा कि पंच वर्षीय योजना जो चालू है उसमें जब तक कास्ट आफ लिविंग को ध्यान में रखकर वेजेज इंट्रोडयूस नहीं होगी, तब तक कोई भी इंडिसिप्लिनरी ऐक्शन या स्ट्राइक बन्द नहीं होगी। यह जितनी सर्विसेज हैं वह सभी एसेंशियल सर्विसेज हैं और फाइव इयर प्लान तभी चल सकता है जब कि इस तरह की स्ट्राइक बन्द हों। इसके साथ साथ हमें यह सुविधा तो देनी ही पड़ेगी। जहां तक मैंने सर्विसेज की बात कही और गवर्नमेंट की बात कही उसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमें एकोनामी बहुत बर्तनी है। इस एकोनामी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले यहां की एकोनामी हम देखें कि दो दिन राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर वाद-विवाद हुआ, एक दिन सप्लीमेंटरी बजट पर और तीन दिन बजट पर। तो इन ६ दिनों में यहां बैठकर हमने इस स्टेट का और इस देश का कितना कल्याण किया है ? यही एक बहुत बड़ी एकोनामी का सवाल है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि जो उन्होंने बहुत ही महनत के साथ और बहुत लम्बा एक अपना भाषण तैयार किया जिससे हम लोगों को बहुत सी बातों को समझने का मौका मिला। दूसरी तरफ मैं 'कल्याणकारी' शब्द से हमदर्दी जाहिर करना चाहता हूं जिसके साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेरहमी के साथ बर्त्ताव कर रही है। कल्याणकारी शब्द विचारा वह मूक है। वह बोल नहीं सकता लेकिन जिस प्रकार उसके साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है वह वाक़ई हमदर्दी का पात्र है। मैं एक ही बात माननीय वित्त मन्त्री जी से अथवा सरकारी बेंचों से यह जानना चाहता हूं कि जिनकी वरासत में आपको यह हुकूमत मिली है उनको आप क्या कहते थे ? यदि उन्हें भी कल्याणकारी राज्य को चलाने वाला कहा जाय तो मैं समझता हूं कि शिकायत होगी प्रान्तीय सरकार को भी और कम से कम हमको तो जरूर शिकायत होगी। फिर किस बुनियाद पर यह हुकूमत कहती है कि यह राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य है और अंग्रेजी राज्य से कुछ भिन्न है ? भिन्न मैं तो समझता हूं, लेकिन जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की परिभाषा गवर्नमेंट करती है उससे जब मैं मिलान करता हूं और अंग्रजी सरकार के कामों से तो मुझे ऐसा

[श्री गेंदा सिंह]

लगता है कि उस शब्द के साथ अनाचार हो रहा है। मैं अभी कुछ गौर से देखता रहा कि सन् १९३१ से लेकर १९३७ तक जब कांग्रेस की हुकूमत पावर में आयी थी उस बीच में अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार जनोपयोगी कार्यों पर अपने बजट में खर्च दिखलाती थी उस बुनियाद पर वह सरकार भी कल्याणकारी होने का दावा कर सकती थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो-तीन मदों में खर्चा जो सन् १९२१ से लेकर के सन् १९३७ ई० तक हुआ है, जनपयोगी मदों में, उसको मैं आप के सामने रखना चाहूंगा। जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सन् १९२१-२२ में १,३७,७०,००० खर्चा होता रहा। सन् १९३६-३७ में १,४५,९१,००० खर्चा होने लगा। १,८१,८०,००० खर्चा होता रहा सन् १९२१-२२ में और १,९६,२१,००० खर्चा होने लगा सन् १९३६-३७ में। एजूकेशन में १९२१-२२ में १,५२,००० खर्चा होता था और सन् १९३६-३७ में २,६,९९,००० खर्चा होने लगा और फिर दूसरी तरफ अगर हम यह देखें कि वह पैसा कहां से आता था तो वह भी आज से भिन्न होगा। हम टैक्स लगाते हैं ग़रीबों पर उस टैक्स का नाम हम सिंचाई कर के रूप में रखें या सिंचाई की सेवा के बदले में मेहनत का दाम मांगें, मतलब यही है कि किसानों से लेना है। हम देखते हैं कि उस जमाने की सब से बड़ी आमदनी जमीन की मालगुजारी से थी। उस जमाने के मालगुजारी के आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि सन् १९२१-२२ में ६,८०,९१,००० की वसूली थी और सन् १९३६-३७ में ५,८९,७२,००० की हो गयी। अलबत्ता एक्साइज से १,४८,९२,००० की आमदनी सन् १९२१-२२ में थी, इसमें जरूर वृद्धि हुई और सन् १९३६-३७ में १,४४,००० की आमदनी हुई। तो फिर ऐसी हालत में जो बजट हमारे सामने इस समय मौजूद है अगर सन् १९४६-४७ से हम इस वक्त की तुलना करें, सन् १९५२-५३ या १९५३-५४ से तो क्या इस हिसाब से वह हमारी तुलना कुछ हो पाती है जो हमने जनोपयोगी खर्चा किया? उसी के साथ-साथ पुलिस पर या दूसरे कामों पर इसने जो खर्चा किया वह अनुपात ठीक बैठता है अंग्रेजी हुकूमत से। हमें कुछ ज्यादा हिसाब-किताब तो आता नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है कि हिसाब-किताब जाना जाय। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी की खिदमत में यह पेश करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि किस आधार पर वेल-फेयर स्टेट अपनी हुकूमत का नाम रखते हैं, अपनी हुकूमत का वह क्या अर्थ रखते हैं, इस बात को वह बताएं। मैं चाहता था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इस सदन में मौजूद होते और उनकी ही बात मैंने बहुत गौर से सुनी थी। मैं उनकी तरह से आंकड़े तो नहीं पेश कर सकता, लेकिन कम से कम जो वाक़यात हैं उनको तो उनके सामने पेश करना चाहता हूं। इस बात का उत्तर मैं जरूर चाहूंगा माननीय वित्त मन्त्री जी से कि किस बुनियाद पर वह वेलफेयर स्टेट नाम रखते हैं। जैसा कि अभी माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने कहा मैं भी उनकी बात से सहमत हूं और मैं भी यह कहता हूं कि यदि कुछ प्लानिंग करना है तो पहले तो प्लानिंग का ठीक अर्थ होना चाहियें। प्लानिंग के मानी, जहां तक मैंने मोटे-मोटे समझा है, यह है कि देश में उत्पादन और वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। यह जो पंचवर्षीय योजना है क्या वितरण की व्यवस्था इसमें है? नहीं है। उत्पादन के लिये उसमें जरूर कुछ सोचा गया है कि हम इतना उत्पादन बढ़ा ले जावेंगे मगर यह इसमें नहीं रखा गया कि उसका वितरण होगा कैसे। आखिर सरकार सरकार ही है और वह उसे नियंत्रित करके उसका बटवारा कर सकती है। फिर सरकार कहती है कि भाई, यह कुअरशन या ज्यादती हो गई। तो यह अराजकता है। क्या पूंजीवाद में उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता? उसमें उत्पादन बढ़ता है और उस हद तक कि आर्थिक संकट सारे संसार पर आजाता है और वह सारे देशों को आपस में लड़ाकर तबाह कर लेता है। केवल उत्पादन की ही बात कह देने से काम नहीं चल सकता। वितरण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी तरफ हम यह भी कहना चाहते हैं कि उत्पादन की ही कौन सी व्यवस्था इसमें है। यह वेलफेयर स्टेट कम से कम सन् ४७ से वजूद में है। उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया धरती है। उससे जो पैदावार हुई उसके आंकड़े माननीय राजानारायण जी ने सदन के सामने रख दिये हैं। क्या सरकार

यह बताने को तैयार है कि उसने कितनी पैदावार अन्न की बढ़ाई ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस 'कल्याणकारी राज्य' में अन्न की पैदावार नहीं बढ़ाई गई, बावजूद इसके वहां कुछ करोड़ रुपया खर्च किया गया जमीन के तोड़ने पर और ४०० ट्रैक्टरों की फौज तैयार की गई और १२ या १३ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई और रामपुर और नैनीताल किछा में बड़े-बड़े फार्म खोले गये लेकिन मैं यह कहता हूं कि अनाज की पैदावार नहीं बढ़ी ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––बजट में लिखा है कि इतनी पैदावार बढ़ी है।

श्री गेन्दा सिंह––मैं उनकी खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि उससे पैदावार नहीं बढ़ी है। बल्कि आपके आंकड़े बताते हैं कि पैदावार बढ़ी है। सबसे अधिक पैदावार सन् १९४२–४३ में हुई और उसके बाद अभी तक उतनी पैदावार नहीं हुई। यदि केवल पैदावार की बात सोचनी है तो अंग्रेजी राज्य कल्याणकारी राज्य हो गया। हमसे कहा जाता है कि आंकड़ों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो मगर यह जो ७८ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है यह भी तो आंकड़ों में ही लिखा हुआ है। मैं ज्यादा न कहकर केवल दो-एक बातें ही माननीय वित्त मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा इन पर भी गौर करने की कृपा करें और उनको शुद्ध कराने का कुछ उपाय करना चाहिये। सिर्फ यह कह देने से ही काम नहीं चलेगा कि आंकड़े दुरुस्त नहीं हो सकते और इसकी तरफ हम ध्यान न दें। लेकिन हम अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान न दें तो प्लानिंग की तरफ भी ध्यान न दें। फिर इससे तो हमारा और वितरण का मामला भी ग़लत हो जाता है। सारे देश की जनता की भूख का सवाल, कपड़े का सवाल, उत्पादन का सवाल और वितरण का, सब गड़बड़ी में पड़ जाता है। फिर सारा बजट गड़बड़ी में पड़ जाता है। इसलिए सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलता है कि उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता और उस तरफ ध्यान मत दो। मैं तो यह कहता हूं कि जब तक आंकड़े दुरुस्त नहीं होंगे तब तक प्लानिंग दुरुस्त नहीं होगी। मैंने माना कि प्लानिंग और आंकड़ों को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा और उसमें परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से तो काम नहीं चल सकता एक सबसे प्रमुख आंकड़ा जो मेरी दृष्टि में आया मैं आपके सामने रखता हूं। एक पुस्तक है "उत्तर प्रदे आँकड़ों द्वारा सिंहावलोकन, १९४५–५२"। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त आय प्रति व्यक्ति १७६.८ रुपये रही और ५०–५१ में २५५.७ हो गई। उसमें गांव को अलग किया गया है और बताया गया है कि सन् १९४६–४७ में प्रति व्यक्ति आय १५०.७ रुपये हैं और ५०–५१ में २१०.६ रुपये हो गयी है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आया यह आमदनी किस बुनियाद पर मानी जाती है कि बढ़ गई है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "आय के समस्त आंकड़े द्रव्य मूल्य के सूचक हैं और इनमें प्रति वर्ष भावों में होने वाली न्यूनाधिकताओं का प्रभाव सन्निहित है।" यदि केवल बाजारों के भाव को देखकर ही हमारी आमदनी को निकाल लिया जाता है तो यह उचित बात नहीं है और गलतियों से भरा हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूं कि अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है गन्ने की कैश क्राप जो है वह बढ़ी नहीं है, नौकरियां बढ़ी नहीं हैं बल्कि घटी हैं तो जितने भी आमदनी के जरिये हैं वह जरिये भी सब घटे हैं फिर यह आमदनी बढ़ी कैसे ? सन् १९४६–४७ में थी १७६ और ५०-५१ में हो गई २५५ तो यह ८० रुपये की आमदनी बढ़ने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। कोई रास्ता नहीं है। तो यह आंकड़े प्रायः गलत हमको दिये जाते हैं और इसी तरह से एक आंकड़ा मुझे और भी दिखलाई पड़ता है। वह मैं आपकी खिदमत में जरूर रखना चाहता हूं। सरकार यह कहती है कि सन् १९५६ तक २२ हजार ८०० मील नहरें तैयार हो जावेंगी। यह पंचायत राज्य ने जो पत्रिका निकाली है उसमें लिखा हुआ है। सिंचाई विभाग की जो ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है सन् १९४७ की उसमें यह बताया गया है कि ३५–३६ में २२ हजार १४८ मील पक्की नहरें बन गई थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय अब किन आँकड़ों पर विश्वास किया जाय और किन पर विश्वास करके काम चलाया जाय ? आप कहते हैं कि सन् ५६ में २२ हजार मील नहरें बनायेंगे और उससे इतनी जमीन सींचेंगे और वह

[श्री गेंदा सिंह]

भी आपका ही बनाया हुआ सन् ४७ का है। सन् ४६ का होता तो यह भी कहते कि यह वेलफेयर स्टेट का नहीं है लेकिन वह आंकड़े भी तो वेलफेयर स्टेट के हैं कि २६ हजार मील नहरें बन चुकीं और अब आप कहते हैं कि २२ हजार मील नहरें बनाई जायेंगी अगले चार वर्षों बाद, यह क्या बात है इस पर आप गौर करें।

इसके अतिरिक्त माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा कि ऐसी वेलफेयर सरकार नहीं चल सकती है, अगर उसकी सर्विसेज बहुत ही एफीशियेंट बहुत ही कार्यक्षम न हों। तो सरकार मान ले इस बात को कि वह बहुत कार्यक्षम है। लेकिन मेरा तो यह कहना है कि यह सरकार ही ऐसी है जो अपनी सर्विसेज को अपने पीछे काम करने वालों को अधिकाधिक डिमारलाइज कर रही है। सरकार अगर इस तरह का काम न करती तो देश का भविष्य बनता और माननीय वित्त मन्त्री जी क्षमा करें, लेकिन उनको अपने सामने एक नमूना रखना चाहिये क्या उनको मालूम नहीं है कि डाक्टर मोसद्दिक किस तरह से रहा करते हैं? डाक्टर मोसद्दिक, ईरान का प्रधानमन्त्री। क्या उनका नमूना उनके सामने नहीं है? क्या महात्मा गांधी का नमूना उनके सामने नहीं है? मैं कहता हूं कि कोई नमूना ले लीजिये चाहे वह जेनरल नजीब का हो चाहे स्टालिन का हो, चाहे माओ का ले लीजिये, चाहे किसी का ले लीजिये और औरों को छोड़ दीजिये अपने देश का नमूना, महात्मा गांधी का लीजिये। परन्तु जब तक आप किसी आदर्श को नहीं लेंगे तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि कोई प्लानिंग और कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। आप अपने लिये, हमारे लिए, या जो कोई भी सफेदपोश है उसके लिये तो सारे बंदोबस्त करने के लिये तैयार हैं लेकिन जो गांवों में बसने वाले हैं, जो गांवों में बसने वाली करोड़ों जनता है उसको क्या लाभ होगा? इसके लिए क्या कोई बंदोबस्त सरकार द्वारा किया गया है? क्या उसके लिए सड़कें खोलकर रोजी दिलायेंगे? और अगर नहीं तो उसके रोजी दिलाने का क्या बंदोबस्त है? जिसके पास पैसा और सिंचाई के लिये जमीन है उसके लिये तो नहरें खोलने में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है और न सींचने के लिए जमीन है उसकी दिलचस्पी कैसे उसमें हो सकती है। इसलिये जब तक आप जो पीड़ित हैं उनके जीवन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक कोई योजना नहीं चल सकती।

आज अध्यापक भूख हड़ताल कर रहे हैं। ६ वर्ष से उनकी मांगें आपके सामने हैं लेकिन आज तक आपने क्या किया? हम कहते हैं कि आज मिनिस्टर साहबान या गवर्नर साहब अगर थोड़ा भी अपनी तनख्वाहों को कम करके इन छोटों को देते और उनको थोड़ी-थोड़ी रक़म की पूर्ति करने की कोशिश करते तो वह भी मिनिस्टर साहबान के कहने को मानते। लेकिन हमारी सरकार इस बात को सोचने को तैयार नहीं है। ऊपर के कर्मचारियों की जितनी तनख्वाहें हैं उनको वह वैसे ही क़ायम रखेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस दृष्टि से सोचें और विचार करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई लिस्ट है, जिसके अनुसार नाम लिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास बहुत से नाम आये हैं, जिसको मैं मुनासिब समझता हूं समय दे रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तब तो यह मुनासिब बात नहीं होगी।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जब कि यह बजट इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किया तो एक बहुत ही विस्तृत विवेचन के साथ इस बजट को माननीय सदस्यों को तथा प्रदेश की जनता को समझाने का भी यत्न किया। अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने भी मुझसे पहले इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हमारा उत्तर प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अग्रसर हो रहा है। मैं भी समझता हूं कि इस बात में बहुत हद तक वास्तविकता है। निस्संदेह लोग आज जितनी

आशा करते थे उतना सुधार और उतनी उन्नति तो देश की और जनता की नहीं हो सकी है। लेकिन यह कहना कि उन्नति नहीं हुई या कल्याणकारी मार्ग पर हमारा प्रदेश नहीं चल रहा है, मैं समझता हूं कि यह तो प्रकाश से चौंधिया कर आंख मीचने के बराबर होगा। लोग उम्मीद बहुत ज्यादा करते थे उतना नहीं हुआ और एहसास करने का माद्दा बढ़ गया है इस लिये जो कुछ हुआ है उसे नगन्य के बराबर भी बताया जाता है।

कल विरोधी दल के माननीय नेता श्री राज नारायण जी ने तथा आज भी कुछ सदस्यों ने कहा कि यह कल्याणकारी राज्य नहीं है। बहुत सी बातें बतलाई कि जो काम होने चाहिये थे, वे नहीं हुये लेकिन यह नहीं बतलाया कि जो बातें हुई वे अकल्याणकारी हैं। ऐसी एक आध मिसाल अपने तरीके के इंटरप्रेटेशन से दे भी दी हो लेकिन अधिकांश जो मत प्रगट हुये हैं वह ऐसे नहीं हैं जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि राज्य अकल्याणकारी पथ पर चल रहा है। यह कह सकते हैं कि जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है, यह ठीक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार ने तो स्वयं भी अक्सर मौकों पर इसको स्वीकार किया है कि जितनी उन्नति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। लेकिन जो वस्तुस्थिति थी, जिस समय स्वराज्य प्राप्त हुआ और जिन हाथों में शासन की बागडोर आई, राज्य के मामलों में उनको अनुभव नहीं था। आज वह जो उधर बैठे हैं सब हमारे साथी थे और सब ही राज्य के मामले में अनुभवहीन कहे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के होते हुये और बाधाएं जो समय समय पर आईं उनको झेलते हुये जो कार्य भी किया गया उससे अधिक कोई भी सरकार कर नहीं सकती थी कल्याणकारी न कहना अनुचित ही नहीं अन्याय होगा।

आंकड़ों की बात अभी गेंदा सिंह जी ने कही तथा और माननीय सदस्यों ने भी कही। ठीक है, आंकड़ों के द्वारा ही हम लोग यहां आते हैं और आंकड़ों की बात पर ही बहस करने के लिये सदन के समय का उपयोग होता है लेकिन आंकड़ों के अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि प्रदेश का साधारण व्यक्ति क्या अच्छाई या बुराई महसूस करता है। इसमें तो दो रायें हो ही नहीं सकतीं कि आज देश का साधारण व्यक्ति पहले से कहीं आगे पहुंच गया है, कहीं ज्यादा उन्नति कर गया है। यह भी ठीक है कि उन्नति होते हुए वह अपनी तकलीफों को पहिले से ज्यादा बयान करता है क्योंकि पहिले उसे बयान करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब पूरी पूरी स्वतंत्रता प्रत्येक को अपनी बात कहने की है। कल्याणकारी पथ पर चलने और अग्रसर होने की पुष्टि में कई बातें हैं जिनको माननीय सदस्यों ने मुझसे पूर्व कहा है मैं भी कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं। बेकारी को दूर करने के लिये १० लाख रुपया इस बजट में रखा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि सारी पंचवर्षीय योजना का परिणाम प्रदेश से बेकारी का दूर होना होते हुये भी सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर है। इसी तरह से १ लाख रुपया स्त्री जाति के सुधार के लिये रक्खा गया है यह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के किसी भी अंग को पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहती। इसी प्रकार सरकार ने खेती की उन्नति को अपना सबसे पहला लक्ष्य बनाया है।

कल किन्हीं माननीय सदस्य ने संभवतः श्री राजनारायण सिंह जी ने ही यह भी कहा कि यह जो जनतंत्र का राज्य कहा जाता है वह केवल इसलिये कि एक मर्तबा वयस्क मताधिकार द्वारा जो दल चुनकर आ गया और वह दल जो भी करे वह डैमोक्रेटिक कहा जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इसके अलावा और कौनसा उपाय हो सकता है जिसके अनुसार कार्य किया जाना जनतांत्रिक कहा जायगा। वर्तमान सरकार के और भी अधिक क्रियात्मक, जनतांत्रिक उपाय किया है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण का और वह पंचायत राज की स्थापना है। मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का और अधिक जनतांत्रिक उपाय इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता था। जनता की बात को हमेशा ध्यान में रखना सरकार के सामने रहता है जैसा कि वर्तमान बजट वर्ष से भी ज्ञात होता है। बजट भाषण में डेवलपमेंट लेवी का संकेत किया गया था लेकिन प्रदेश की जनता को इसमें उत्साह नहीं था इसके अलावा जो पंचवर्षीय इसलिये सरकार ने उसको नहीं लगाया। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना है वह स्पष्ट रूपसे एक ऐसा कदम है जिसके बारेमें मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव

[श्री कृष्णशरण आर्य]

यह है कि २६ जनवरी से प्रारम्भ सप्ताह में सारे प्रदेश और देश में जो कुछ किया गया उसको जनता ने पूरी तौर से अपनाया। मैंने और मेरे स्थानीय साथियों ने, मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के सदस्यों ने इसे अपनाया या नहीं, क्योंकि रामपुर में तो उन लोगों ने कम हिस्सा लिया, उसके सिलसिले में गांव गांव घूम कर जो कुछ देखा उससे यही नतीजा निकलता है कि जनता ने इसको खूब अपनाया और अपने हृदय से इसको अपने लाभ की बात समझा। उसमें पूरा पूरा सहयोग दिया और पूरा पूरा कार्य किया। और इसलिये आशा की जा सकती है कि देश की जनता चाहती है इस पंच-वर्षीय योजना के अनुसार अपना कल्याण इस वर्त्तमान सरकार के द्वारा करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कोई भी सरकार तब तक पूर्णतया सफलीभूत नहीं हो सकती जब तक कि उसके अन्दर भ्रष्टाचार की मात्रा न्यून से न्यून न रह जाय और उनके लोगों में अनुशासन का पूरी तरह से पालन न होने लगे। आज अनुशासन पालन में बहुत कमी है और उसके कारण जहां और अनेक हो सकते है वहां यह भी है कि राजनीतिक पार्टियां सरकारी अधिकारियों को इस्तेमाल करके उनसे सरकारी अनुशासन भंग कराने का प्रयत्न करती हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिये। विरोधी दल चाहे कितना भी विरोधी प्रचार करें और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करें लेकिन जो भी कार्य सरकार की ओर से होगा उसका श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। फिर क्यों अनुशासन भंग की ओर साहस किया जाता है? मान लीजिये कि कांग्रेस की सरकार नहीं होती और उधर के बैठने वालों की ही सरकार होती तो क्या आप यह पसन्द करते और स्वयं अपनी सरकार के अनुशासन को तोड़वाने का कार्य करते? आज सरकारी अधिकारियों में अनुशसान की तरफ कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा उपेक्षा पायी जाती है। इसकी तीन मिसालें तो इसी समय मेरे अगले ही जिले की हैं। मैं कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन जानकारी सरकार को हो सके, इसलिये बतलाता हूं कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब रामपुर में हैं, जिनका कार्य केवल यह है कि वे अपना अधिकांश समय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या पुलिस विभाग के खिलाफ या कुछ राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ साजिश करने तक जैसी बातों में ही सर्फ करते हैं। इसी तरह से सदर अस्पताल में एक डाक्टर साहब हैं। उनका कार्य केवल यह है कि अपने विभागीय अन्य अधिकारियों के खिलाफ झूठा प्रचार करें। ऐसी ही पुलिस की भी मिसाल है। अभी ९ सारीख की बात है सिविल लाइन थाने में एक दावत हुई, जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी के एक सज्जन भी बुलाये गये और वहां पर दो-ढ़ाई घंटे का समय इसलिये खर्च हुआ कि पुलिस के ऊंचे अधिकारियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया गया। मुझे पता है कि जिले के सुपरिंटेंडेंट पुलिस को यह मालूम है और जाँच के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे ही लेकिन ऐसी बात होती ही क्यों है कि सरकारी अधिकारी अपने ही मुहकमे की पीठ में छुरा भोंकने की बात सोचते हैं। राजनीतिक दलबन्दी के द्वारा इस तरह से अनुशासन की बात और भी खराब होती है। मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ विशेषतौर से इसलिये दिलाया कि इसमें सुधार हो सके। इसी सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय गृह मंत्री जी की सेवा में १३ अक्तूबर को प्रस्तुत किया था। आशा है कि अवश्य ही उनपर विचार किया जायेगा।

इसके अलावा इरीगेशन रेट्स बढ़ाने की बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बतलायी है, निःसंदेह आज जैसी स्थिति है उसमें यह कोई असह्य बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन एक बात मैं रामपुर के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस वक्त विलीनीकरण हुआ था उस वक्त वहां के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो सुविधायें उनको पहले से प्राप्त थीं वे तो अवश्य रहेंगी ही और उससे अधिक भी प्राप्त होगी। जैसा कि अनेक बार इस आदरणीय सदन के सामने आ चुका है, वहां लगाव पड़ौसी जिले से अधिक है। अतः अगर वहां भी आबपाशी का रेट बढ़ाया जायगा

तो इससे वहां के कृषकों को काफी शिकायत का मौका मिलेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

अन्त में जुडीशियल रिफार्म कमेटी की सरकारी रिपोर्ट में जो बातें हैं अगर सरकार उनको स्वीकार करके अमली क़दम उठाने की कोशिश करे तो जो बहुत सी शिकायतें होती हैं अफसरों को समय न मिलने की वजह से, उनमें काफी कमी हो सकती है इसी तरह से पंचायत राज ऐक्ट में जो संशोधन होने वाला है उसमें अगर यह हो सके कि गांव सभा और पंचायती अदालत के जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव भागों के कार्य को अलग करने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय तो इससे वहां का कार्य बहुत सुगमतापूर्वक चल सकेगा। इतना कहकर मैं इस प्रगतिशील बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं।

श्री रामदास आर्य (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को तथा अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े परिश्रम से इस बजट को तैयार किया है। मैं साथ ही परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूं कि इसको अमली रूप देने के लिये वह अपने कार्य में सफल हो, तभी इस सफलता का श्रेय उनको प्राप्त होगा। मैं इसके सम्बन्ध में इतना कहता हूं कि हमारे सामने जो पंचवर्षीय योजना है जब वह सफल होगी तभी हमारे देश में सुख और शान्ति स्थापित होगी। आज स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के बाद दूसरा कार्य स्वतन्त्रता को मुस्तकिल (स्थायी) करना है और साथ ही अपने प्रदेश को सुखी और शान्तिवान बनाना है। यह श्रेय तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हम अपना कार्य जितना कहते हैं उसको हमारी सरकार अमली रूप देगी अन्यथा नहीं। मैं इसमें सबसे पहला स्थान शिक्षा को देता हूं। जब तक हमारे प्रदेश में शिक्षा का ढांचा ठीक प्रकार से नहीं बनेगा तब तक ठीक प्रकार से उत्थान नहीं हो सकता है। जब तक इस तरह की शिक्षा चलती रहेगी, जैसी कि आजकल है, तब तक हम तरक्क़ी नहीं कर सकते हैं। आज शिक्षा पाकर कालेजों से हमारे जो विद्यार्थी निकलते हैं तो वह क्लर्क की क़िस्म के ही लोग हमारी वर्तमान शिक्षा से पैदा होते हैं। हम शिक्षा को उस वक्त सफल समझेंगे जब शिक्षा से स्वावलम्बी, सदाचारी लोग उत्पन्न होंगे तभी हमारे देश का उत्थान होगा। मैं प्राइमरी एजूकेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का उसका रूप आज है उससे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये प्राइमरी शिक्षा की ओर आपकी तवज्जह होना सबसे पहले ज़रूरी है। आज प्राइमरी शिक्षा में जो कमी है वह सब के सामने जाहिर है। जो बेसिक तरीक़ा तालीम चलाया जा रहा है उसके लिये ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी है, जिसके कारण ठीक प्रकार से शिक्षा का कार्य कामयाब नहीं हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि हमारे यहां बेसिक शिक्षा के लिये जितनी शिक्षा सामग्री की आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं की जा रही है। इसलिये यह शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है। आज यदि आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरा पार्ट यह शिक्षकों का है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और जिनके हाथ में देश को बनाना और उन्नत करना है, उनकी समस्या भी आज हमारे इस भवन के सामने है उनको इस समय जो वेतन मिलता है उस वेतन से वह अपना कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनका वेतन चपरासी से भी कम है। हमारे देश में गुरुजनों का जो आदर होता था, जो पेड़ों के नीचे शिक्षा देते थे आज उनका उतना सम्मान नहीं है। हमारे यहां गुरुजनों ने राम, कृष्ण, गांधी जी, ईसा, मुहम्मद, जवाहर वाल्मीक, रैदास, दयानन्द, नानक, क़बीर आदि महान् आत्मा पैदा किये हैं। यह सब हमारे गुरुजनों ने ही पैदा किये हैं जिनका नाम आज भी हम बड़े गौरव के साथ लेते हैं और इस कारण हमारे सदन में बैठे हुये सभी मंत्रिगण और सदस्य-गण यहां इस योग्य बने हैं कि वह आज इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका श्रेय तो उन गुरुजनों को ही है। लेकिन उनकी जो समस्या है उसका हल निकालना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है, उनके वर्त्तमान वेतन में वृद्धि करें और उनको ठीक समय पर प्रतिमास वेतन दिलाया जाय।

[श्री रामदास आर्य]

दूसरी चीज जो हमारे सामने इसी प्रकार की है वह मेहतरों की समस्या है। जो लोग इस समस्या को देख लेते हैं जिन पर गुजर जाती है वही इसके कष्ट को समझते हैं, जैसे कि एक कहावत है कि 'जिस के पैर फटी न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' ऐसी जो मेहतरों की समस्या है उसको सुलझाना भी हमारा कर्त्तव्य है। वह लोग थोड़े से वेतन में गुजर करते हैं और रात-दिन उनके सामने खाने और पहनने की समस्या रहती है उनकी शिक्षा की समस्या की तो कौन कहे, वह इस वेतन में किसी तरह से अपनी गुजर नहीं कर पाते हैं। उनकी जो मंहगाई इत्यादि की जायज मांगें हैं उन पर हमें सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिये और हल करना चाहिये। इससे उनको शान्ति मिलेगी और उनका जीवन निर्वाह ठीक तरह से हो सकेगा। आज अध्यापकवर्ग जो चपरासियों से भी कम वेतन पाता है वह भी ठीक समय पर नहीं, उनकी हालत भी बहुत ही शोचनीय मालूम होती है। उनकी ओर भी हमें शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं आप का ध्यान उद्योग-धन्धों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश में उद्योग-धन्धों में कमी होने के कारण बेरोजगारी की समस्या नाना प्रकार के रूप धारण किये हुये है। हमारे प्रदेश में क़रीब सवा चार करोड़ के हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनको उद्योग-धन्धों की और दूसरे रोजगारों की आवश्यकता है। आज बहुत से लोगों के सामने अपने लिये रोटी की, कपड़े की, शिक्षा की और मकानों की समस्या है। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करते है। आज आर्थिक समस्या की बिना पर उनकी शिक्षा आदि की समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। मैं इस सरकार को बधाई दूंगा कि उसने हरिजनों व पिछड़ी जाति की समस्या को हल करने के लिये सन् १९५३ व ५४ के बजट में ४,९२,५०० रुपये की वृद्धि की है, लेकिन शिक्षा में ९,८०० रुपये की कमी हो गई है। मैं समझता हूं कि जहां इस पिछड़े वर्ग की शिक्षा की अति आवश्यकता है और उन की शिक्षा को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है वहां इसमें और रुपया देना चाहिये था, ताकि समाज का यह अंग भी शिक्षित हो जाय। इससे खेतों पर काम करने वाले भी रोजगार पावेंगे और वह भी उद्योग में लगेंगे। इस तरह से यह समस्या हल हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इतना बतलाना चाहता हूं कि यह आज हरिजनों की ही समस्या नहीं है बल्कि यह तो सारे मजदूर वर्ग की समस्या है। हरिजनों के घरों के वास्ते भी रक़म में इजाफ़ा किया गया है। वह उनकी छतों की मरम्मत और पानी वगैरा के निकास की बहुत ही अधिक जरूरत के लिए है। साथ ही खेतिहर मजदूर जो देहात में रहते हैं उनके घरों की हालत भी बहुत ही खराब है, उनके छोटे-छोटे मकान हैं और एक एक में दस दस बारह बारह आदमी भेड़ों की तरह रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और उनका रहने सहने का तरीक़ा बहुत ही शोचनीय है, जहां भेड़ों के पेशाब और बू से आदमी का खड़ा होना मुश्किल है वहां उनको रहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि उनकी ओर भी सरकार उचित ध्यान दे। मैं यह महसूस करता हूं कि उनके लिये काफी किया जा रहा है लेकिन हरिजनों के उत्थान कार्य में अभी बढोत्तरी की आवश्यकता है और भिन्न भिन्न विभागों में जितनी उनकी तादाद होनी चाहिये वह १० प्रतिशत नहीं रखी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि तमाम विभागों अर्थात् पुलिस विभाग में, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विभाग में, डेवलपमेंट, कोआपरेटिव, हरिजन सहायक, प्लानिंग, सामान्य प्रशासन, जंगलात, शिक्षा, कोर्ट, कृषि, पंचायत राज्य, आबकारी, स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन आदि सभी विभागों में हरिजनों का रिजर्वेशन ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो बताइये वह पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ यह तो नहीं लगता कि वह नौकरी के लिये पढ़ें लेकिन जो रिजर्वेशन दिया है उसको पूरा करना भी हमारी सरकार का एक परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे हम पूरा करें।

मैं पुलिस की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। पुलिस विभाग का कार्य जिस तरह से चल रहा है उसमें ग़रीब हरिजन मजदूरों के लिये हमदर्दी का और इंसाफ़ का तरीक़ा नहीं हो रहा है। उनको पुलिस से शिकायतें हैं और बहुत वाजबी शिकायतें हैं। मैं बहुत

सहानुभूति पूर्वक इतना बताना चाहता हूं कि उस तरफ भी पुलिस को इंसाफ के तरीक़े से उनकी समस्याओं को हल करने में उनका हाथ होना आवश्यक है ।

मैं प्लानिंग की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बड़ी महान योजना हमारे प्रदेश के और भारतवर्ष के सामने है । इसमें यदि कामयाबी होती है तो हमारा कार्य सफल होता है । हम इस काम में मजदूर, किसान और सभी तथा अन्य भाइयों से जो देहात या शहर में रहते हैं उनसे सहानुभूति से काम लेना चाहिये, कोई जबरन तरीक़े से इस स्कीम के अनुसार कार्य नहीं लिया जा सकता है ।

आज एक समस्या मजदूरों की इस सम्बन्ध में हमारे सामने है । हमें उनसे इस काम में प्रेम से सहयोग लेना है । हम चाहते यह हैं कि कुछ न कहें, बल्कि चुपके चुपके हम सरकारी योजना में हमदर्दी के साथ हाथ बटाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहना भी आवश्यक होती हैं । तो इसलिये मैं आप से बताता हूं कि प्लानिंग स्कीम में हमारे सदस्यगण और मंत्रिगण हमारे सरकारी अफसर, अहलकारान जितना भी सहयोग देंगे उससे हमारा प्लानिंग कार्य अधिक उन्नत होगा और मैं यह आशा करता हूं कि यह स्कीम हमारी अवश्य कामयाब होगी ।

हमारे जिले मुजफ्फरनगर में इस प्लानिंग स्कीम के मुताबिक बहुत कुछ कार्य हो रहा है । मैं अपने गांव दतियाने की मिसाल रखता हूं, जहां से जिले के अधिकारी भी घबरा गये थे कि वहां प्लानिंग कार्य होना कठिन है । वहां २० जनवरी सन् १९५२ को कार्य शुरू किया गया और ११ फरवरी तक रहा । इसके परिणामस्वरूप हमने १० मील लम्बे और २१ फिट चौड़े रास्ते अपने गांव से दूसरे गांव को जाने वाले बनाये । एक मील लम्बा नाला भी खोदा गया जिसके लिये कई वर्षों से सरकार से प्रार्थना की जाती रही कि उसे नहर की स्कीम में ले लिया जाय । हमने उसे गांव के किसान हरिजन तथा अन्य मजदूरों के श्रमदान से खोदा है । कुछ फसल के कारण बाकी है । उसे भी सहयोग से गांव वाले खोदेंगे । यह महान कार्य जिसमें सरकार का काफ़ी रुपया खर्च होता उस को गांव वालों ने श्रमदान से समाप्त करके महान संगठन का परिचय दिया है । इस महान कार्य में सब किसान, मजदूरों, हरिजनों ने हमारा साथ दिया और कई लाख रुपया हमारा बचा है । इसमें जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वे सब धन्यवाद के पात्र हैं ।

इस मौक़े पर दूसरी बात आप के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, यह लाना चाहता हूं कि आज हम कोई क़ानून बनाते हैं, जब तक वह सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता है तो इससे हमारे प्रदेश की कामयाबी कुछ ठीक नहीं हो सकती है । उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने अस्पृश्यता निवारण जो ऐक्ट आपने पास किया उसको रखना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि उस ऐक्ट को कामयाब बनाने के लिये गांव गांव में प्रचारार्थ हम जायं । आज हरिजन भाई कुओं पर नहीं चढ़ने पाते हैं इससे छुआछूत बढ़ती जाती है । हम सरकारी अहलकारों की भी तवज्जह दिलाते हैं कि उनमें अभी तक वह भावनाएं नहीं आईं और उनमें उन लोगों के प्रति जो हरिजन भाई हैं जो उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहते हैं, उनके प्रति उनमें छुआछूत का माद्दा है । उसको दूर करने की जरूरत है । मैं यह निवेदन करता हूं कि हमें यह मौका फिर इस प्रकार के कार्य के कहने के लिये नहीं मिलेगा । इसलिये इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

मैं दूसरी बात आपके सामने यह रखता हूं कि जहां तक रोजगार की समस्या है वह २२ हजार एकड़ जमीन जो सरकार ने खेती के लायक़ बनाई उसमें से जिन लोगों को दी गयी वह तो मैं समझता हूं यदि वह उन लोगों को दी जाती जो खेती करने के योग्य हैं और खेती का तजुर्बा जिनको है, खेतिहर मजदूर और हरिजन भाई को उसमें से हिस्सा दिया जाता तो मैं समझता कि उनकी रोजगार की कुछ समस्या हल की जा रही है । यह जो आपके सामने पंचवर्षीय प्लान है वह सबके मेलजोल से और सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है । हम इसमें सबकी मदद से ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं । चाहे वह किसी भी पार्टी के कौन से टैक्सेज की जनता के ऊपर भरमार हैं । इसके साथ साथ कितने और तरह के टैक्सेज भी हैं, जिनको कानूनन टैक्स तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं तो टैक्स ही कहूंगा कि जो

[श्री रामदास आर्य]

सज्जन हों, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे वह कम्यूनिस्ट पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वह किसी भी दल के हों, हमें सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और मैं आशा करूंगा कि कोई भी इन्कार नहीं करेगा और सब इसमें कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल की तरह इस साल भी हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने बजट को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। इस साल उन्होंने बजट पर जो भाषण दिया उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर बच बचाव का ख्याल रखते हुए बजट को सुन्दर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया। यह इस बजट की विशेषता है। किन्तु मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि बजट शब्दों के हेर फेर का सवाल नहीं होता, कल्पना के जगत की उड़ान नहीं होती। वह तो आंकड़ों का प्रश्न होता है कि सरकार की कितनी आमदनी है, सरकार का कितना खर्चा है। बजट से यह भी पता लगता है कि सरकार ने अपने भूत काल में किन कार्यों को किया, उसकी उसमें झांकी होती है और वित्तीय वर्ष में सरकार कौन से कार्य करना चाहती है इसका पूरा विवरण और चित्रण होता है और इसके साथ ही भविष्य में होने वाले कार्यों की भी झलक होती है।

अगर बजट को देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारा बजट सर्वांगमुखी एक घाटे का बजट है। पार साल ४२४ लाख रुपये का घाटा था। इस साल ६४२ लाख रुपये का घाटा है और यह घाटा और भी बढ़ता अगर हमारा पुराना घाटा एक्साइज से मिली हुई आमदनी से और रेवेन्यू रिजर्व फंड से पूरा न किया जाता और इस बजट का क्या हाल होता उस वक्त अगर हमारी कैबिनेट, हमारी यह सरकार विभिन्न जिलों की प्रगति के लिए किये जाने वाले कार्यों को स्थगित करके ६६४ लाख के बजट की मांग को कम करके २९४ लाख न करती। इसके साथ साथ बजट भाषण का प्रमुख अंग पंचवर्षीय योजना है,। इस पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे वित्त मन्त्री ने बतलाया कि सन् ५२-५३ के बाद ८० करोड़ रुपये का प्रश्न फिर हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय। वह हमारे वित्त मंत्री साहब बतानें में सफल न हुए। इस ८० करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिये और इस घाटे की पूर्ति करने के लिये कौन से उपाय हैं। एक तरफ तो वह आमदनी का जरिया बताते हुए मायूसी महसूस करते हैं तो दूसरी तरफ इस बात को भी दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि हम अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि आमदनी के जो जरिये हैं उनमें कमी की संभावना है, उन्होंने कबूल किया इस बात को कि पब्लिक से कर्जा मिलना असम्भव है, उन्होंने कबूल किया कि इस बात को भी कि केन्द्रीय सरकार से भी कर्जा या मदद मिलने का भरोसा नहीं है और टैक्स के बारे में भी उन्होंने घुमाव फिराव के साथ यह बताने की कोशिश की कि शायद ज्यादा टैक्स लगने की सम्भावना भी नहीं है। तब मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा जादू का डन्डा उनके पास है कि वह इस घाटे को पूरा कर सकेंगे। इस सरकार के पास कौनसा वह कदम है जिसको उठाकर सरकार ने अपने फरायज अन्जाम देना चाहती है। अब इस बजट में मेरा लुब्बोलबाब जो बजट भाषण का है मैं उसको देखता हूं तो हमारे माननीय वित्त मन्त्री किसी न किसी सूरत में टैक्स पर आश्रित दिखायी देते हैं। लेकिन फर्क इतना कि इस कल्याणकारी राज्य के नाम पर उन्नति और विकास के नाम पर वह जो टैक्स वसूल करना चाहते हैं उसको प्रास्पेरिटी टैक्स कहते हैं। मैं सबसे पहिले यह पूछना चाहूंगा कि जहां जनता की प्रास्पेरिटी का यह हाल हो कि इस राज्य में उन्हें खाने को अन्न न मिले, पहिनने को कपड़ा न मिले और रहने को मकान न मिले और कहीं कहीं तो पीने को पानी तक न मिले तो प्रास्पेरिटी टैक्स वसूल करने की कौन सी सूरत होगी वह बतायें इस बात को कि पुरानी शराब को नयी बोतलों में भरने से क्या नशे में फर्क पड़ जाता है। टैक्सेज के बारे में केन्द्रीय सरकार के टैक्स अलाहदा हैं, राज्य सरकार के टैक्स अलाहदा हैं, स्थानीय संस्थाओं के टैक्स अलाहदा हैं, ग्राम सभाओं के टैक्स अलाहदा हैं और न जाने कौन

मजबूर होकर देने पड़ते हैं। राजनैतिक पार्टियों की सदस्यता के लिये चन्दे का प्रश्न है, चुनाव के लिये चन्दा चाहिए, जीने के लिये चन्दा चाहिए, मरने के लिये चन्दा चाहिए, स्कूलों की इमारतों के लिये चन्दा चाहिए, अस्पतालों के लिये भवन बनाने के लिये चन्दा चाहिए और न जाने कितनी ऐसी दूसरी बातें हैं। उसके पश्चात् मैं आपके सामने उनकी एक मजबूरी और भी बताना चाहता हूं। इस कल्याणकारी राज्य की जनता की एक मजबूरी यह भी है कि उनका कोई काम बगैर रिश्वत दिये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक मिसाल दूं कि एक आदमी हमारे टेहरी-गढ़वाल का पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, थानेदार उससे २५ रुपया मांगते हैं और अगर वह देने से इन्कार करता है, तो थानेदार का जवाब होता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। अगर सब इंसपेक्टर के शिकायत की जाती है रिश्वतखोरी की तो सर्किल इन्सपेक्टर इन्क्वायरी के लिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सब-इन्सपेटरों के खिलाफ इस प्रकार की जांच से चार्जशीट लगाई गई। जब से ऐसे कोई साधन आपके वेलफेयर स्टेट की जनता के पास मौजूद नहीं है तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी और माननीय सरकारी पक्ष के सदस्यों से बार बार पूछना चाहता हूं कि अपने कौनसे ऐसे साधन के जरिये बसर के लिये पैदा किये हैं कि जिनको दे कर वह माननीय वित्त मन्त्री को इस भावन का आदर करें। इन बातों को देखते हुए मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि जिस राज्य को आज कल्याणकारी राष्ट्र कहा जाता है उसका और उसकी जनता का यह हाल है। इसके पश्चात् मैं एक दो बातें और भी कहना चाहता हूं। यह तो मैंने आम हालत बयान की। सरकारी पक्ष के सदस्यों की तरफ से जो टेहरी-गढ़वाल का जिक्र किया गया है तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार टेहरी-गढ़वाल के लिये अवहेलनात्मक दृष्टि रखती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एक भी नयी सड़क वहां बनायी है? हमारे यहां एक टिहरा छोटी सड़क है और जब वहां ठाकुर फूल सिंह जी पहुंचे तो उनकी गाड़ी पास होने के लिये लकड़ी लगाकर सड़क तैयार की गई। तो क्या यह सड़कों में तरक्की और वृद्धि करने का नमूना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि रियासत मर्ज होने के बाद कौन से स्कूल खोले गये? मैं औषधालयों के बारे में पूछता हूं हमारे यहां अब ४२ ही औषधालय रह गये हैं और इसी रफ्तार से सरकार की पंचवर्षीय योजना में पता नहीं इनकी तादाद घटकर कितनी हो जायगी। हां, सिर्फ मैं मननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सिविल सर्जन का हेडक्वार्टर खोलने का आश्वासन दिया था और वह खुल गया। परन्तु मुझे क्षोभ भी है कि जहां जहां हमारे यहां डिस्पेन्सरीज हैं वह नाम की हैं और वहां अभी तक मकानात तक नहीं बने हैं यद्यपि मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इस ओर भी पूरा ध्यान देंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के देखने से मालूम होता है कि टेहरी के प्रति अवहेलना की गई है। फिर किस बात पर सरकार गर्व करती है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल हो! सरकार चाहती है कि जनता चार आने का स्टाम्प खरीद कर उसकी योजना को सफल बनावे। लेकिन उससे इतना बड़ा धन नहीं प्राप्त हो सकता कि ४ या ५ करोड़ की धनराशि की पूर्ति हो जाय।

इसके पश्चात् मैं श्रमदान-सप्ताह के बारे में यह कहना चाहता हूं जिस पर पंचवर्षीय योजना की सफलता रखी गयी है। श्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि उनके जिले में बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में कहता हूं कि वहां से जो रिपोर्टें आई हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। उस समय मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा था और मुझे भी कुछ कार्य करने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि वहां केवल विद्यार्थियों और अध्यापकों ने या पटवारियों ने, जिनकी बात आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, कुछ काम किया। श्रमदान में जनता में उत्साह होना चाहिए और सरकार की ओर से प्रोत्साहन होना चाहिए। प्रोत्साहन की तो यह हालत है कि श्रमदान से हमारे यहां टेहरी में एक मोटर सड़क बनने का निश्चय हुआ था उस समय हमारे माननीय उपमन्त्री जंगलात श्री जगमोहन सिंह नेगी ने आश्वासन दिया

[श्री सत्य सिंह राणा]

था और उसके अनुसार कंजरवेटर महोदय या जिलाधीश ने एलान किया था कि जो जगह चट्टानी है और जहां पुल बनने है उन जगहों पर रास्ता जंगलात महकमा बनावेगा परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां आज तक उसका एलाइनमेंट भी ठीक से नहीं हुआ है और लोगों ने जगह जगह पर चट्टानी हिस्सों को छोड़ते हुये स्कैटरिंग किया है। वह भी कोई टेक्निकल सुपरवीजन से नहीं हुआ है। महकमा जंगलात ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। हमने ५२-५३ के सप्लीमेंट्री का और इस साल के बजट को देखा तो उनमें उसके लिये भी कोई गुन्जाइश नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि जो भविष्य में श्रमदान की सरकार को आशा है वह नहीं मिल पायेगा।

जब टेहरी रियासत विलीन हुई तो माननीय मुख्य मन्त्री हमारे नरेन्द्र नगर पहुंचे और इसका उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो स्कूल जनता अपने श्रमदान से बना रही है उनमें ८,००० रुपया सरकार जूनियर हाई स्कूल के लिये और १ हजार रुपया हर बेसिक स्कूल के लिये देगी और यहां भी हमें विश्वास दिलाया था। लेकिन आज कोई गुन्जाइश उसके लिये भी इस बजट में नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए हमें बहुत नाखुशी होती है और जैसा हमने पारसाल कहा था। हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि चूंकि वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये इसलिये वहां यह सरकार कुछ नहीं करने जा रही है और हमें अपना दुखड़ा रोते ही रहना पड़ेगा। अखबार में यह समाचार निकला भी था कि जब एक माननीय उपमन्त्री जी टिहरी गये तो उन्होंने जनता में यह कहा भी था और उसका कोई खंडन नहीं किया गया। इससे मालूम होता है कि यह बात सही थी। यदि वह गलत होती तो उसका सरकार की ओर से अवश्य खंडन होना चाहिए था।

अन्त में मैं फिर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उस पिछड़े हुए इलाके की ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों का यह हाल है कि वह आज विधान भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। मजदूर और महतर हड़ताल कर रहे हैं और सरकार का रुख उनके प्रति ऐसा है। उस तरफ के बैठने वाले सज्जनों से मेरा यह निवेदन है कि ५ साल पहले आपने अंग्रेजी सल्तनत के सामने उसी तरह के प्रदर्शन किये होंगे। और आज यह नज्जारा इतनी जल्दी आपके सामने आ रहा है जो अच्छाई का द्योतक मालूम नहीं पड़ता। जरा उनका ख्याल कीजिए। समय समाप्त हो गया है। बाकी समय मिलने पर अर्ज करूंगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इसीलिये ७८ करोड़ का बजट हमारा सबसे बड़ा बजट होना एक माने में सही भी है। हम जब बजट को देखते है और उस जमाने से देखते हैं जब अंग्रेज हमारे देश से जाने लगे, उस वक्त से अब हमारा बजट खर्चे में करीब-करीब ३० करोड़ रुपये से बढ़ गया है और इससे मैं यह समझता हूं कि हमारी ताकत आज ४४ करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय ७८ करोड़ रुपया खर्च करने की हो गयी है। इसको मैं खुशहाली की निशानी मानता हूं।

हमारे डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद हम समझते हैं कि हमारी आमदनी सवा सौ करोड़ के करीब हो जायगी और हम समझते हैं कि जो आज मुसीबत है वह आगे चलकर खत्म हो जायेगी। श्रीमान्, जब हम बजट को खर्चे के हिसाब से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे बजट में या किसी भी बजट में खर्चे तो दो तरह के हुआ करते हैं। एक खर्चे तो वह हुआ करते हैं कि जिनमें खर्च करते हैं लेकिन उनसे कोई आमदनी नहीं मिला करती और दूसरे खर्चे वह होते हैं जिनमें खर्च करने के बाद आमदनी भी होती है। अब इन खर्चों को हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि वह खर्चे जिनमें केवल खर्चा ही करना है, उनमें हम कम से कम खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा एफीशिएन्सी हासिल कर सकें, तो हमारा वह खर्चा सही है और जिन खर्चों में खर्च करने के बाद आमदनी होती है तो उन खर्चों में कम से कम पूंजी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें, तब हमारा खर्चा सही है।

बजट को देखने से हम इस नतीजे पर आते हैं कि हमारे बजट में एक बड़ा खर्चा करीब करीब २५ करोड़ रुपये का नौकरों की तनख्वाहों का है। श्रीमान्, जब हम इस खर्चे को देखते हैं और इस तरह से देखते हैं कि इस २५ करोड़ के खर्चे में ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी मिल सके। लेकिन मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं पाता हूं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में एक हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कुल ३०० आदमी हैं। यह सही है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि उनकी तनख्वाहों को कम करने में हमें कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक फायदा यह होगा कि आज कम तनख्वाह पाने वाले आदमियों को जो भूखे पेट रह कर सरकारी नौकरी करते हैं, अगर दूसरे आदमियों की तनख्वाहें कम की जाती हैं तो उनको थोड़ा सा सन्तोष होता है। श्रीमान्, हम इस बात के हामी नहीं है और इस बात को नहीं मानते हैं कि हम दूसरों की तनख्वाह इसलिये कम कर दें कि हमारा फायदा न भी हो तो भी कम कर दें, हम इस बात के पक्षपाती नहीं हैं। हम अमीर को कम अमीर इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि इससे गरीबों को निस्बतन फायदा भी हो। अब नौकरों से ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी लेने के लिये हमें इस बात की तलाश करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसको देखने के लिये कि अंग्रेजों के जमाने में नौकरी का जो उसूल था उसे भी देखना है। वह यह था कि वे इस बात को मानते थे कि बहुतसी नौकरियों में ऊपर की आमदनी हो जाती है। इसी बात को दृष्टिकोण में लेकर उन्होंने नौकरों की तनख्वाहें और कन्डीशन आफ सर्विस वगैरह तय की थी। मिसाल के तौर पर कह दूं कि पुलिस की नौकरी में सब-इन्स्पेक्टर, पटवारी आदि नौकरियां ऐसी थीं, जो यह मान कर रखी गयी थीं कि उनको ऊपर की आमदनी हो जायगी। लेकिन आज स्वाधीन होने के बाद कल्याणकारी राज्य में हम इस प्रकार की नौकरियों की बुनियाद नहीं रख सकते। हमें नौकरियों की एफीशियन्सी को बढ़ाने के लिये उनमें संतोष रखना होगा और ऐसी सूरत पैदा करनी होगी जिससे उनमें संतोष कायम रहे। श्रीमान्, हम हड़ताल के विरोधी हैं और खास कर आजकल जब कि हमारी सरकार है, लेकिन हम इस बात के भी हामी नहीं हैं कि हम ऐसी कन्डीशन क्रियेट करें कि सर्विसेज को हड़ताल करना लाजिमी हो जाय। यह प्रश्न बहुत अहम है और हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी हालत न होने पाये हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जह इस बात पर देनी चाहिए कि हम किस तरह से इस जरूरी और अहम मसले को तय कर सकते हैं। हम कम से कम अपनी नौकरियों को ऐसी बनायें, उनको ऐसी तनख्वाहें कायम करें जिसमें वे जीवित रह सकें। इसके अलावा ऐसी भी चीजें है जिनमें तनख्वाहों के न बढ़ाने से भी हम उनको संतुष्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तबादले का सवाल है। तबादला किस जमाने में, किस मौसम में, और किस महीने में होना चाहिए, इसका कोई ख्याल आज नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि एक जगह का रहने वाला सरकारी कर्मचारी जब दूसरी जगह जाता है अपने बच्चों का ऐडमीशन स्कूलों में नहीं कर पाता, न उसको मकान मिल पाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देने से उनकी हालत को बिना पैसा बढ़ाये ही सुधारा जा सकता है। उनको मकान देने के लिये भी सरकार को विशेष तवज्जह होनी चाहिए।

एक बात इस सिलसिले में मै और अर्ज कर दूं कि जो एक्सटेन्शन बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि इससे नीचे के छोटे-छोटे कर्मचारियों का, छोटे-छोटे अफसरों का उत्साह भंग होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मन्त्रिमंडल से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मामले पर गौर करें और अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि ५५ साल की उम्र खत्म करने पर काम करने की इनर्जी बाकी रहती है तो ईमान्दारी के साथ ५५ साल की उम्र को बढ़ाकर ६० या ६५ साल कर दिया जाय और उसके पश्चात् भी यह होना चाहिए कि अगर किसी को एक्सटेन्शन देना हो

[श्री भगवान सहाय]

तो उसका देना पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में रक्खा जाय। वही इस बात को देखें कि कोई शख्स एक्सटेन्शन के योग्य है या नहीं और एक्सटेन्शन की जरूरत है या नहीं।

श्रीमान्, इसके अलावा मुझे एक बात और भी बहुत ही खटकी और वह यह है कि सरकार ने एफीशियन्सी बढ़ाने का जो नया कानून बनाया है जिस पर कि माननीय वित मन्त्री जी ने प्रकाश डाला भी है उसमें से एक यह है कि सरकार जिन कर्मचारियों को थोड़ा सा भी इन-एफीशियन्ट समझती है, उनका प्रमोशन स्टाप कर देगी और यह प्रमोशन स्टाप करना पनिशमेंट नहीं समझा जायगा। मेरे ख्याल से यह बहुत ही खतरनाक चीज होगी क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि उसका राइट आफ अपील मारा जायगा क्योंकि वह पनिश्मेंट नहीं है। इस तरह से इसके एमीजियेट आफीसरान उसको पैनेलाइज कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसका बहुत बड़ा बुरा असर हो सकता है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से इस पर बहुत बड़ी तवज्जह देने को कहूंगा और आशा करता हूं कि वे इस पर फिर से विचार करेंगे।

अब मैं कुछ ऐसे मसलों पर आता हूं जो कि एक जमाने से मुसीबत की बातें रही हैं और हमारी सभ्यता के ऊपर एक कलंक सा रहा है और यह श्रीमान् है दफा १०९ और ११०। आज दुनिया के पेनेलकोड को उठा कर देखें। तो दफा १०९ और ११० जैसी चीजें किसी भी सभ्य देश में नहीं मिल सकती है। मैं समझता हूं कि इसका हमारे यहां होना एक बहुत ही गलत चीज है। मैं मानता हूं कि बाज वक्त ऐसा होता है कि हम मुजरिम को सही सजा नहीं दे पाते और उसके लिये हम दूसरे जराये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता के फन्डामेंटल हुकूक पर यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसा भी देखने में आया है, खास कर आपने जिले में श्रीमान् मने देखा है कि आदमी डकैती में पकड़े जाते हैं और जब वे अदालत से निर्दोष छूट कर आते ह तो उनकी हिस्ट्रीशीट यानी निगरानी खुल जाती है। यह एक बहुत बड़े गैर इन्साफ की चीज है। मैं समझता हूं कि श्रीमान्, मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

इसके बाद म अपने उत्तर प्रदेश पर हुए एक बहुत बड़ी गैर इन्साफी का जिक्र श्रीमान्, आपके द्वारा इस सदन के सामने करना चाहता हूं। यद्यपि वह हमसे बिलकुल सीधा सम्बन्ध रखने वाला नहीं है बल्कि केन्द्र से है। लेकिन फिर भी हमारे यहां उसका बुरा असर हो रहा है, इसलिये मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं और वह मसला है, रेलवे ट्रांस्पोर्ट का। आज उत्तर प्रदेश में आलू, गुड़, शक्कर वगैरह वैगन न मिलने की वजह से जगह जगह पड़े हुए है और हमारे प्रान्त के अन्दर जो इन चीजों को पैदा करने वाले हैं, किसान जनता है, उन लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नार्दर्न रेलवे को हमारे यहां ५ हजार मील रेलवे लाइन के होते हुए भी उसका हेडक्वार्टर नहीं है और उसका नतीजा यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों की मांग के लिये भी दूर जाना पड़ता है और ऐसे आदमियों के पास जाना पड़ता है जो हमारी मांग को हमदर्दी में सुनने के लिये तैयार नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर श्रीमान्, इस सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। केवल लखनऊ क्षेत्र के ही अन्दर ११९ वैगन आलू पड़ा हुआ है और १९६ वैगन रुदौली, बाराबंकी और फैजाबाद जैसे स्टेशनों पर पड़ा हुआ है। और उसके लिये वैगन नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में श्रीमान्, आप यह भी देखेंगे कि नार्दर्न रेलवे की जहां कुल माइलेज ६ हजार है उसमें ५ हजार माइलेज हमारे ही प्रान्त के अन्दर है। इसलिये मैं समझता हूं कि सही बात यह होती कि हमारे राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार से राज्य के लेबिल पर इस बात की मांग करती कि हमें ये सुविधायें दी जानी चाहिए। एक बात मैं और भी देखता हूं कि केन्द्रीय सरकार के बजट मे उत्तर प्रदेश के अन्दर नयी रेलवे लाइन के कांन्स्ट्रक्शन को कोई भी बात नहीं है। यह सब इसलिये है कि नार्दर्न रेलवे का हेड क्वार्टर हमारे यहां नहीं है।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—इसके लिये तो सेन्टर वाले कहेंगे।

श्री भगवान सहाय--सेन्टर वाले जो कहेंगे वह तो सही कहेंगे ही। मैं अपने पार्लिया-मट्री सेक्रेटरी साहब से इसलिये कहता हूं कि स्टेट लेबिल से इसके लिये मांग करें ताकि वहां वाले भी कह सकें कि हमने अपने फर्ज की अदायगी की।

अब जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है वह बढ़ती हुई जनसंख्या का सवाल है। एक सवाल जिसका जिक्र बार बार सदन के सामने होता रहा है और वह सवाल है खाने का, लेकिन खाने के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाना पकाने का साधन हमारे पास बहुत थोड़ा है। वह साधन ईंधन का और उसकी समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है जिसके लिये हम इस समस्या को हल करने के लिये अपने बजट में कुछ भी नहीं देखते हैं। यह ऐसी समस्या है कि जिसका एग्रीकल्चरल प्लानिंग से सीधा सम्बन्ध है। इस समस्या को सरकार किस प्रकार से हल करेगी यह मालूम नहीं हो सका। अगर अपने देश के अन्दर गोबर को बचा सकें तो हम करोड़ों रुपये की सम्पति इससे पैदा कर सकते हैं और यह नहीं हो सकता जब तक हम दूसरा हिस्सा ईंधन का नहीं देते हैं।

सेपरेशन आफ जुडिशियरी का मसला भी बहुत अहम है और इसके लिये जो कदम उठाया गया है वह अभी अधूरा है। हम यह चाहते हैं कि जहां पर अभी जूडिशियरी अलग नहीं हुई है वहां उसको जल्द अलग किया जाय और जिले के अन्दर कलेक्टर के हाथ से इसको हटाकर जूडिशियरी के साथ कर दिया जाय तो यह चीज पूरी हो जायगी।

एक बात और है और वह यह है कि अक्सर हम यह देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी में जो चाय पानी का आयोजन हुआ करता है उसका जिकर कहीं बजट में देखने को नहीं मिलता। बहुत गौर करने के बाद हमारी यह समझ में आया कि शायद कंटिन्जेंसी फंड से इसको पूरा किया जाता हो, हमारे बजट में ऐसा होना नहीं चाहिये। कोई भी साधारण आदमी इसको देखकर समझ लें कि हमारा रुपया किस तरह से कहां कहां खर्च हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इसको सही तरीके से बजट में प्रोवाइड करने की कृपा करें अगर जरूरत हो तो फिर सम्चुएरी एलाउंस की मद में इस रूपये को ले लें।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मैं पहले इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को धन्यावाद देता हूं। हमारा यह बजट पंच-वर्षीय योजना के साथ नत्थी है। इस वास्ते हम अपने बजट को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना में उसकी मान्यता दी गई है। पहले हमको यह देखना है कि पंचवर्षीय योजना म हमारे प्रदेश के लिये कितना रुपया रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिये ९७ करोड़ ८२ लाख रुपया पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे प्रदेश के लिये दिया हुआ है जबकि मद्रास के लिये १४० करोड़ रुपया और बम्बई के लिये १४६ करोड़ है। बजट के भाषण में यह बताया गया है कि १२१ करोड़ होना चाहिये, लेकिन यहां पर ९७.८२ लाख लिखा हुआ है। मालूम हुआ कि उसके लिये बाचचीत हो रही है। फिर बाद में उसमें उसको जोड़ दिया जायगा। इससे यह पता नहीं चलता है कि ९७ करोड़ और १२१ करोड़ रुपये का जो अन्तर है कैसे और किस मद में पूरा किया जायगा।

जहां तक प्लेन का सवाल है २,०६९ करोड़ रुपया कुल खर्च होना है जिसमें से १,२४१ करोड़ रुपया तो केन्द्र का व्यय है और ए बी सी. स्टेट के लिये शेष ८२८ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस ८२८ करोड़ रुपये में अगर हिसाब लगाया जाय तो परकैपिटा खर्च हिन्दुस्तान में जो हर प्रदेश पर होना चाहिये वह २३ रुपये होना चाहिये। उस २३ रुपये का हिसाब अगर इस प्रदेश के ऊपर ऐलाट किया जाय तो उसके हिसाब से १४५ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के ऊपर एलाट होना चाहिये था। मैं यह नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हम १४५ करोड़

[श्री कालिका सिंह]

रुपया पंचवर्षीय योजना के बजट में न रख सकें क्योंकि जो हिसाब निकाला गया है उस में ९० अरब रुपया नेशनल इनकम भारत की है और हमारे प्रदेश की नेशनल इनकम १६ अरब १५ करोड़ रुपया है। इस के मानी यह हुये कि कुल देश की आय का छठवां हिस्सा हमारी आमदनी है जो कि जनसंख्या के आधार पर भी छठवां ही हिस्सा आयेगा। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि भारत की जनसंख्या के आधार पर हमारी जो नेशनल आय निकलती है वह इतनी आती है कि हम उस पर इतना बोझ बरदाश्त कर सकते हैं। इसलिये १४५ करोड़ से घटाकर ९७ करोड़ या १२१ करोड़ हम नहीं रख सकते। जो रकम हम ने पहले रखी थी या जो १२१ करोड़ की बातचीत चल रही है उसमें जो रकम इर्रीगेशन और दूसरी प्रोजेक्ट्स के लिये रखी गई है उस के लिये हमारे यहां बहुत कम रुपया पड़ता है। इस बजट का मैं सम्पूर्णतः समर्थन करता हूं लेकिन कुछ रचनात्मक सुझाव मैं रखना चाहता हूं कि केन्द्र के पास या नेशनल प्लानिंग कमीशन के पास यह चीज रखी जाय कि उत्तर प्रदेश में समुचित विकास के लिये अधिक रुपया दिया जाय। इर्रीगेशन और पावर के लिये २६५ करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट ने केन्द्र में अपनी मल्टीपरपजेज प्रोजेक्टस के लिये रखा है। अगर इस स्टेट का हिसाब प्रदेशों पर सिचाई और बिजली पर दिये व्यय पर निकाला जाय तो ९ रुपया पर केपिटा मिलना चाहिये इर्रिगेशन और पावर के लिये। इस हिसाब से ५६ करोड़ ८८ लाख रुपया इर्रीगेशन और पावर के लिये उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये लेकिन इस के बजाय यहां पर कुल ३३ करोड़ २३ लाख रुपया ही रखा गया है और यह इन दोनों जरूरी मदों के लिये बहुत ही कम है। जब हम देखते हैं कि उसी मद पर हमारे प्रदेश का कुल विकास निर्भर है तो ऐसी हालत में हम केन्द्र से इस बात का प्रयत्न कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेन्ट कह सकती है कि हम ३३ करोड़ के बजाय ५६ करोड़ खर्च करने के लिये तैयार हैं, हमें उसका एलोकेशन होना चाहिये।

रेहन्ड डैम अभी इसमें शामिल नहीं है और वह हमारे खर्च में शामिल नहीं भी होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर लेने जा रही है। उस में ३५ करोड़ रुपया खर्च होगा। रेहन्ड डैम, जो पंचवर्षीय योजना में लिया गया है उस में ४० करोड़ रुपया नया जोड़ दिया गया है और उस में कोसी कोयना, कृष्णा, चम्बल और रेहन्ड है। यह ५ डैम सम्पूर्ण देश के हैं। ४० करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह नया बढ़ाया गया है उसमें से हमें इस हिसाब से ५ या ६ करोड़ रुपया दिया जा रहा है जो कि बहुत कम है जबकि ३५ करोड़ रुपया इस पर व्यय होने वाला है जितना कि आंका गया था। पारसाल भी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि रेहन्ड डैम तो हम को पूरा करना ही है। अगर केन्द्र न भी मदद देगा तो हम इस प्रदेश ही से अवश्य कुछ विचार करेंगे कि जल्द से जल्द डैम पूरा हो जाय। पारसाल के बजट में भी हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक की मद में रिहंड डैम में कुछ नहीं रखा गया। लेकिन इर्रीगेशन की मद में १० लाख रुपया जरूर रखा गया था और इस साल के बजट में भी हम देखते हैं कि रिहन्ड डैम का नाम आया है और इर्रिगेशन की मद में वही १० लाख रुपया रखा गया है। अगर इस तरह का हमारा प्रयत्न है कि पारसाल भी १० लाख रुपया रख दिया और इस साल भी वही रख दिया तो हम यह समझते हैं कि जहां तक इस प्रदेश का प्रयत्न है रिहैड डैम को बनाने के लिये वह अपर्याप्त है ३५ करोड़ रुपया तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसी हालत में तो इस सम्बन्ध में भी केन्द्र पर ही हम को भरोसा करना है। यह रिहंड डैम एक प्रदेश का नहीं है। यह अन्तर प्रदेशीय है। इसमें हमारे १५–१६ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। विन्ध्य प्रदेश के भी आ जाते हैं और बिहार के भी कुछ आ जाते हैं। अवश्य ही यह अन्तर प्रदेशीय है। केन्द्र ने जिस आधार पर दामोदर वैली, भाखरा, हीराकुंडा और दामोदर के ४ बांध लिये हैं और २६५ करोड़ रुपया उन पर केन्द्रीय सरकार खर्च कर

रही है तो कोई कारण नहीं है कि अगर प्रदेशीय सरकार बहुत जोर लगाये तो यह रिहंड डैम भी क्यों न सम्भवतः केन्द्रीय व्यय शामिल हो जाय। रिहंड डैम से जो जिले पिछड़े हुए हैं, जिनको बहुत हीन अवस्था है जैसे पूर्वी जिले, उनका अपलिफ्ट होने वाला है। हमको खेद है कि रिहंड डैम को शुरू करने के बाद ५० लाख रुपया व्यय भी करके छोड़ दिया गया। इस वास्ते मैं यह चाहता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे और ३५ करोड़ रुपया उसके जिम्मे रखवा दे वह केन्द्रीय योजनाओं में शामिल हो जाय।

अब जहां तक टैक्स का ताल्लुक है हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो नीति अपनायी है वह नीति बहुत ठीक है। हमारी कोशिश यह अवश्य होनी चाहिये कि जहां तक सम्भव हो टैक्स न लगाया जाय, किन्तु जहां तक विकास का प्रश्न है हम को विकास करना ही है। हमारी एक बोल्ड पालिसी होनी चाहिये। हमारे अन्दर नरवसनेस नहीं आनी चाहिये। अगर हम कोई टैक्स नहीं लगाते, कोई डेवलपमेंट लेवी, कोई बेटरमेंट लेवी या पंचवर्षीय योजना में जिन टैक्सों के लिये सलाह दी गयी है वह नहीं लगाते हैं तो इस हालत में हम अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। इस साल के बजट में जो बढ़ी हुई आपकी रकम है वह ऐस है जो अपने से बढ़ गयी है यानी प्रदेश की तरफ से कोई प्रयत्न उसके लिये नहीं किया गया है जैसा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में हिदायत की गई है जो ११ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। एक स्पेशल डेवेलपमेंट फन्ड कायम हुआ है, ३३० लाख रुपये का। जिसमें ५० परसेंट इर्रीगेशन रेट से प्राप्त हुई आय रखी जायगी। इसे मिला कर १४ करोड़ रुपये के करीब होता है। ११ करोड़ रुपया जो आया है उसके लिये कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाया गया। यानी पंचवर्षीय योजना में जो सलाह दी गयी है टैक्स लगाने की और टैक्स लगा करके विकास करने की, उसके अनुसार आयवृद्धि नहीं की गयी।

अगर कोई समाजवादी भाई इसका विरोध करते हैं कि टैक्स न लगाया जाय और विकास न हो तो यह सिद्धांत के विरुद्ध होगा। टैक्स भी लगाना है और विकास भी करना है। किन्तु यह आवश्यक है कि जो टैक्स लगाया जाय वह इक्वेटीबिल होना चाहिए जो परकैपिटा इनकम है, अरबन और रूरल एरिया की उसमें समानीकरण करने के लिये वह टैक्स होना चाहिए। इसका एक आधार यह होना चाहिए कि अरबन एरिया में ५४१ रुपया परकैपिटा इनकम है और रुरल एरिया की २१० रुपया परकैपिटा इनकम है। एक तो इसमें समानता लाना है। यह समानता लाने के लिये हमको सैल्स टैक्स के ऊपर दृष्टि डालनी पड़ेगी। सैल्स टैक्स के लिये बजट भाषण में लिखा हुआ है कि हमारे यहां सिर्फ ५ करोड़ रुपया प्राप्त होता है जबकि बाम्बे में और मद्रास में १५ करोड़ रुपया और १७ करोड़ रुपया है। सैल्स टैक्स का भार अरबन पापुलेशन के ऊपर जरूर पड़ता है, और मध्यम वर्ग पर भी लेकिन अगर हमको विकास करना है तो सैल्स टैक्स में चाहे मल्टिपुल प्वाइन्ट टैक्स लगा करके हो या जैसे भी हो वह हमको करना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि एक समस्या आजकल पटवारियों की, पन्चायतो मंत्रियों की और अमीनों की हमारे सामने पेश है। हम देखते हैं कि पटवारियों की तन्ख्वाह १,१२,७६,१०० रु० है, पन्चायत के सेक्रेटरियों की ५९ लाख रुपया है और अमीनों की तन्ख्वाह पर ६४ लाख रुपया की। कुल मिलाकर २३५ लाख रुपये होते हैं। हमारा यूनिट जो है उसको पटवारी सर्किल का एक यूनिट मान लें और पन्चायत सेक्रेटरी भी उसमें मर्ज कर दिए जायं और पटवारी जो पोस्ट मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही अबालिश कर देनी चाहिए। लेकिन पटवारियों की जगह हमको एक पटवारी सर्किल पर एक मंत्री रख देना चाहिए इस तरह से पटवारी के सर्किल में एक पन्चायत का सेक्रेटरी हो जायगा। अमीन का भी काम वही करेगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दूर करके एक यूनिट बना लें।

एक चीज और हमको करनी है कि जो लैन्ड रेवेन्यू में ७४६ लाख मिलता था वहां अब १८५२ लाख रुपया मिलने लगा है काश्तकार जो जमीन्दारों को देते थे वह अब सीध

[श्री कालिका सिंह]

गवर्नमेंट को देने लगे हैं और इस तरह से जो ज्यादा रुपया मिल रहा है वह हर गांव से उतना ही अधिक निकल जाता है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो प्लानिंग बजट बन रहा है गांव सभाओं के बारे म यह बढ़ी हुई आय उस विलेज यूनिट में ही खर्च करें क्योंकि यह रुपया वहीं से निकाला जा रहा है। उतना रुपया हर गांव सभा के विकास के ऊपर पहुंचना आवश्यक है। वह नहीं पहुंचगा तो वह गांव सभा गरीब होती जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगातार दो दिनों से जो वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर वाद विवाद चल रहा है और माननीय सदस्यों की ओर से धन्यवाद के जिस तरह के भाषण हो रह हैं उनक सुनन के बाद और लगातार दो दिन तक, बड़ी मोटी पोथी जो तैयार की गई है, सरकार की ओर से बजट की, उसको पढ़ने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बजट में गांवों और शहरों में रहने वाली जो छोटे तबके की जनता है, जो भूखी और नंगी है, सदियों से भूखी और नंगी है, छोटे छोटे जो क्लर्क हैं, कांस्टेबिल हैं, पटवारी हैं, मास्टर हैं, चपरासी हैं, उन पर कर का बोझ बढ़ाने वाला बजट है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट में माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम कर का भार कम करेंगे इस भाषण में वित्त मन्त्री जी यह कहते हैं कि जनता को खुशी से बचत करके, टैक्स देकरके सरकार की मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अपील बहुत अच्छी है कि देश बनाने के लिये, देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि इस अपील के पीछे कुछ मदद करे। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ अपील होती है मदद करने की, वहां यह नहीं देखा जाता कि इस किस्म की अपील सही माने में अवाम पर असर करती है कि नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि टैक्स सिंचाई कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि इसी सदन में इसी सरकार ने पिछले साल और अब तक शहरों के लिये जो गल्ले (राशन) की स्कीम चलाई थी उसमें चार करोड़ का घाटा हर साल सरकार को उठाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ शहर में रहने वाली जनता को चार करोड़ रुपये का घाटा उठा करके सरकार राशन देती थी और फिर कहती है कि वह जनता जो इस प्रकार राशन पाती थी, बचत करके सरकार को दें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं और हिसाब लगाता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि चार करोड़ सालाना सरकार जो घाटा उठाया करती थी वह और कम से कम चार करोड़ से ज्यादा रुपया जो टैक्स में बढ़ाया जा रहा है वह इस तरह से दस करोड़ रुपये का मुनाफा उस जनता पर जो सिंचाई का टैक्स कम देती थी उसके ऊपर बढ़ने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इससे मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप अपील पंचवर्षीय योजना के लिये सार्थक प्रतीत होती है लेकिन अपील के साथ साथ आप हिसाब नहीं लगाते हैं कि वह जनता कैसे इन टैक्सों को दे सकेगी, जनता कैसे रुपया बचाकर आपके खजाने में जमा कर सकेगी, यह ना-मुमकिन है। अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना की बड़ी डींग हांकी जाती है। अध्यक्ष महोदय, कौन इस देश का ऐसा आदमी होगा जो यह नहीं चाहता है कि देश का उत्थान हो? कौन नहीं चाहता होगा कि देश के रहने वाले आदमी अच्छी तरह से जिन्दगी बिता सकें? लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अपील की जाती है और पंचवर्षीय योजना की बात कही जाती है। अगर पंचवर्षीय योजना की बातें सार्थक होतीं तो अपील भी सार्थक होती देश की जनता के लिये। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो भूमिहीन किसान बसते हैं और दूसरे मजदूर बसते हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर इस पंचवर्षीय योजना में उनको जमीन मिलती, जो लोग बिना जमीन के हैं और उनकी गाढ़ी कमाई से नहरें बनती, मैं समझता हूं कि इन मजदूरों के पास जो गांव में लाखों की तादाद में हैं, ताकत आती। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पंचवर्षीय योजना को केवल आदर्श कहता हूं। यह सफल होने वाली नहीं है। पूज्य बापू की तस्वीर सदन में विराजमान है। बापू जी कहा करते थे उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए, देश में मजदूरी धन के लिये, बरोजगारी मिटाने के लिये। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि छोटे छोटे उद्योग धन्धे

वश में फैलाये जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में छोटे छोटे उद्योग धन्धे बनाने के लिये और पनपाने के लिये कितनी रकम रक्खी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सोलह आने में एक आना छोट छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिये रक्खा गया है। माननीय वित्त मन्त्री जी दो लाख दस लाख रुपया बेरोजगारी खत्म करने के लिये भले ही बजट में रख दें मगर मैं समझता हूं कि वह स्कीम भी फेल होगी जैसे कि आज स्कीमें फेल हो रही हैं, मुर्गी पालने की स्कीम, ग्राम सुधार की स्कीम इत्यादि। एक तरफ हमार प्रदश में पूर्वी जिलों में सिंचाई की समस्या खड़ी हुई है, एक तरफ हमारे प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल, अध्यापकों की हड़ताल, मेहतरों की हड़ताल व चपरासियों की हड़तालें हो रही हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे मन्त्री गण और जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, जो सत्ता के चलाने वाले हैं, वे इस गरीब जनता को जो करोड़ों की तादाद में हैं, उसको लम्बी तनख्वाहें दें और सत्ता का अधिकारी बन करके मैं नहीं समझता कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली है और इन करोड़ों जनता को जो आज फटे हाल हैं, जो प्रदर्शन करती है, हड़ताल करती है और उपवास करती है उनको सरकार खुश कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज सरकार के पास पैसा नहीं ह । मैं आपके द्वारा बड़े अदब से माननीय मन्त्रियों से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी तो हमारे देश का राष्ट्रपति झोपड़ी में रहेगा और ५०० सौ रु० से अधिक कोई वेतन नहीं लेगा। पर आज बापू के आदेश की अवहेलना की जा रही है। मैं भूल नहीं सकता और दावे के साथ कहता हूं कि इसका असर हमारे देश की जनता पर पड़ेगा कि आज छोटी तनख्वाह वाले हड़ताल कर रहे हैं। दूसरों को उपदेश देने के लिये यह कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, त्याग करो। हमारे देश के महात्मा गांधी मसीहा थे और उनके नेतृत्व के कारण हमें आजादी मिली। यदि आज भी माननीय वित्त मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी उनके कहने का पालन करें तो सरकार को इन लोगों की हड़ताल तुड़वाने की जरूरत न पड़े। लोगों को जेल भेजने की या सचिवालय के चारों ओर पुलिस खड़ा करने की आवश्यकता न पड़े। इसकी एक ही दवाई है कि खुद कम पैसा ले करके जनता की सेवा करनी चाहिए। यदि यह किया जाय तो मेरा दावा है कि बन्दूक के जरिये से हड़ताल तुड़वाने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस का उसूल और दावा है कि वह वर्णहीन और वर्गहीन समाज चाहती है। लेकिन आज क्या है! जिस जन कल्याणी राज्य की कल्पना हमारे वित्त मन्त्री जी करते हैं उसका नक्शा जब हम जमीन पर, कागज पर नहीं, देखते हैं तो ठीक उसके विपरीत नजर आता है। ऐसे जन-कल्याणी राज्य हिटलर और मुसोलिनी के भी थे जिसका नमूना आज वित्त मन्त्री जी पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रह देश में होता है, घर में होता है और दुनिया में हुआ करता है। लेकिन आज यह सरकार जो अपने को महात्मा जी के उसूलों पर चलने वाली कहती है जब हड़ताल होती है तो जेलखाने में भेजना, लोगों पर बन्दूक और लाठी से हमला करना सबसे अच्छा समझती है। "जबरा मारे रोवै न देय" की कहानी चरितार्थ होती है।

कल जब माननीय शिक्षा मन्त्री ने यह कहा कि उन्हे मालूम नहीं है कि गोरखपुर, गढ़वाल, बस्ती, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ जिलों में अध्यापकों को कम मंहगाई भत्ता-मिलता है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि शिक्षा मन्त्री महोदय अध्यापकों को जहां सन्तोष दिलाने की बातें कहते हैं उन्हे यह भी नहीं मालूम कि इन जिलों में महंगाई भत्ता पूरा नहीं दिया जाता है और तरह-तरह की नीतियां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जरिये से चलाई जाती हैं। मेरा दावा है कि इन जगहों के अध्यापकों को उतनी महंगाई नहीं दी जाती जितनी कि और जगह दी जाती है यह सरकार की बनाई वेतन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था। सरकार की ओर से प्रशासन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। कहा जाता है कि पैसा बचाओ। २६ करोड़ के हिसाब में मैं यह मानता हूं कि बड़ों की तनख्वाह कम करके भी छोटों को कोई खास लाभ नहीं होगा।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लेकिन साथ ही साथ इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत पड़ेगा। वाइन विभाग और प्रशासन विभाग के खर्चे को देखने के बाद मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आज अदालतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिस्टर मारले ने सन् १९३८ में कहा था कि भारत मन्त्री जिस तरह लन्दन में बैठकर भारत का सारा काम किया करता है वैसे ही जिला मैजिस्ट्रेट जिले पर बैठकर सारा काम किया करते हैं। मेरा ख्याल है कि कलेक्टर लोगों के जिम्मे इतना काम है कि वह हुकूमत के काम को देख ही नहीं पाते। बीसों कमेटियों के वे चेयरमैन हैं कहीं प्लानिंग कमेटी है, कहीं कोई कमेटी है, कहीं कोई है। वह अदालतों में नहीं बैठते हैं, वे दौरे और कमेटियों में रहते हैं। मैं रोजाना देखता हूं कि बिना रूपया लिये अदालतों में तारीखें नहीं दी जाती हैं, बिना दो रुपया लिये हुए थाने में गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। एक तरफ सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है और दूसरी तरफ वहीं इन दहाड़े मैजिस्ट्रेटों के सामने बाकायदा रिश्वतें ली जाती हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कलेक्टरी में जो कर्मचारी हैं उनकी तन्ख्वाहों में अन्तर है। बांदा, बहराइच, झांसी और प्रतापगढ़ इन चार जिलों की कलेक्टरियों में कर्मचारियों की तनख्वाहें ज्यादा हैं और शेष ४७ जिलों में बहुत कम है। अर्थात् वेतन कमेटी की रिपोर्ट वहां पर लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और बहुत सी बातें इस सरकार की बतलाता। इस प्रकार की नीति पर आधारित सरकार अपने को "जन कल्याण राज्य" बनाने वाली सरकार कहती है, जो सरासर गलत है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मुहतरम स्पीकर साहब, मैं जबकि ५ बजने में ९ मिनट बाकी हैं थोड़ा सा अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मुझे यह अर्ज करना है कि जिस दिन यह बजट पेश हो रहा था और बजट की तकरीर पढ़ी जा रही थी उसको मैंने गौर से सुना और उसको पढ़ा भी है। मैं पूरे वसूक के साथ कह सकता हूं कि जहां तक वजीर खजाना के बजट का ताल्लुक है उन्होंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले को लेकर सुधारने और बाकायदा और सही तरीके पर करने की कोशिश की है और उसमें इस अम्र का काफी इजहार होता है इसके लिये मैं अपने आनरेबिल मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक बजट का ताल्लुक है एक तरफ तो वह पूरे मुल्क का आइनेदार होता है और दूसरी तरफ बजट से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता की जाती हैं और वाबिस्ता की जानी चाहिए। अन्दाजा करना पड़ता है कि हमने एक साल पहले क्या किया और इस साल जबकि हम यह बजट पेश कर रहे हैं, हमारे क्या इरादे हैं और जो वायदे आइन्दा के लिये किये जा रहे हैं उन पर कहां तक हम अमल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से मुख्तलिफ शोबों में कोशिश की है और जो कुछ भी उसने कहा है उस पर अमल किया है। इससे उम्मीद होती है और यकीन होता है कि आइन्दा भी इन पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

जब हम जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च को देखते हैं और आज की हालत को देखते हैं तब हमें अपने सूबे की हालत और गवर्नमेंट की हालत को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है, बजट को देखकर हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमारी माली हालत कुछ अच्छी है और दूसरे कहते हैं कि मुल्क की हालत खराब है। माली हालत का ताल्लुक अवाम से भी है और गवर्नमेंट से भी है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है जिनसे रुपया लेकर खर्च चलाया जाता है, मैं अर्ज करूंगा कि उसकी माली हालत बिलकुल अच्छी नहीं है। वह किसी मजीद टेक्सेशन को बरदाश्त करने की अहलियत नहीं रखती। अगर इस बजट को पास करने के बाद कोई ऐसी चीज की गई चाहे वह सेल्स टैक्स हो, चाहे और कोई टैक्स हो जिससे कोई बार हमारे अवाम पर पड़े तो यकीन कीजिए की अवाम की हालत बिल्कुल उस भीगे हुए कपड़े के मानिन्द है जो भीगा हुआ था और उसको काफी निचोड़ा जा चुका है और अब उसमें एक कतरा पानी का बाकी नहीं है और अब आगे इस कपड़े को निचोड़ा गया तो यह कपड़ा फट जायगा और एक कतरा पानी का नहीं निकलेगा।

बहुत से खर्च ऐसे हैं जिसके अन्दर कुछ न कुछ हर साल इजाफा हुआ है। जहां तक महकमे नज्म व नस्क का ताल्लुक है, उसमें ५१-५२ के अन्दर १,८०,२१,८५५ रु० था। दूसरे साल २,७८,४४,६०० रुपये हुए, उसके बाद २,९४,००,००० रुपये हुए और आज ३,१०,२२ हजार ८ सौ रुपये की मद इसमें रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह हालत हमारी गुरबत को देखते हुए, सूबे की गरीबी को देखते हुए जाहिर है कि आमदनी में इजाफा नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना इस खर्चे में या और दूसरे खर्चों में हम कमी कर सकेंगे उतना ही हम सूबे पर अहसान करेंगे।

हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में हाउस में बहुत उम्मीद और उसूल की बात कही है। आप फरमाते हैं कि--

"a state which . . . . ."

श्री अध्यक्ष--आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह बात उन्होंने नहीं कही। वह अंग्रेजी में नहीं बोले।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--यह उनकी अंग्रेजी तकरीर में था। जहां तक मैं समझता हूं वह अपनी तकरीर में दावा कर रहे हैं कि यह वेलफेयर स्टेट है और उसकी वह तारीफ कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिसके अन्दर लोगों के जानोमाल व आबरू और इज्जत महफूज न हो, वह अकलियत में हो या अकसरियत में हों, पोलीटिकल अकसरियत हो, या मजहबी अकसरियत हो, दोनों तबकों की जान व माल और आबरू की हिफाजत जहां नहीं की जा सकती है, और जहां ला ऐन्ड आर्डर का सही इस्तेमाल न होता हो उसको वेलफेयर स्टेट कहने के लिये न तो हम हक बजानिब हैं और न वजीर साहब खजाना को ही यह हक पहुंचता है और न किसी इन्सान को यह कहने का हक पहुंचता है। मैं नहीं समझता कि यह तारीफ बिलकुल सही है।

इसके बाद मैं दरखास्त करूंगा कि उस तबके के बारे में जिसके हाथ में हमारी इज्जत व आबरू और जानो माल है जो पुलिस का तबका है। उसकी हालत को अगर आज देखा जाय तो सही अन्दाजा लगा सकेंगे कि अब भी इसमें काफी इस्लाह की जरूरत है। इसके कहने में हक बजानिब है। आज जो तर्जे अमल इस तबके ने अख्तियार कर रखा है उसमें बहुत कुछ सुधार होने की जरूरत है। आज हम कह सकते हैं कि कम से कम हमारी इज्जत-आबरू और इस सूबे में रहने वालों की इज्जत व आबरू बिला तफरीक खतरे में है। चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठन वाले हों उनकी इज्जत व आबरू की यह तबका सही तौर पर हिफाजत नहीं करता है।

दूसरी चीज यह जरूरी है कि बाज बाज जगहों पर आपने काफी उत्साह पैदा किया है और लोगों में जज्बा पैदा किया है और बहुत से थानों पर लिखा भी है कि यह माडेल थाने हैं और अवाम की खिदमत करना चाहिए। इस तरह की बातें दीवारों पर लिखी हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि दीवारों पर इस तरह से लिखने के बजाय आपक हुक्म म सख्ती की जरूरत है। आपन जो कुछ दीवारों पर लिखा है उसके बारे में यह देखने की जरूरत है कि उस पर यह तबका अमल कर रहा है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपकी मर्जी के खिलाफ यह तबका अपनी ड्यूटी सही तौर पर अन्जाम नहीं दे रहा है। आज उनकी हालत बहुत ही खराब है।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि इस पर गुरबत के वक्त में बहुत बोझ लादा नहीं गया है। कोशिश यह की गई है अगरचे दिक्कत है। अभी हमारे दोस्तों ने मांग की है, मतालबा किया है और मुख्तलिफ तरीके पर तन्कीद की है। बाहर टीचर्स खड़े हैं जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मतालबा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ख्वाहिश सही है और जितनी उनकी मांगें हैं और जितने हमारे चादर के अन्दर पैर फैल सकें उतनी ज्यादा तनख्वाह हमको इन टीचरों को देनी चाहिए। मगर यह भी है कि एक तरफ तो यह कहते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को तन्कीद भी करते हैं कि बजट का ज्यादा फैलाव न हो। जाहिर है कि ऐसी हालत में रुपया कहां से आयगा। इस पर गौर करन की जरूरत है। ऐसी और

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

मदें हो सकती हैं जिन पर कमी की जाय और उनमें कमी की जाने के बाद इन टीचर्स और ऐसे छोटे लोगों पर जिन पर तालीम की जिम्मेदारी है उन पर वह रुपया खर्च किया जाय। मगर टैक्स लगाकर तनख्वाह बढ़ाना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं होगा।

मैं वजीरे तालीम से अर्ज करूंगा कि हम लोग मुद्दत से सुन रहे हैं और हमें हमेशा खुशी होती है कि बड़ी तादाद में स्कूल खुलेंगे और खोले जायेंगे। मेरे ख्याल में यह काफी नहीं है। और इससे उनको मुतमईयन नहीं होना चाहिए। अभी बहुत से स्कूल आपको खोलना है। देहात में जाकर अगर आप देखें तो जो स्कूल वहां खोले गये हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां टीचर्स साहब तशरीफ रखते हैं और लड़के नदारद हैं और कहीं दो चार लड़के ही बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर साहब मौजूद नहीं हैं, वे देहातों में और चीजों में अपना वक्त जाया करते हैं। इसलिये तालीम का इन्तजाम सही नहीं है।

जहां तक इन्साफ यानी अदालतों का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करूंगा कि अभी इस्लाह की बहुत कुछ मुहताज वह हैं। मैं जनाब वाला के जरिये से अपने मोहतरिम वजीर साहब से यह अर्ज करूंगा कि वे खास तवज्जह फौजदारी अदालतों की तरफ दें। मामूली मामूली जरायम के मुकद्दमे एक-एक दो-दो साल तक पड़े रहते हैं और फैसल नहीं हो पाते। लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं और जब कभी उनकी गैर हाजिरी हो गयी तो उनको सजा हो जाती है।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२४ फरवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० १०० यल० ए०--१९५३--८३०